# RAJYA SABHA

*Saturday, the 30th August,* 1997/
8 *Bhadra,* 1919 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock

**The Deputy Chairman** in the Chair.

## DISCUSSION ON PARLIAMENTARY DEMOCRACY-*(Contd.)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We continue with the discussion on Parliamentary Democracy. Shri Tara Charan Majumdar. Yesterday, he missed his chance.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR (Assam): Madam Deputy Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on the subject under discussion.

Madam, undergoing immense suffering and sacrifice, the people of India achieved political freedom on 15th August, 1947. Then, after long deliberations by the wise men of the country, the Constitution was drafted for the governance of the country. The Preamble of the Constitution said: 'We, the people of India, solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, Republic, and to secure to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and opportunity; and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation'.

The Constitution represented the ethos, the high ideals and values which guided the freedom movement and also the hopes and aspirations of the people of the country. The Constitution provided the Directive Principles and the Fundamental Rights and duties towards fulfilment of the above hopes and aspirations.

The Constitution also provided division of power amongst the legislature, the executive and the judiciary for harmonious functioning of parliamentary democracy in the country. The Constitution also envisaged federalism of the States with well-defined spheres in financial and legislative matters.

After completion of half-a-century of experience with parliamentary democracy, let us pause and think of how much we have been able to achieve the objectives set out in the Constitution. Our achievement in the field of giving effect to the Directive Principles has not been such as to make us proud. The Fundamental Rights guaranteed by the Constitution are not protected by the executive and have even been violated by them, necessitating the people to take recourse to law courts.

There has been too much of concentration of power in the Centre. The rights of the States are being neglected, and as a result there has been a constant and increasing demand for giving more powers to the States. The Sarkaria Commision Report recommending conferment of more powers on the States in gathering dust for decades now. Decentralisation of powers to Panchayats at the grass-roots level commended by the 73rd and the 74th Amendments to the Constitution, has not been given effect to by some States.

The rule of law is blatantly violated and is replaced by rule of political masters and their henchmen, the bureaucrats. There were attempts to suppress and keep under wraps numerous cases of scams involving thousands of crores of rupees, Even after they came to the open on the initiatives of some people concerned with public interest, there were attempts at influencing the investigating agencies. The executive whose constitutional duty it was to initiate proceedings for bringing the culprits to book, did nothing in the matter, and the courts had to intervene.

Criminalisation of politics and politicisation of crime made its advent in Indian polity in the early 1970s. More and more people with criminal records made their way into politics, and even people with proven criminal records were actually elected to Parliament and Assemblies. This trend was encouraged by political parties for their narrow political gains.

No attempt was made to stop this trend. The Election Commission has taken some decision for preventing people with criminal records from contesting elections. In the absence of any law providing such debarment, it is doubtful if decision of the Elec-

Commission can be given effect to. There have been attempts of subversion of Constitutional institutions after the sixties. The party in power at that time openly propagated the slogan of one country, one party and one leader. There was suppresession of three eminent judges to accommodate a pliable and loyal judge as the Chief Justice of India. It was openly propagated that judges must fall in line with the political philosophy of the party in power. The people registered their disapproval of such an authoritarian rule by throwing the party out of power in 1977. The people are thoroughly disenchanted with the political class and they have refused mandate to any one of the parties to rule the country. The record of the past 50 years of our Parliamentary democracy is not encouraging. Achievement in the matter of removal of poverty, wide disparity between the rich and the poor, removal of ever-increasing unemployment, providing minimum health services, supply of drinking water, facilities of communication, universal literacy, measures providing social security to children, women and conferment of justice to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other disadvantaged classes are the hall mark by which the success or failure of the parliamentary democracy will be gauged.

The nation has enough schemers and power brokers and petty men masquerading as politicians.

Madam, I will be failing in my duty, if I do not make a mention of the situation prevailing in the North-Eastern part of the country. The entire region, especially some of the States like Assam, Nagaland, are in turmoil. There is a large-scale deployment of security forces and there is an allegation that there have been violations of human rights. It has been admitted in all quarters that this region has been neglected since after attainment of independence. The grievance of its people is that its natural resources, which are abundant in that region, are being exploited not to the benefit of the people of the region, but for the benefit of other States. I appeal to all the Parliamentarians that they should put their heads together and find a way out of the situtation prevailing in Assam. It is admitted that these problems cannot be solved by employing military. It is an admitted fact that there must be a political solution to this problem. Let us put our heads together and find out means and advise the Government to arrive at a political solution of the problem which is now prevailing in the State of Assam and its adjoining States.

The country badly needs statesmen with vision, imagination and integrity, who are ready to undergo sufferings as the statesmen of the freedom movement. Such stalwarts of the freedom movement are needed.

In the absence of such leadrship there is no hope for parliamentary or any other form of democracy in the country and nobody will be able to save the country from chaos, anarchy and disintegration. I thank you, Madam, again and I conclude.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday, for this debate 1 hour 45 minutes were left. Then, the House agreed that we should adjourn. Now, I have to accommodate those Members. The Congress Party has got 20 minutes and other parties have some minutes. Just now, Mr. Majumdar spoke. We are sitting on Monday also. If you all agree, we will sit today up to 6 o' clock. We will include this time also. There will be enough time. We will have half-an-hour here and there, plus or minus we will have ...*(Interruptions)*... You see there is a pressure because there is a dinner being hosted by the Speaker in connection with the SAARC conference. Some people have been invited and they would like to attend it. Instead of taking a decision at the last minute, let us decide now itself that we will sit up to 6 o' clock or 6.30. Then we can have 15 or 20 minutes here and there. Yesterday also at 7 o' clock we had decided that we would sit till 8 o' clock. So, let us put it that way. ...*(Interruptions)*... When we approach lunch hour, then, you can request because just now we have had our breakfast. Let me exhaust the list of yesterday and the time that was left. And afresh we can decide and divide the time. Accordingly we will go ahead with that list. It is not fair to leave those people who could not speak yesterday like Majumdar and some other Members. Mr. Gandhi wants to speak. Mr. Chavan Saheb wants to speak. They could not speak earlier because their names appear last in the list. I

will go by that. So, I will call Mr. Ajit P.K. Jogi. आप अपने भाषण को अपनी पार्टी के टाइम तक सीमित रखिएगा।

**श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) :** मैडम, इस से पहले कि यह डिस्कशन प्रारंभ हो, मैं आपकी अनुमति से उठाना चाहता हूं.

**उपसभापति :** नहीं-नहीं, इस मामले के अलावा कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा।

**श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान) :** मैडम, कुछ लोग तो दो-दो बार बोल चुके हैं और कुछ लोगों को एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला है। जो दोबारा, तिबारा बोलने वाले हों, उन को रोका जाये। उन को बाद में टाइम दिया जाए। मैडम, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज बोलते हैं, हर सब्जैक्ट पर बोलते हैं ...(व्यवधान)...

**श्री सुरेश पचौरी :** मैडम, मेरी मांग है कि ...(व्यवधान)... कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए क्योंकि विभिन्न समाचार-पत्रों में विभिन्न बातें प्रकाशित हो रही हैं। अगर यह सदन के पटल पर रखी जाती है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी, यह मेरा आप से निवेदन है।

**उपसभापति :** इस संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि इस सेशन के अंदर न कोई गवर्नमैंट बिजनैस होगा और न ही किसी कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी। अगर इस निर्णय के अलावा बिजनैस एडवायजरी कमेटी या लीडर या चैयरमैन कोई दूसरा निर्णय लेते हैं तो उस से "एबाइड" करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर अभी तक जो निर्णय है, मैं उस पर वचनबद्ध हूं, नया निर्णय होगा तो I will follow accordingly. We will also be sitting on Monday.

और कोई दोबारा बोल रहे हैं तो वह अपनी पार्टी के टाइम में ही बोल रहे हैं, पार्टी टाइम के बाहर कोई नहीं बोल रहे हैं। अगर पार्टी टाइम के बाहर कोई बोलेगा तो आप उसे पॉइंट आउट कर दीजिएगा। कल तो आप को 12 मिनट ज्यादा ही दिए थे क्योंकि बंगारू लक्ष्मण जी मीटिंग में जाने वाले थे। Before allowing him, I took the consent of the House. We will try to accommodate every Member.

सब की तसल्ली हो जाएगी। यहां से कोई दुखी होकर जाने वाला नहीं है, लेकिन मंत्री जी जरा कम टाइम लें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग उन की इज्जत में घंटी नहीं बजाते हैं। अब उन की इज्जत को कायम रखना पड़ेगा तो वह खुद अपनी घंटी बजा लें।

**श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) :** उपसभापति महोदया, आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर आहूत इस विशेष सत्र की ऐतिहासिकता को अगर रेखांकित करना है तो हमको अपने इतिहास बोध को प्रज्वलित करना होगा, जगाना होगा और इसीलिए पिछले चार दिनों से जो बहस चल रही है वह बड़ी सार्थक बहस रही है। हमने अपने दलों की, पार्टियों की सीमाओं से ऊपर उठकर ऐसी बातों की ओर पूरे राष्ट्र का ध्यान आपके माध्यम से दिलाया है, जिनका देश के लिए, समाज के लिए महत्व है। कोई भी कौम हो, कोई भी देश हो, उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है, जब उसे कुछ समय के लिए रुक कर, ठहर कर, ठिठक कर, समझ कर, सहम कर आत्म-विश्लेषण करना चाहिए, आत्म-परीक्षण करना चाहिए और पचास वर्ष का यह मील का पत्थर वैसा ही समय है।

महोदया, जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, परन्तु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक भारतीय के नाते, एक ऐसे भारतीय के नाते जिसकी उम्र, जैसे इस आजाद भारत की उम्र पचास वर्ष है, मेरी उम्र भी पचास वर्ष है, ऐसे भारतीय के नाते जब मैं अपनी उपलब्धियों को देखता हूं, अपनी खामियों को देखता हूं, जो हमने खोया उसे देखता हूं, जो हमने पाया उसे देखता हूं, तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मुझे उपलब्धियों का पलड़ा भारी लगता है अपनी खामियों से अपनी कमियों से। कोई भी देश, कोई भी कौम, कोई भी समाज जो निराश हो जाए, जो विवश हो जाए वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। हमको आज इस अवसर पर निराश नहीं होना चाहिए, विवशता का बोध नहीं देना चाहिए। इसीलिए मुझे यह कहते हुए कुछ ग्लानि होती है, जब हम देखते हैं कि ऐसे मोड़ पर हमारे जो रहनुमा हैं हमारे प्रधानमंत्री, कहते हैं कि वह विवश हैं, भ्रष्टाचार का जो मसला है वह बहुत व्यापक हो गया है, किस तरह से उसका सामना किया जाए। वह अपनी विवशता प्रकट कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह कह रहे हैं कि उन पर दबाव पड़ रहा है, परन्तु वह नाम नहीं बता सकते कि कौन उन पर दबाव डाल रहा है। यह जो विवशता के संकेत आ रहे हैं, यह ग्लानि का बोध कराते हैं। इनसे हमको दूर हटना चाहिए।

महोदया, जब तक हम सपना नहीं देखेंगे, जब तक आशाएं नहीं करेंगे, तब तक हम नए भारत का, आज से पचास वर्ष के बाद कैसा भारत हो वह सोचकर नहीं चलेंगे, यह लक्ष्य बनाकर नहीं चलेंगे कि जो भारत हम

आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं वह विश्व में अग्रणी देश होगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए मैं अपनी बात यह कहकर प्रारंभ कर रहा हूं कि हमें आशावादी होना चाहिए, हमें स्वप्नदर्शी होना चाहिए। आखिर सपनों की बुनियाद पर ही उन्नति की इमारत खड़ी होती हैं जो समाज सपना नहीं देखता, जो समाज ख्वाब नहीं देखता, जो समाज कल्पना नहीं करता, जो समाज लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, वह आगे नहीं बढ़ता है। हमें इस अवसर पर ऐसा समाज बनाने की कल्पना, ऐसा समाज बनाने का सपना देखना बहुत जरूरी है।

महोदया, जब मैं उपलब्धियों का जिक्र करता हूं तो एक ही बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुझसे यह पूछे कि इन पचास वर्षों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, तो मैं निस्संकोच यह कहूंगा कि इन पचास वर्षों में आजाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हमने एक ऐसी स्वस्थ व्यवस्था का सृजन किया है, प्रजातांत्रिक स्वस्थ व्यवस्था का सृजन किया है, जो स्वस्थ संस्थाओं पर आधारित है। हमारी विधायिका है, संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और एक सजग प्रहरी के रूप में मीडिया है। इन सब संस्थाओं को हमने इस तरह से सृजन किया है कि हमारे पड़ोसी देशों में प्रजातंत्र आया, खत्म हो गया, परन्तु हमने जो व्यवस्था अपने देश को दी है, हमारे रहनुमाओं ने जो व्यवस्था इस देश को दी है, वह मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें पिछले दिनों में जो विकृतियां आई हैं, एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर अतिक्रमण करने की जो कोशिश कर रहा है, जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए वह न्यायपालिका कर दे, जो काम संसद को करना चाहिए वह न्यायपालिका कर दे, यह जो होने लगा है, यह गलत हो रहा है। आखिर यह संसद है। हम लोगों को इस देश के करोड़ों लोगों ने यहां चुनकर भेजा है। इस देश का एजेंडा, नेशनल एजेंडा क्या होना चाहिए, इस देश की दिशा क्या होनी चाहिए, यह हमको तय करना चाहिए। यह बात गलत है कि इस देश का राष्ट्रीय एजेंडा संसद द्वारा तय न होकर किसी और के द्वारा तय हो रहा है। अखबारों में छपता है, उससे हम अपनी दिशा तय करने लगें, न्यायपालिका जो टिप्पणी देती है, उससे हम मार्गदर्शन लेने लगें, यह गलत बात है। इस संसद को उस ऊंचाई तक अपने को उठाना पड़ेगा कि इस देश का एजेंडा क्या हो, राष्ट्र किस तरफ आगे बढ़े, यह हम तय कर सकें।

महोदया, इस वक्त पर एक बात मैं अपने वर्ग के नज़रिए से जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि वह बात बहुत कम कही गई है इन चार दिनों में मैं जिस वर्ग से आता हूं, उसके दृष्टिकोण से मैं एक बात आपके माध्यम से राष्ट्र के समक्ष रखना चाहता हूं। इन 50 वर्षों के बाद हमको सोचना होगा, इतिहास को ठीक से पढ़कर समझना होगा कि कौन सी गलतियां हमारी हुई हैं जो हमको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप अगर हमारे इतिहास का सिंहावलोकन करें, इन 50 वर्षों का नहीं, पूरे इतिहास का, जो लिखित इतिहास है, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर हमारा राष्ट्र गुलाम रहा। जिसकी मर्जी हुई यहां आया और हमको गुलाम कर दिया। परशियन आए, ग्रीक आए, इंडो ग्रीक आए, शक आए, हुण आए, आए, रौंदा, हराया और चले गए। कितने लोग आए, कितने आदमी थे? अफगान आए, अरब आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, टर्की आए, गज़नवी आया, जो भी आया चंद घुड़सवार लेकर आया। दस हजार घुड़सवार लेकर गज़नवी आ गया, सिंध के रेगिस्तान को पार करता हुआ हमारे पवित्र मंदिर सोमनाथ तक पहुंच गया और लूटकर चला गया। दस हजार घुड़सवार लाखों-करोड़ों के इस देश को रौंदकर पूरे देश को पार करके चले गए जिसकी मर्जी आई यहां आया, हमको गुलाम बनाकर चला गया यहां इतिहास क्या सबक दे रहा है? यहां इतिहास एक सबक देता है, उस सबक को आजादी की इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमको सीखना होगा क्यों वे चंद लोग आते थे और हमें हराकर, परास्त करके चले जाते थे? एक ही कारण था, सबसे बड़ा कारण था, सबसे प्रमुख कारण था कि इस देश में जो 100 में से 80 लोग थे, 100 में से 85 लोग थे उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऊपर की सत्ता पर कौन बैठा है, दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा है। अ बैठा, ब बैठा क बैठा या ख बैठा, उनको क्या फर्क पड़ता था। इससे उनकी जो गरीबी है, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो मुफलिसी है, उनकी जो लाचारी है, वह तो वैसी की वैसी रहती थी। सत्ता में उनको भागीदारी का आभास नहीं था, अहसास नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए बाजी नहीं लगाई। चंद लोग लड़ते थे और बाहर से आए लोग उनको हराकर चले जाते थे लेकिन आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस बात का अहसास भारतीय समाज ने किया है, एक सामाजिक मंथन हो रहा है, एक राजनीतिक मंथन हो रहा है, चाहे वे नाम आपको पसंद आए या न आए — सीता राम केसरी जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, कांशी राम जी, ये सब उसके प्रतीक हैं; जो सामाजिक मंथन हो रहा है, जो समाज में परिवर्तन की लहर आ रही है, यह वर्ग समाज में भागीदारी की ललक लिए जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये सब उसके प्रतीक हैं। इसलिए आज जब मैं आजादी की स्वर्ण

जयंती के अवसर पर बोल रहा हूं तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अब लोगों को, इस वर्ग को, 100 में से 80 या 85 लोग जो हैं, जो पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, इस वर्ग को समाज में भागीदारी देने की बात समाज सोचने लगा है और यह हमारे लिए खुशी की बात है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा इतिहास में होता आया है, होता रहेगा कि चंद लोग राज करेंगे और उनका राज कोई भी छीनकर चला जाएगा 100 में से 100 लोगों को जब तक यह अहसास नहीं होगा कि इस देश की स्वतंत्रता में मेरी पूरी भागीदारी है, तब तक इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, स्वतंत्रता को हम अक्षुण्ण बनाकर नहीं रख सकते हैं कविवर रविन्द्र नाथ टैगोर को बहुत लोगों ने उद्धृत किया है।

महोदया, रवीन्द्रनाथ टैगोर भविष्यद्रष्टा थे, बहुत आगे देखकर चलते थे। उन्होंने यह चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि-

"हे मोर दुर्भागा देश जा देर करेछो अपमान,
अपमाने होते हो होय तहां देर शबार समान।
जा रे तुमि नीचे फेलो से तुम्हारे बांधि बेलछे नीचे,
पश्चाते रखेछो जारे से तुम्हारे पश्चाते जानिछे"।

अर्थात जिसको तुम अपमानित करते हो, उससे अपमानित होकर, उसके समान तुमको बनना पड़ेगा। जिसको तुम बहुत पीछे रखे हो, नीचे दबाकर रखे हो, वह तुमको नीचे बांधकर रखेगा, जिसको तुम पीछे रखते हो समाज में वह तुमको पीछे बांधकर पकड़कर रख लेगा। इसलिए तुमको जो पिछड़ा है, जो निचला है, जो दबा हुआ है, जो शोषित है, उसको आगे बढ़ने का अवसर देना पड़ेगा। यह रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। यह हमको उनसे सीखना पड़ेगा।

महोदया, इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने यह बात कही है कि एक राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए, एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। हमको राष्ट्र की अलग से आर्थिक नीति बनानी चाहिए आम-सहमति के आधार पर, राष्ट्र की विदेश नीति बनानी चाहिए आम-सहमति के आधार पर, राष्ट्र का एक पर्सपैक्टिव प्लान बनाना चाहिए आम-सहमति के आधार पर। एक तरफ तो हम यह बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग-अलग चलने की बात क्यों करते हैं? यह क्यों होता है? महोदया, हम सब सेंट्रल हॉल में रोज प्रवेश करते हैं। वहां मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है-

"अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम्,
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम"

कोई ऐसी बात न करे कि मैं-मैं और तू-तू। कोई बहुत ही संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति यह कहता है कि मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं अगड़ा तू पिछड़ा, मैं सवर्ण तू आदिवासी, मैं सवर्ण तू हरिजन। ऐसी बात तो बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कहता है जो उदार चरित्र वाले होते हैं, वे तो पूरी वसुधा को अपना कुटुम्ब मानते हैं, ऐसी शिक्षा दी गई है हमारे शास्त्रों में। जब हमारे मनीषी, हमारे ऋषि हिमालय की चोटियों में, कंदराओं में बैठकर प्रार्थना करते थे तो वे यह कहते थे -"आनो: भद्रायन्तुं कत्वों विश्वत:"।

Let noble thoughts come to me from all directions.

यानी दरवाजे-खिड़कियां सब तोड़ दो, गिरा दो। विश्व भर के जितने भी विचार हैं, उन सबको भारत में आने दो, मैं उनका स्वागत करूंगा। वे ऐसी प्रार्थना करते थे। यह केवल हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में नहीं है, जिस धर्म को हम पढ़ेंगे, उसमें इसी तरह का विचार है। फिर हम अपने धर्म को ठीक से समझकर उसके अनुसार चलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं?

महोदया इस्लाम के बारे में लोग बात करते है। महोदया, आप खुद जानती हैं कि जब प्रार्थना करते हैं, जब मुसलमान दुआ मांगता है तो यही कहता है— "बिस्मिल्लाह-हिर्रहमान निर्रहीम, ला इलाहा-इल्लल्लाह, अलहमदु-लिल्लाही, रब्बुल आलमीन"। जब मुसलमान दुआ मांगता है तो वह "रब्बुल मुस्लिमीन" कहकर दुआ नहीं मांगता है "आप केवल मुसलमानों के रब हैं" ऐसा कहकर कोई दुआ नहीं मांगता है दूसरे धर्मों में भी चाहे जिस धर्म को आप ले लीजिए, यही शिक्षा दी जाती है फिर जब हम आम-सहमति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सहमति की बात कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं कि पूरे राष्ट्र को एक करना चाहिए तो इस तरह की जो बात होती है — मैं-मैं तू-तू की, चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, यह बात जब तक चलेगी, तब तक हम राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को हमें छोड़ना पड़ेगा।

महोदया, हम जाति की बात करते हैं आज लोग बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जाति के आधार पर देश टूटता जा रहा है। हमको भी चिंता होती है पर जाति के आधार पर देश क्यों टूट रहा है? जाति की व्यवस्था किसने बनाई है, इस तरफ हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं?

महोदया, गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा हैं कि-

"चातुर्वर्णं मया शिष्ट गुण कर्म विभाग च,
तस्य कर्तारमपि मामविन्ध्वयं"

अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि भगवान ने, ईश्वर ने स्वयं: की है गुण और कर्म के आधार पर जन्म के आधार पर नहीं। जन्म के आधार पर जब वर्ण बन जाएगा तो फिर जाति-व्यवस्था चलती रहेगी। हम क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो शिक्षा दी है, जो हमारे धर्म का सार है, जो हमारी संस्कृति का सार है, उसके अनुसार सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें? (समय की घंटी)

महोदया, आपने घंटी बजा दी है, मेरी तो बहुत कुछ कहने की इच्छा थी लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में केवल 2 बातें कह रहा हूं। पहली बात तो मैंने यह कही कि अगर हमको इस देश में जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर, सबको एक साथ लेकर चलना है तो हमें अपने-अपने धर्म को, अपने-अपने मज़हब को ठीक से समझना पड़ेगा क्योंकि हर धर्म, हर मज़हब यही सिखाता है कि इस तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैंने प्रारम्भ में ही यह कही थी कि अगर हम यह चाहते हैं कि देश में सब लोग देश के निर्माण में सहयोग दें तो इस देश का जो पीड़ित, वंचित और कमजोर वर्ग है, सौ में से 90 आदमी जिनको यह लगता है कि देश की कुर्सी पर कौन बैठा है, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मेरे गांव जोगी दंगड़ी में बैठे हुए मेरा आदिवासी भाई सुखीन यह महसूस करने लगेगा कि दिल्ली में कौन बैठा है, उसका मुझ पर भी असर पड़ता है, उसी दिन यह देश बनेगा। अगर उसको हम यह अहसास नहीं कराएंगे, अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति समाज में बैठा हुआ है, उसको हम यह अहसास नहीं कराएंगे तो ऐसे देश का निर्माण — हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई, 50 वर्षों में हमको बहुत कुछ दिया तो अब हम क्या देने वाले हैं, 50 वर्षों के बाद हम किस भारत का निर्माण करने वाले हैं — ऐसे भारत का निर्माण तभी होगा जब मैंने यह जो दो बातें कही हैं, उनको ध्यान में रखकर हम आगे चलेंगे। और बहुत आगे जाना है। अल्लामा इकबाल को सबने उद्धरित किया, उनकी बात सबने कही है। आगे बढ़ने के बारे में उन्होंने जो कहा था कि

सितारों के आगे जहां और भी हैं,

अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं।

शाहीन है तू परवाज़ है काम तेरा,

तेरे सामने आसमां और भी हैं।।

तो हमारे सामने आसमां है, बहुत ऊंचाई तक हमको उड़ना है। इसलिए उसी संकल्प को लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे कंधों पर दायित्व है, उसे हम पूरा करें। धन्यवाद।

उपसभापति: रामदेव भंडारी जी, आप कृपया समय का ध्यान रखें और 8-9 मिनट में समाप्त करें।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): धन्यवाद महोदया, यह विशेष सत्र भारत की स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह, स्वर्ण जयंती वर्ष, के अवसर पर आहूत किया गया है। इस महत्वपूर्ण सत्र में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, ऐसी महान और ऐतिहासिक घड़ी में मैं राज्य सभा का सदस्य हूं, मुझे इस बात का गर्व है। यह आजादी हमारे देशवासियों को बड़ी कुर्बानी और बलिदानों के बाद मिली है। सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहने के बाद हजारों-लाखों बहादुर सपूतों के बलिदान और कुर्बानी ने इस देश की धरती को स्वतंत्रता की किरणों से जगमगाया है। मैं नमन करता हूं गांधी जी को, सुभाष जी को और आजादी के उन सभी अमर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमें आजाद मुल्क दिया, पांव रखने के लिए अपनी धरती दी, खुली हवा में सांस लेने का वायुमंडल दिया और उन्मुक्त नील आकाश दिया। महोदया, आजादी के बाद देश ने 11 जनरल इलैक्शन तथा 300 से अधिक स्टेट इलैक्शन देखे हैं। यह गौरव की बात है कि आज भी भारतीय गणराज्य संपूर्ण गरिमा और गौरव के साथ खड़ा है। आज जब हम पिछले 50 वर्षों पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो एक ओर हमें कई उपलब्धियां दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी ओर निराशा की कुछ काली छाया भी नजर आती है। आजादी मिलने के बाद हमने अपने देश को सजाने और संवारने का सुनहरा सपना देखा था। हमें राजनीतिक आजादी मिली, अपना शासन मिला, अपना संविधान, अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री, सब कुछ अपना मिला। मगर महोदया, राजनीतिक आजादी ही संपूर्ण आजादी नहीं होती। विदेशियों द्वारा पूरी तरह से लुटे, बर्बाद और आहत मुल्क में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जैसे दर्जनों सवाल सामने खड़े थे। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी, बदहाली, अशिक्षा, छुआछूत जैसी कई बड़ी समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाये सामने खड़ी थीं। क्या हमने 50 वर्षों में इन समस्याओं का समाधान कर लिया है? क्या हमने इन सवालों का हल ढूंढ लिया है? क्या हमें 50 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्टि मिली है? क्या हमने 95 करोड़ से अधिक आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं—भोजन, पानी, आवास, चिकित्सा, शिक्षा

जैसी जरूरी चीजों की व्यवस्था की है, उन्हें यह सब मुहैया कराया है? शायद नहीं। भोजन, आवास आदि की बात को तो छोड़िए। हम पूरे देश में नागरिकों को शुद्ध पीने का पानी तक भी मुहैया नहीं करा सके हैं। आज भी इस देश की आबादी का बड़ा भाग शुद्ध पानी पीने को लालायित रहता है, अन्य आवश्यकताओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या यह हमारे लिए दुःख की बात नहीं है? आज भी हमारे देश की माताएं और बहनें सड़कों और रेल पटरियों के किनारे सुबह अंधेरे और शाम ढलने के बाद खुले में शौच के लिए जाती हैं और हम उनके लिए एक शौचालय का भी इन्तजाम नहीं कर सके हैं। यह कैसी आजादी है और यह आजादी किसके लिए है?

मैं तीस-पैंतीस वर्षों से समाजवादी दल और समाजवादी आन्दोलन से जुड़ा हुआ हूं। डा० राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, जन-नायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान समाजवादी नेताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। हम नारा लगाते थे- ''देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है।'' एक दूसरा नारा लगाते थे, ''धन और धरती बंट के रहेगी, बंट के रहेगी।'' मैं सदन से सवाल करना चाहता हूं कि क्या देश में भुखमरी खत्म हो गई? क्या आज भी हर दिन इस देश में भूख से मौतें नहीं हो रहीं हैं? शुद्ध पानी के बिना गंदा पानी पीकर, बीमार होकर लोग नहीं मर रहे हैं? क्या देश का धन और धरती सभी के बीच में बराबर-बराबर बंट गई है? तो इसका जवाब है शायद नहीं।

हम समान अधिकार की बात करते हैं, परन्तु आज भी इस देश का धन, इस देश की धरती, पुलिस, शासन-प्रशासन पर देश के चंद लोगों का कब्जा है और यह देश आज भी कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद है। आज भी देश में सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। क्या यही बापू का राम-राज्य है? क्या आज भी इस देश में बापू का प्यारा हरिजन और देश के दलितों का शोषण, तिरस्कार, अपमान और हत्या नहीं हो रही हैं? क्या हमने मन से उन्हें स्वीकार किया है? नहीं। अगर ऐसा होता तो संविधान के निर्माता बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति के गले में जूतों की माला नहीं पहनाई जाती और इसका विरोध करने वालों को पुलिस गोलियों से नहीं भून डालती।

आज भी हम इस महान देश के 25 प्रतिशत से अधिक हरिजन, आदिवासियों को अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आज भी उन्हें मंदिरों में जाने नहीं देते, पूजा नहीं करने देते हैं। उन्हें अपने साथ बैठाने में संकोच करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। हम उन्हें उस समय अपना भाई कहते हैं जब हमें उनके वोट की जरूरत पड़ती है हम उन्हें दल में नुमाइश के लिए रखते हैं, उन्हें दिखावे के लिए राजनीतिक पद भी देते हैं परन्तु उन्हें कोई शक्ति नहीं देते हैं। सिर्फ दलित ही नहीं, इस देश के 52 प्रतिशत पिछड़ों के साथ भी हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। हमारी मानसिकता उन्हें भी देश की सत्ता में भागीदारी से बाहर रखने की रही है। इस देश के अल्पसंख्यकों का भी आजादी के इतिहास में बड़ा योगदान रहा है। सीमान्त गांधी अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरुणा आसफ अली और अशफाक उल्लाह जैसे महान सपूतों को क्या यह देश भूल सकता है मगर आज भी धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले, खून-खराबा और साम्प्रदायिक दंगा कराने वाले, सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञ यह नारा लगाते हैं, ''मुसलमानों का क्या स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान'' और यह कहते हुए अपने को देश का महान देशभक्त कहते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्म को राजनीतिक हथियार और अपनी पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया है। हमें ऐसे राजनीतिक दलों की भर्त्सना करनी चाहिए और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को रोकना चाहिए।

महोदया, आजादी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आजादी ने इस देश के पिछड़ों, दलितों को संघर्ष करने की शक्ति दी है और वे लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही कारण है कि इस देश में दलित समुदाय का बेटा राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती एक दलित महिला हैं। बिहार की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी एक पिछड़े वर्ग की महिला हैं। यह संसदीय लोकतंत्र की महानता है कि आज गरीब, पिछड़ा, दलित पावर में आ रहे हैं। मगर अभी भी इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अपने हक के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है और संघर्ष करना है। आज दलित और पिछड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर बैठ तो जाता है परन्तु उसके विरुद्ध उसी दिन से साजिश शुरू हो जाती है जिस दिन से वह उस पद पर बैठता है। बिहार में जब-जब जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर मुख्य मंत्री बने तब-तब उन्हें पूरा टर्म मुख्य मंत्री पद पर नहीं रहने दिया गया। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर एक गरीब नाई, हज्जाम परिवार में पैदा हुए थे। ...(**समय की घंटी**)... महोदया, मैं बहुत कम बोलता हूं इसलिए मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं कभी-कभी बोलता हूं।

उपसभापति: भंडारी जी, मेरे हाथ में टाइम हो तो मैं सारी रात बैठकर आपको बोलने दूं। आप जरूर बोलें

कीजिए लेकिन पार्टी के समय का सवाल है और दूसरे लोग झगड़ा करेंगे।

**श्री रामदेव भंडारी:** ठीक है महोदया।

**उपसभापति:** जो हमारे नये सदस्य आए हैं वह भी बोलना चाह रहे हैं।

**श्री रामदेव भंडारी:** महोदया, मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूं।

**उपसभापति:** आप कोशिश करेंगे तो जरूर समाप्त हो जाएगा।

**श्री रामदेव भंडारी:** कर्पूरी ठाकुर एक गरीब, नाई, हज्जाम परिवार में पैदा हुए थे। जब श्री ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षण की व्यवस्था की तो मुट्ठीभर लोगों ने बिहार में तोड़-फोड़, अराजकता, हिंसा, आगजनी का माहौल पैदा कर दिया। सारे बिहार को हिंसा, लूट और आग में झोंकने का प्रयास किया। ये लोग नारा लगाते थे-यह आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी ठाकुर की मां बिआई। ये नारा था उन लोगों का जो आरक्षण विरोधी लोग थे। यह कितने शर्म की बात है कि मां तक को गाली देने से बाज नहीं आये। मगर गरीबों, पिछड़ों, दलितों का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और बिहार में पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ।

पिछड़ों को देशव्यापी आरक्षण के लिए जब श्री वी॰ पी॰ सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो फिर देश के मुट्ठीभर लोगों और बेड़े लोगों की छाती में आग लग गई कि ऊंचे पदों पर रहने के उनके पुश्तैनी अधिकार को छीना जा रहा है। वी॰पी॰ सिंह को कौन सी गाली नहीं दी। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में आत्मदाह तक की घटनाएं हुई। पिछड़े वर्गों, दलित छात्रों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जलाया गया, प्रताड़ित किया गया और प्रचारित किया गया कि आरक्षण के विरुद्ध आत्मदाह किया गया है। मगर इस लड़ाई में भी पिछड़ों की जीत हुई और केन्द्रीय स्तर पर आरक्षण लागू हुआ। मगर जैसी जानकारी है कि अभी भी आरक्षण को सही रूप में लागू नहीं किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पिछड़ों को आरक्षण का कम लाभ मिले।

महोदया, मैं दो वर्ष तक शेड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राईब्स कमेटी का मेम्बर था। मैं जहां भी दौरे पर गया, आरक्षित पदों पर बैकलॉग ही बैकलॉग दिखाई दिया। मैं जब इस बारे में पूछता तो कहते कि सुटेबल कैन्डीडेट नहीं मिल रहा है और कुछ वर्षों के बाद उस सीट को जनरल सीट में बदल देते थे। यह एक षड्यंत्र के तहत होता था। ये शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। मगर बिहार जैसे प्रदेश ने कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद के नेतृत्व में दलित-पिछड़ों की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है और पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा की है। बिहार में वर्षों की सामंती व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारों का जो अंहकार है, सामंतों का जो दंभ है, सत्ता के बाहर होने की जो छटपटाहट है, जलन है इसके लिए वह अब सीधी लड़ाई न लड़कर परोक्ष रूप में इस सरकार को बदनाम करने और इस सरकार को हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पिछड़ों को अधिकारों से वंचित किया जाये। आज सामाजिक न्याय की शक्तियों को एक संयुक्त शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते। आज मुलायम सिंह यादव, राम विलास पासवान, कांशी राम और लालू प्रसाद यादव अगर एक शक्ति के रूप में आ जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो पिछड़ों, दलितों को सरकार में आने से रोक सके, सत्ता पर कब्जा करने से रोक सके। देश के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों ने अब साजिश को समझ लिया है और अपने अधिकारों को जानने और उन्हें छीनने की ताकत भी पैदा कर ली है। अब कोई उन्हें अपना हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता है। ....(**समय की घंटी**) बस दो मिनट और लूंगा। बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लोकप्रिय नेता श्री लालू प्रसाद यादव को एक साजिश के तहत जेल के अंदर बंद कराया गया और मुख्य मंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौज को बुलाने की साजिश की गई थी। न्यायपालिका तथा सीबीआई जैसी विश्वसनीय संस्थाओं को राजनीतिक षड्यंत्र का हथियार बनाया जा रहा है। न्यायपालिका तथा सीबीआई जैसी संस्थाओं को संदेह से परे रहना चाहिये मगर सीबीआई तथा न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोगों का आचरण, उनकी मर्यादा, प्रतिष्ठा एवं सम्मान के विरुद्ध हो रहा है। यह बहुत गम्भीर सवाल है। यह कैसा न्याय है जब श्री आडवाणी हवाला में फंसते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता? यह कैसा न्याय है जब श्री नरसिंह राव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और जब लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है?

**उपसभापति:** भंडारी जी अब आप बैठ जाएं, नहीं तो मेरे ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा कि मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया।

**श्री रामदेव भंडारी:** महोदया, बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूं।

**उपसभापति:** आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री रामदेव भंडारी: एक ही मुकदमे में डॉ० जगन्नाथ मिश्र को बेल होती है और लालू प्रसाद को जेल होती है, यह कैसा न्याय है? क्या इसलिए कि लालू प्रसाद यादव एक चपरासी का भाई है, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सामाजिक शक्तियां हैं, संविधान को, लोकतंत्र को, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिये। संविधान को और लोकतंत्र को कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में नहीं होना चाहिये। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, मायावती, कांशीराम, रामविलास पासवान जैसे आदमी इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से इस देश में सामाजिक न्याय की शक्तियां मजबूत होंगी और जो पांच प्रतिशत लोग वर्षों से इस देश पर कब्जा किए हुए हैं उनके कब्जे से इस देश को मुक्त कराया जा सकेगा और तब सचमुच की विषमता खत्म होगी और इस देश को सही आजादी भी मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, Deputy Chairperson, I feel proud to participate in this discussion while we are celebrating the Golden Jubilee of our independence. I was a boy, I was in my teens, when India attained freedom. At the age of 10, I was under the confusion whether to accept Gandhi or Subhash. झगड़ा किया अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ कि किस का नेतृत्व अपनाना है। and finally, I accepted Subhash Chandra Bose as my leader. Unfortunately, I lost my leader and there was no other go, no other go but to accept Mahatma Gandhi as my leader. Madam, since last four days we have listed our achievements of independent India. But to know independent India, somebody should know about the pre-independent India also. Then only we can compare. What was pre-independent India? Where were we? What was our position in the comity of nations when we were not even a nation at that time? We were a colony of the British Empire which was claiming that the Sun never sets on the British Empire. India has been treated as a country only to supply raw materials to the industries of the Britishers. Our industries were destroyed. Even the thumbs were cut off. The thumbs of running village industries which were spinning 150 counts yarn were cut off for the development of Lankashire and Yorkshire mills. Not even a pin was being manufactured in India. No development at all. The Britishers were not interested in the development of India. What was the position of education? It was only 18%. Only 18% in education when the Britishers left India. If we compare like this, yes, I also endorse that India has come today far away from 1947. I bow my head before all those stalwarts, leaders who are responsible in building a modern India. We cannot forget the role of Gandhiji when we think of our freedom — a fragile man. Somebody described him as: "Take out a skeleton, cover it with skin, tie a yard of cloth to its waist, put one kg. of flesh into that and put 10 ounces of blood — it is Gandhi." But, he mesmarised the whole country. What was his movement? People knowing full well that they have to face *lathi*, their property will be confiscated, they may have to face the bullets and they may have to go to jail, participated in that. Knowing fully well the end-result, they used to follow him; they stood behind him. Not like the present-day politicians. Become a NSUI member, or, a Yuva Janata member; become an MLA, or, become a Minister. Politics, today, is just to acquire some power. But the politics of pre-independent India was one of sacrifice. To give what you have, to the nation; not to grab from the nation, what you want. This is the difference between pre-independent and post-independent India.

Madam, having said this, having joined the other speakers in hailing the achievements — I do not want to quote the figures because you have your hand on the bell — I want to draw the attention of the House to some of the items. Yes; freedom came to India. But freedom for whom? Here, I want to quote one poem by a Kannada writer, who has questioned the meaning of freedom.

He says:—

'To whom did this freedom come? To what extent did the freedom come; the Independence in 1947?

This freedom came to the Tatas and the Birlas, the boots of the police, the whip of the landlords, and the pockets of the politicians.

'Freedom did not come to the poor man's house'.

'No ray of light to the poor man's hut'

'The poor man's sorrow was not removed'.

'The flower of equality did not blossom'.

The stomach of the poor man in this country is still waiting; empty'.

Madam, this is how the poet has talked about the freedom.

Yes; we have got freedom. I am appealing to the House. Please transfer this freedom to these people who have not yet seen the freedom. Forty per cent of the people of this country are still below the poverty line, according to the official statistics. Ninety per cent of them belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are poor. Living below the poverty line means, one does not have two square meals a day. What does freedom mean to him? It does not mean anything at all to him.

Even today, after fifty years, when you are introspecting, when you are looking back, can you say that this freedom has been transferred to the poorer sections of the society; Madam, more than ten lakh children are working in glass and other industries, in spite of our having enacted the Child Labour (Abolition) Act. Does freedom mean anything to these people?

आप जाइए फिरोजाबाद में वहां ग्लास फैक्ट्री में जो लड़का काम कर रहा है उसके लिए स्वतंत्रता के मायने क्या होते हैं। उसको स्वतंत्रता मिल गई? नहीं मिली।

Therefore, I say, please transfer this. Please give this Swatantrata to these people. Please transfer this Independence to these people.

Yes; freedom has come to some people. Madam, the definition of democracy is: governance of the people, governance by the people, and governance for the people. But what is happening today? Today, democracy is of the people, by the people of muscle and money, and democracy for some people. Of course, democracy is of the people. But it is by some people of muscle and money, and for some people only. What about the other people?

Madam, what is the position of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who constitute twenty-five per cent of the people? What is their position? Yes; much has been done. But a lot more needs to be done.

12.00 Noon

Even today, fifty years after our Independence, a Schedule Caste man is unable to walk with chappals on in his own street. He cannot wear chappals while walking in a village. Has he got freedom?

My predecessor has said that even today a Scheduled Caste man is not allowed to enter a temple. What meaning has he got for God who does not want his creation to enter his temple? This is one side.

But the other side is that people write: "Worshipping False Gods." The God who does not allow him to enter His temple, has no meaning for him. But, if there is another god who can give him some education, some scholarship, some food and some job and if he worships that god, writings come up, "Worshipping a false god."

Much has been talked about Panchayati Raj. Yes, you have made a Dalit woman, Laxmi Bai, Chairman of a Gram Panchayat because of reservation. Please go to the Panchayat Office. Where does she sit in the Office? Outside on the floor in the varandah, not on the Chairperson's chair. Has she got freedom? Laxmi Bai has been elected as Chairman due to reservation. You have no other go. The post is reserved. So, you have elected the Dalit woman, Laxmi Bai, as Chairman. But, when the Panchayat meeting is conducted, she sits outside in the varandah on the floor, and the Panchayat meeting goes on. Have they got freedom? Have they got reservation? Is there any meaning of freedom and reservation for these people?

We just celebrated the 50th Year of the Independence. A Taluka Panchayat Pradhan was asked to be the Chief Guest and to hoist the National Flag. Unfortunately, he was a Scheduled Caste man. Madam, he was changed. He was told, "No, you cannot hoist the National Flag. The Deputy Tahsildar will hoist the National Flag. You are a Scheduled Caste person. You may be Chairman of the Taluka Panchayat, but you cannot hoist the National Flag."

I appeal to this House and to this country. Please give freedom to these people. What respect will this man have for the National Flag if the National Flag has treated him as an untouchable? This is the thing about which

we have to introspect. If there is an introspection of the 50 years of our Independence, this is what is required.

Yes, reservations have been given. They have entered the services. Bhandariji reeled out the figures. What has happened to the backlog? Here is the statement of a Minister. This is the "ASIAN AGE" of the 4th of August, 1997. I do not want to read it. Anybody can read it. It says:

> "The Government of the day admits ill-treatment of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe officers even at the highest level."

He is not speaking of the lowest level.

एल.डी.सी. या एफ.डी.सी. की बात नहीं है, क्लास फोर की नहीं है, जो आई.ए.एस.में एंट्री होती है एस. सी. एस. टी. के बारे में ...

The Government of the day admits this. A Cabinet Minister admits this.

Madam, two widows applied for jobs to a company on compassionate grounds. The husbands of these ladies had died in harness. The rule says that if there is no eligible child, the wife should be given a job if she wants it. Both of them applied to that company. Both are equally qualified.

But, one gets the job of a clerk and the other gets the job of a peon. Why? It is because Scheduled Castes should not become clerks. They should only be peons. This is the mentality. This is what has to be changed. Yes, we got the freedom, but freedom has to be transferred. It should not be confined only to Delhi, Bangalore, Bombay or Calcutta. It has to go to the villages. The last man there should enjoy the fruits of freedom. अन्त्योदय सोपान भी चलाया हमारे देश में सर्वोदय भी हो गया। जिसका उदय हो चुका है, जिसका होना था। This freedom and the Golden Jubilee Celebrations have no meaning for the 40 per cent of the people of this country. Madam, I do not want to blame the freedom fighters or the leaders, but it is we, who have taken over the reins of the administration of the country after attainment of the freedom who are to blame. We have to ponder over, how we are administering it; how we are running the administration. We have to introspect ourselves and see how the fruits of freedom can be extended to all the 960 million people of the country.

Madam, much has been talked about the population control. We have exhibited our valour also in controlling the population. Much kudos have been paid to Kerala and Goa. Yes, because of the spread of literacy there, they have been able to bring down their population. But, here are 40 per cent of the people below the poverty line. There are no schools for them. If there are schools, there are no teachers. If there are teachers, there are no blackboards or books. In such a situation you have to take care of the family welfare programme. You are concentrating your family welfare programme on the Government employees and others. They know they cannot manage their large family. Therefore, they have reduced their number. But, here is a down-trodden man. What is it that you have created for him? He does not have a television. He does not have any means of recreation after his toil of the whole day. This is his only recreation. That is why accidental births are going on. Unless you give them the facilities and education, any amount of your efforts for their population control will be a futile exercise. If we are really serious about controlling population, as we have discussed all these three days, education has to go to those classes, which are vulnerable and have no other alternative entertainment. We have to take care of it.

Madam, we are talking so much of literacy. We are spending so much amount on education. Can we not close all the universities for one year and ask its teachers and students to go and teach in the villages? Or, can't we put a condition that they should go and teach in the villages before they are awarded degrees or, say plus-two certificates? Somebody calculated that teaching is done for 148 days in a year. So, let the students take this up on a mass scale and educate the people in the villages. After the issue of the certificate, they also wait for some time to get a job. What is wrong in postponing the degree for one more year? Put him on the job — go to the villages and teach.

Can't we do that? We have to think over it. It is not done by holding small classes sitting in a room.

This should be on a mass scale. It is still 38 per cent. Thirty eight per cent means nearly 36 crores of people which we had inherited on the day of Independence. Today, there are 36 crores of people illiterate. Let us use this machinery, university teachers or college students. Every year teachers get 3 months holidays. Why should they get their salaries for holidays? Why should we not tell them to go to the villages and teach the illiterate people? Even if universities or colleges or schools are closed five months in a year, they get their salaries. More than teaching, they indulge in politics. We can utilise their services to eradicate illiteracy in villages. That is one resource for this thing.

Madam, I had promised that I would conclude within two minutes, I will stick to it. I only appeal to our countrymen, please introspect and please transform these things. Actually in 1930 at the Round Table Conference, Baba Saheb Ambedkar said on the face of the Prime Minister of Great Britain, "You have to get out of India. To whom are you giving powers? To whom are you entrusting the freedom or transfer of power? Are you giving it to those people under whom we have suffered for thousands of years? Today, even after 50 years of our Independence, the suppressed and depressed people should not have that feeling. I don't think that we should have that feeling. We should not have that feeling, but the responsibility lies upon us. Even today's man agrees with what Baba Saheb Ambedkar had said in 1930 while transferring power, "You get out of India. We are your subjects. You have to take care of us also while transferring power. Don't put us into the hands of people who have suppressed and depressed and pushed us down." But I don't want to rake up that issue. But it is our responsibility to see that those people should not feel that they are suppressed or denied freedom by the people who are administering this country, this free India for the last 50 years. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kuldip Nayar. This is your maiden speech.

SHRI KULDIP NAYAR (NOMINATED): Is there any time-limit?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It depends on the House.

SHRI KULDIP NAYAR: Madam Deputy Chairman, I am very obliged to you for giving me this opportunity. Fifty years ago I came from Sialkot city which is now part of Pakistan. Then, I was a young man of 22 years. I had just finished law and was looking forward to the independence of my country. Well, partition took place. I will not dilate on partition as such. But I had to leave my home. My parents came later, my brothers came later. I was part of a convoy which crossed into India. While sitting in Sialkot, I never realised how many people had been killed, how much destruction had taken place. Only when I joined the sea of humanity I realised how bad was situation. Some people were coming from that side, they were Muslims and we were non-Muslims, Hindus and Sikhs crossing from this side into India. I could see the evidence of murder and worse because there were dead bodies, looted luggage, burnt vehicles on both sides of the road. One strange thing had happened, when our convoy was nearing the border, a similar kind of convoy was coming from that side. They were Muslims, we were non-Muslims. We had stopped just to look at each other.

Nobody raised any slogan. Nobody expressed anything. Just we stood silent. They too had been broken on the wrath of history. We were both refugees. They had left their hopes, homes and hearths behind. So had we our friends and neighbourhoods. But it was a strange kind of kinship—a kinship not of loss so much as a kinship of hurt. And I recall, when I crossed into India, Amritsar city, I was full of vigour, enthusiasm. I told to myself, "Now, we are going to build a country where nobody will be killed because he happens to have a different religion". I had seen it— in the name of religion, one million people were butchered; 20 million people were uprooted. I said, "This country of ours, a new country, with such a great national movement, with that kind of ethos, is going to be a really democratic and secular country". The first thing I did in Delhi was to go to the Birla House. I did not go near

Mahatma Gandhi. He was pacing up and down in a verandah. I saw him from a distance. I wanted to see the man who has not only given us Independence but also dignity. I remembered, as a child, when I participated in one of the national movements, a white man had caned me and that had stuck in my mind. Here was a man who gave me the opportunity to tell that man, "Look here, you don't count any more". I attended two or three prayer meetings, of Gandhiji. In fact, this is one of the prized assets I have. When I meet my children, grandchildren, I tell them, "Yes, I saw Gandhiji with my own eyes." So, this is one of my prized possessions. When I attended those two or three prayer meetings of Gandhiji, he said, again and again, two things. One was that the Hindus and the Muslims were his two eyes. He said, "When you find how much the country has progressed, find out how the lowest or the poorest has really come up." Today, in 50 years, we have to look back. There is no use blaming anybody. There is no use attributing motives to anybody. I am only trying to find out where we went wrong and what kind of a country we are thinking of, some years hence because a person of my age has not many years to live. But young people, and many of you, may see many more years. What kind of a country are we thinking of? And why have things gone wrong?

I am writing these days a book on Bhagat Singhji about the new generation. A reference comes in that book where he is writing a letter to her mother. He used to write in Urdu.

-''माँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि एक दिन हम आजाद होंगे। लेकिन, माँ, मुझे डर है कि इस आजादी में व्हाइट साहब तो चले जाएंगे, ब्राउन साहब राज करेंगे।''

At the age of 21 years, in 1929, Bhagat Singh had said this thing. I don't see any picture of Bhagat Singh in the two Houses of Parliament. I think this is the minimum one would do to pay homage to those people who had gone to the gallows for the sake of the country. But then as I see in the last fifty years—I have been a journalist, for the last forty-five years—I have seen all these leaders grow up before me, grow up in importance, grow up in age. I used to be the press officer of Gobind Ballabh Pant Ji and then of Lal Bahadur Shastri Ji. I give you one instance. I went to Pakistan, but there was confusion about my papers. So I had to fly to Afghanistan—Kabul—. I took the opportunity to meet Abdul Ghaffar Khan. This was in the early seventies. He was living in a hut. The place had no furniture. There were just a few earthen vessels, two, three *kurtas, pyjamas* were hanging over a bamboo. When I said: "Aadaab." He said:— ''हिन्दुस्तान से आए हो?'' मैंने कहा – ''जी, बादशाह खान।''

''यह बताओ, सुना है कि गुजरात में बहुत दंगा हुआ।'' मैंने कहा – ''जी, हुआ।''

''सुना है कि बहुत मुसलमान मारे गए।'' मैंने कहा – ''जी हां, मारे गए जरूर।''

''हमने तो सोचा था, गांधी ने और हमने, कि जब यह आजादी मिलेगी तो यह बातें खत्म हो जाएंगी।'' मैं शर्म से सिर झुकाए रहा, कुछ और नहीं कहा।

But he made a very painful remark which has always stayed with me. He said: "Did we fight for independence for this kind of a system where people would be considered inferior, where our people would be killed just because they have a different religion? Today, unfortunately the caste has also been added. Ladies and gentlemen... (*Interruptions*) I am so sorry. I am new to this place.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Never mind. You will get used to the Chair.

SHRI KULDIP NAYAR: I am trying to say that looking ahead, what would I affirm on the basis of my profession? Now, journalism is one of the pillars on which the Parliamentary Democracy rests.

That is the fourth estate. I am not saying, "We have been good and you have been bad". Believe me, I am not saying that at all. What I am trying to say is if this profession has faltered at times, it is because the society has faltered, politicians have faltered or, may be, we are also part of the same society. There was a time when there was no Press here. I hope that time would not come again. I think somebody said at that time that journalists were asked to bend and they began to crawl. I think there was very much a point in that observation because most of us, most of the journalists, really did not rise to the occasion and we became part of the

system. Today also, sometimes, I feel that journalists have become too much of conformists. They do not question. They just accept official versions. We should be really questioning these things. In that connection, I think, the right to information is very important. But what is the purpose of keeping so many reports secret? The Nenderson Brook Report on the 1962-War with China is still, secret. The Thakkar Commission Report, which told something is still secret. The Bofors papers are still secret. There are so many reports which are secret. Why? So far as the Vohra Report is concerned, only one portion has comeout. Why should it not be made public and transparent? The Prime Minister has said that he believes in a transparent Government. Why should not all these reports be made public? What is the problem? So far as the right to information is concerned. I believe that the Government is going to bring a Bill very soon. I have found there that an officer can withhold information in public interest. What is the purpose? Who is he to decide that it is not in public interest to disclose something? If he has to do it, there should be some mechanism where by he should explain that this is in public interest and if it is challenged, there should be some method to decide this not by the executive but by some other body. When I talk of right to information, I would like to extend it, to cover all the money which is spent on developmental work, all the registers, muster-rolls, bills etc. should be open to all and they should not only be open to all in Delhi but at every Panchayat Headquarters. People in villages should be able to see what is spent on them. The Rajasthan Chief Minister, Shri Shekhawat, has reluctantly agreed to make accounts public. Not everything, I am happy that at least he has agreed to a part of it. Human rights activists had to wait for three years. But these should be a Central legislation because one Prime Minister did say in this House and in the other House, "रुपये में सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं लोगों तक" But where do the eighty-five paise go? We should be able to find it out and all the photostat copies should be available. I think we, Members of Parliament, should declare our assets. I promise in this House that I shall make my assets public by the 30th September this year. I shall place it before the House and make public whatever I possess. It should be not only for me, it should be for all Members, for all editors and, all those who occupy high positions. This will help us to fight corruption to some extent, if not to a great extent. A lot of people are making money in some way or the other. That is another question.

Another thing which I would like to mention and which relates to journalism is the invasion from the sky.

Lots of things are coming from the sky and these are the outsiders. I think we should have a media commission to look into all these matters. We had one Press Commission about 20 years ago. After that we do not have any. We should have a Media Commission to go into all aspects of print and electronic Media. Not only that; I also find that in journalism a tendency is coming that people earn money from somewhere else and they invest in newspapers. Krishna Menon used to call it Jute Press. Well, whatever name you may give it. There should be some way to find out who is really controlling newspapers. That is why there should be Media Commission and the Press Council should be converted into a Media Council so that this covers all aspects of print as well as electronic media. Madam, the person who gave us the Constitution, Dr. Ambedkar, in his last speech in the Constituent Assembly gave some points which were relevant. He warned India, I quote, "India could lose its democratic system if it did not pay attention to two things. One, equality on a social plane and two, inequality in the economic field." On the social plane he said, "We have a society based on the principle of graded inequality which means elevation of some and degradation of others." After 50 years of independence nobody can deny the existence of such a situation. I am not really dilating on the nexus between criminals, politicians and the mafia and all those in police what I am suggesting is now to take away the influence of politicians on police. That is very basic. This can be done. I think the Dharmavira Committee had made the suggestion that if you could ensure the tenure of police officers and

if they are not often transferred, which happens at a lot of places, then this could be done. I personally think that some way should be found whereby we constitute a Security Commission which comprises of the Chief Minister, the Opposition Leader, the State Chief Justice to control transfer and tenure. Yet if the nation has to preserve the fundamental values of a democratic society, every citizen has to be vigilant. Without awareness of what is right or what is wrong, the very desire to act rightly may go. I found during the emergency this line between moral and immoral, the line between right and wrong had got erased and there were very few people to speak against it. Let us see that we revive that kind of value system in the country. I remember hearing Jawaharlal Nehru, saying: "Tomorrow's India has to have large farms, laboratories, factories, dams but if it, in the process, loses its heritage, loses its moral values, what is that country for?"

That was Jawaharlal Nehru about whom people said that he was a socialist. Yes, probably he had a different kind of socialism in mind. But this was what I envisaged about my country, Madam Deputy Chairperson, it would be democratic country, it would be a country where all citizens would really be believing in a society which was secular — and a society in which disparities between castes, disparities between the upper and the lower, disparities on the basis of wealth, will go away. Jayaprakashji put this duty on the rulers and he said if salt loseth its flavour, who will savour the salt.

So, with one couplet I shall finish my speech. Through this couplet I want to say how I want to see my country because fifty years ago I saw people being killed in the name of religion and I didn't see any compassion among the Hindus, nor generosity among the followers of Islam. They were all Brutes. I am not saying that you don't believe in religion. Believe in religion, but that is our own private affair. Let us not mix in with politics. When I was the High Commissioner briefly in London, Mrs. Thatcher was the Prime Minister, I met her on the day she had returned from Moscow. I asked her, "Madam Prime Minister, how was Gorbachev?" She said, "Gorbachev said the country is slipping from his hands". She said she told him, "Go to your friends, go to India, where for centuries they have held the nation together despite various religions, castes, languages and regions". She told me, "Mr. High Commissioner, your family ties are very important." I said, "Yes, Madam Prime Minister. But it is our sense of tolerance that is more important. We don't think in terms of black and white. We do believe that there is grey area. It is tolerance, the spirit of accommodation, which has held us together". Jew leaders in London came and met me. They said, "India is the only country where no discrimination has been shown against the Jews. It has happened in America, Britain and everywhere. But this is the only country where it hasn't happened". I felt very proud of that.

The couplet which I was going to read out is what India means to me.

"चमन में इत्तफाके रंगो बू से बात बनती है,
तुम्ही तुम हो तो क्या तुम हो,
हमी हम है तो क्या हम है।"

We Indians may belong to whatever religion, caste, etc. We are all together, because to me India, from Kashmir to Kerala, is my country and nobody can take away any part of this country.

I end with a compliment to a young *sardar* — I forget his name — he got the highest award in the country for bravery on the Siachen glacier and I went to his village.

मैंने कहा कि "बेटे, इतनी बहादुरी दिखाई, तुम्हारे मन में क्या था?" कहने लगा, "बाबूजी, ऊपर तो भारत माता याद आती है।"

This belief of 23 year old soldier, I think is a lesson for all of us. Thank you very much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the time which was left for yesterday, we have consumed. Now, we will start from today. So, I have a new list of all the old names put in with the new time. So, I call the first speaker, Shri Wasim Ahmad.

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): Madam, my name was there in the old list.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it is there. All the names which were left over

yesterday, have been shifted into the new list because the other parties' time was left, so that everybody can speak. I want that anybody who has not spoken even once should get a chance to speak so that they can at least make some contribution. Shri Wasim Ahmad. यह तालियां उनके लिए बजाई हैं कि मेरे लिए बजाई हैं?

**श्री वसीम अहमद** (उत्तर प्रदेश): महोदया, आपके लिए बजी है। डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मै सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि वह मैंबर्स जो अभी तक नहीं बोल पाए थे, आपने हाउस को ऐक्सटैंड करके उन तमाम लोगों की हिम्मत बढ़ाई और उनको बोलने का मौका दिया। जिस टॉपिक पर आज हम लोग कल से लेकर आज तक बहस कर रहे हैं, पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी पर यह टॉपिक यकीनी तौर पर एक अहम टॉपिक है ताकि मुल्क में बदलते हुए हालात, मुल्क के अंदर जो पचास साल की आजादी हम मना रहे हैं, इसको सही मायनों में तजज़िया कर सकें, इसका लेखा-जोख कर सकें और इसको ईमानदारी के साथ हम एनालाइज़ कर सकें। आज आपने जो मौका मुझे दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैडम, मुल्क की जमहूरियत की आज हम पचासवीं सालगिरह मना रहे है और यह पचासवीं सालगिरह आज मुझ जैसी नस्ल का वह नौजवान जो आजादी के बाद पैदा हुआ, उसको यह मौका मिल रहा है कि आज आजादी के पचास साल के मौके पर अपनी बात ईमानदारी के साथ और दिल से कह सकें। जो कौम अपना तजज़िया नहीं करती है यानी एनालिसिज़ नहीं करती है और अपने गुजरे हुए जमाने को याद नहीं करती है, जो हमारे अपने पुरखों ने, पूर्वजों ने, बुर्जुगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसका ईमानदारी के साथ तजज़िया नहीं करते है, वह आगे की तरफनहीं देख सकते हैं। इसलिए 50 साल की तारीख को अगर हम गौर से देखें और उसका तजज़िया करें तो हमें यह लगता है कि आज से 25-30 साल पहले एक खास तबके और खास पैसे वाले लोग जिनका कि समाज पर एक असर था, उस तबके के लोग इस पार्लियमेंट में आया करते थे, यह भी हमारी ज़महूरियत की देन थी और आज भी यह जमहूरियत की देन है कि आज इस मुल्क में वह लोग जो जरा सी मेहनत करें, वह ईमानदारी के साथ इस मुल्क की पार्लियामेंट में आ सकते हैं और अपने मुल्क के लिए ईमानदारी के साथ सजेशन दे सकते हैं। मुल्क की जमहूरियत का अगर हम तजज़िया करें तो कई चीज़ों को हम देख सकते हैं। खास तौर से यह वह जमाना है जिस जमाने में हमारे मुल्क में इमरजेंसी लगी थी और यह हमारे मुल्क जमहूरियत की खूबी है कि हमारी जमहूरियत इतनी डीफ्रूटिड है कि वह दौर जो इमरजेंसी का दौर था और डैमोक्रेसी को खतरा पैदा हो गया था। ये अवामी ताकत थी जिसने इस मुल्क में फिर इलेक्शन कराने पर लोगों को मजबूर किया और इस मुल्क में दुबारा फिर जम्हूरियत कायम हुई जिस जम्हूरियत के लिए हमने सन् 1947 में लड़ाई लड़ी थी जम्हूरियत के मायने सिर्फ यह नहीं है कि हम अपने को ईमानदारी के साथ देखें। और हमें यह भी देखना होगा कि इलेक्शन के जरिए किन लोगों को हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं। यह भी तमाम पालिटीकल पार्टीज को ईमानदारी के साथ देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर करप्ट और क्रिमिनल्स हावी हो जायें? यह पालिटीकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है कि वह किस किस्म के कैंडीडेट्स को टिकट दे रहीं है। अगर उन्होंने पढ़े-लिखे, ईमानदार, समझदार, सच्चे और अच्छे लोगों को टिकट दिए तो हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। आज हमें ईमानदारी के साथ इस बारे में सोचना होगा कि आज मुल्क की सियासत भी बदली है, मुल्क के हालात भी बदले हैं और आज इस मुल्क में एक नया दौर आ गया है सन् 1990 के बाद, इसकी बुनियाद तो 1967 में ही लोगों ने डाल दी थी, जब डा. राम मनोहर लोहिया जी चाहते थे कि इस मुल्क में दबे-कुचले शोषित, गरीब का इस मुल्क की डेमोक्रेसी पर कब्जा हो। सन् 1990 में वी.पी सिंह साहब की सियासत ने इस मुल्क में एक ऐसी सियासी तब्दीली की जिसने तमाम सियासी रूपरेखा, ग्रामर को बदल दिया। आज यह दौर आ गया है कि मुल्क के दबे, कुचले, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और समाज के उच्च वर्गों के वे लोग जो कि ईमानदारी के साथ अपनी जिन्दगी बसर करना चाहते हैं, जो ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं वे इस मुल्क की पार्लियामेंट में आयें और अपने मुल्क की खिदमत करें। इस मुल्क की सियासत बदली है, हालात बदले हैं, चीजें बदली हैं। अब हमें चाहिए कि ईमानदारों के साथ हम अगले 50 साल के लिए अच्छी मिसालें कायम करें। हम पर जो एलीगेशन लग रहे हैं इससे आज पूरे मुल्क में ऐसा लगता है कि करप्शन में हम घिर गए हैं, पूरा सिस्टम हमारा करप्शन में इन्वाल्व है। यह मैं सिर्फअकेली पार्लियामेंट में नहीं कहना चाहता हूं। हमें देखना होगा कि इसमें जुडिशियरी का क्या रोल है, इसमें एक्जीक्यूटिव का क्या रोल है? एक जमाना था जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो लोगों के दिल में डर पैदा होता था, सरकारों के दिल में डर पैदा होता था

परन्तु आज वह डर हमारे दिल से खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं हमें लोगों का, किसी न किसी लेवल पर प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर हमने करप्सन को प्रोटेक्शन दिया, अगर हमने करप्ट लोगों को प्रोटेक्शन दिया, अगर हमने क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन दिया और गलत तरीकों से पैसा कमाने वालों को प्रोटेक्शन दिया तो हम अपनी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचायेंगे।

मैं जानता हूं कि आज से 20-25 साल पहले कोई क्रिमिनल किसी पोलिटिशियन के घर नहीं जा सकता था। जब हमने अपनी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर करप्ट और क्रिमिनल्स का इस्तेमाल किया तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज बहुत से लोग, असेम्बलीज में और पार्लियामेंट के अन्दर आ बैठे है।, इसके बारे में हमें ईमानदारी से सोचना चाहिए। तमाम पोलिटीकल पार्टीज इस बात को देखें कि हम किस किस्म के लोगों को पार्लियामेंट में भेजें। हम अपने मुल्क की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी आगे आए जिससे कि एक नया हिन्दुस्तान, एक मजबूत हिन्दुस्तान, एक सच्चा हिन्दुस्तान बनाया जा सके। हम 1947 में आजाद हुए हैं और हमारी डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है वह बहुत मजबूत है क्योंकि हमने डेमोक्रेसी अंग्रेजों से लड़कर ली थी। हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जो खिदमत इस मुल्क कि की है उसी प्रकार से हमारी नई पीढ़ी ईमानदारी के साथ इस मुल्क की आगे खिदमत करे जिससे कि जब हम अगली सदी में एन्टर हों तो ईमानदारी के साथ हम अपने मुल्क को एक नया रास्ता दिखा सकें। और पूरी दुनिया के अंदर हम ये बता देंगे कि अब यह मुल्क वह मुल्क है जो समाज के हर तबके को बराबर लकर खड़ा कर रहा है समाज के हर तबके को इज्जत और एहतराम दे रहा है और समाज के हर तबके को उसका हिस्सा मिल रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आज इस मुल्क के अंदर अगर हमने पॉपुलेशन पर गौर नहीं किया और अगर हमने इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किसी स्टेज पर रोकने की कोशिश नहीं की तो इस से मुल्क में हम और मसाइल पैदा करेंगे। आखिर में यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए सच्चाई के साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशन्स हैं चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे ज्यूडीशियरी हो, चाहे एग्जिक्यूटिव हो, ईमानदारी के साथ अगर इनके फैसले को मानेंगे तो हम इस मुल्क को मजबूत करेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें वह दिन भी नहीं भूलना चाहिए चाहे वह इमर्जेन्सी की बात हो और चाहे बाबरी मस्जिद को गिराने की बात हो पार्लियामेंट में जो वायदे हम लोगों ने किये और एग्जिक्यूटिव ने जिस चीज को नहीं रोका, इस पर उसको चाहिये कि इन चीजों की माफी मांगे और माफी मांगने के बाद आइन्दा के लिए तय करे कि आगे आने वाला वक्त सच्चे ईमानदार और अच्छे लोगों का होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला:** आजादी की सालगिरह की इस पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हम आज आभार प्रकट करते हैं उन हजारों शहीदों का जिन्होंने अपना खून देकर हमको यह आजादी दिलाई और आजादी के फलस्वरूप ये संविधान जिसमें हमारे विभिन्न अधिकार दर्ज हैं, हमको दिया है। आज संसद के दोनों सदन इस बात पर आकलन कर रहे हैं कि आजादी के 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। प्रजातांत्रिक प्रणाली द्वारा हम कई जटिल समस्याओं, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने में कामयाब हुए। खासतौर पर अनाज की पैदावार में स्वावलम्बन ने देश को एक बहुत बड़े कलंक से बचाया है और आज देश स्वंय स्वावलंबी है और दूसरे देशों में अनाज भेज रहा है। इसी प्रकार से देश में मूलभूत बुनियादी उद्योगों का ढांचा तैयार करने और साइंस और टैक्नॉलोजी के क्षेत्र में देश ने व्यापकतौर से तरक्की की है। पिछले 50 सालों में जो हम सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सके, वह थी कि जिस देश में सैकड़ों, हजारों किस्म की जातियों और धर्म के लोग बसते है और भिन्न भाषाएं बोलते हैं, उस देश को हम इकट्ठा रख सके और अपने प्रजातंत्र को भी हम समुचित तौर से बचा सके। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं पिछले 50 सालों की। इसके साथ ही आज 50 साल गुजरने के बाद भी 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 50 साल गुजरने के बाद आज इस देश में महिलाएं और पुरुष अपने सिरों पर मैला ढोते है। 50 साल गुजरने के बाद भी आज देश में अनपढ़ता, बढ़ती आबादी, जाति-पाति की लानत, व्यापक भ्रष्टाचार जैसी खतरनाक बीमारियों का समाधान करने में हम बतौर एक कौम, एक राष्ट्र असफल रहे हैं। यह निहायत ही दुख की बात है। महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर केवल हिन्दुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल जो चार रोज पहले छपा उसमें अमरा कौपी ने 'दिल्ली डायरी' कालम में लिखा है कि 22 अगस्त को दिल्ली के स्कूलों की एक विचार-गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी का विषय अंग्रेजी शासन के दो सौ साल और हिन्दुस्तान की आजादी के 50 वर्ष था। इस आकलन में जो दो विद्यार्थी पहले और दूसरे

नम्बर पर आए, उन दोनों ने हमारे वर्तमान ढांचे को जिस बुरी तरह से लताड़ा उसके ऊपर उसने यह बात कही। उसमें कहा गया है कि इन दोनों विद्यार्थियों ने यह कहा कि आज 50 साल प्रजातंत्र के गुजारने के बाद भी एक प्रांत की एक महिला मुख्य मंत्री ऐसी है जो 75 हजार जूतों की जोड़ियां रख सकती है। एक और प्रांत के मुख्य मंत्री जो हैं वे अपने स्थान पर किसी महिला को गद्दी पर बिठा सकते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि आज झूठ और बेईमानी का जो प्रचार और प्रसार हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने इसके मुकाबले यह कहा कि अंग्रेजी शासन के 200 साल में कम से कम अंग्रेज जो थे वे ढोंगी और खुशामदी नहीं थे। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में कभी यह दावा नहीं किया कि वह पूरी तरह से लोगों को बराबरी के दर्जे पर लाकर खड़ा कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सुनने वाले थे, जो श्रोता थे उन्होंने बड़ी जोरदार तालियों से इन दोनों विद्यार्थियों का स्वागत किया। यह हमारे आंखें खोल देने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। देश में राजनैतिक अपराधीकरण जिस तेजी से हुआ है, भ्रष्टाचार ने जो व्यापक रूप धारण किया है वह हमारे देश की पूरी उपलब्धियों को गहरे गड्ढे में धकेलने के लिए काफी है। उपसभाध्यक्ष जी, पहले तो अपराधी चुनाव में उम्मीदवारों और राजनैतिक पार्टियों की मदद करते थे ताकि चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद वे अपनी आपराधिक गतिविधियों को आसानी से चला सकें, खुले तौर पर उस पर अमल कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कई सालों में अपराधी स्वयं राजगद्दियों के ऊपर बैठे हैं। ऐसी व्यवस्था में जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि कानून के द्वारा राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से इस सदन में करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, जो खुद शासक हैं, अपराधी हैं और भ्रष्ट हैं, अगर वे गद्दी पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज करेगा, उनको गिरफ्तार कौन करेगा, उनके खिलाफ गवाही कौन देगा और कौन उनको सजा देगा। इसलिए जाहिर है कि जो बीमारी है वह बहुत गहरी है और इसका समाधान भी हमें बहुत सोच-विचार के साथ तलाश करना पड़ेगा।

महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले जो विद्वान और अनुभवी सदस्य हैं उन्होंने बहुत मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैं उनको दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं कुछ सीमित मुद्दों पर अपनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं जातीयता का जो हिन्दुस्तान के समाज के माथे पर [illegible]क है और विशेषतौर से हिन्दू समाज के माथे पर [illegible] चर्चा करना चाहूंगा। जातीयता समाज को बांटता है, [illegible]र बड़े में, नीच और ऊंच में।

1.00 P. M.

जातीयता मनुष्य में आत्म-विश्वास को पंगु बनाती है और हीन भावना पैदा करती है। जातीयता प्रतिभा, मैरिट और टेलैंट की हत्या करती है क्योंकि जातीयता स्वयं में एक मेरिट बन जाती है। जातीयता दंगे करवाती है। जातीयता प्रजातांत्रिक प्रणाली का हनन करती है। वर्तमान चुनाव प्रणाली ने इस भावना को बहुत बढ़ावा दिया है, यह सभी लोग जानते हैं। आज राजनैतिक दल जाति के नाम पर टिकटें बांटते हैं। आज जाति के नाम पर हल्के बने हैं। आज जाति एक वोट बैंक बन गया है। आज जाति के आधार पर देश में प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री और मंत्री और दूसरे लोगों को बनाया जाता है। इस प्रकार से जाति का जहर हमारे समाज के नस नस में चला गया है। बड़े शर्म की बात है कि जाति के नाम पर सम्मेलन होते है। ब्राह्मण सम्मेलन, अग्रवाल सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, गुजर सम्मेलन, यादव सम्मेलन, जाट सम्मेलन और कितने ही सम्मेलन, गिनवाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा दुख की बात है इन सम्मेलनों में राष्ट्रपति से ले कर मुख्य मंत्री, मंत्री और विधायक तक इन सम्मेलनों को सुशोभित करते हैं, मुख्य अतिथि बनते हैं। हमारा मीडिया जिस प्रकार से प्रचार करता है, इन सारी बातों को, इस जहर को आप समाज से कैसे दूर कर सकते हैं। मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि इस संकीर्ण भावना पर अंकुश लगाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह ने एक बार सार्वजनिक तौर पर यह बात कही कि समाज को और सरकार को भी अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन अफसोस की बात है, यह बात आगे नहीं चली। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि इस जाति के कलंक को इस समाज और देश से दूर करने के लिए नाम के आगे और पीछे जाति और उपजाति के प्रयोग पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिये ताकि नाम और नाम-प्लेट से यह पता न लगे कि इसकी कौन सी जाति है। जाति विशेष के नाम पर ... (व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष: (श्री सनातन बिसि)**: देखिये, आपका टाइम हो गया है।

**श्री एस० एस० सुरजेवाला**: वाइस चेयरमैन साहब, मेरी पार्टी का टाइम भी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कोई इररेलेवेंट बात नहीं बोल रहा हूं। मैंने और

लोगों को बोलते हुए सुना है। आप कृपा कर के मुझे पांच मिनट में अपनी बात खत्म करने दीजिये। मैं कोई इररेलेवेंट नहीं बोल रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष** (श्री सनातन बिसि): आपकी बात तो रेलेवेंट है, मैं मानता हूं।

**श्री एस० एस० सुरजेवाला**: मेरी पार्टी का टाइम मुझे मिल सकता है। स्ट्रिक्टली टाइम की कोई ऐसी बात आपस में नहीं है।...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I am realising that you are speaking very relevant points. There are altogether 15 speakers of your party who have to be adjusted in two hours and twelve minutes.

**श्री एस० एस० सुरजेवाला**: टाइम इंटर-से हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जाति विशेष के नाम पर संस्थाओं के नाम रखने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। नौकरी और दाखले में जो जाति के नाम पर आरक्षण है, उसको खत्म कर के सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक दरिद्रता का मापदंड होना चाहिये। अगर हमारा सदन उचित समझे तो इस कलंक को मिटाने के लिए सदन की एक कमेटी बना सकते हैं जो यह बता सकती है कि कौन से ऐसे कायदे और कानून बनाए जाएं जिससे जातीयता का कलंक इस प्रजातंत्र और समाज के माथे से मिट जाए।

महोदय, मैं केवल दो शब्दों में कहना चाहूंगा कि दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसने प्रजातंत्र और समाज को खोखला कर दिया है, वह है व्यापक भ्रष्टाचार, राजनैतिक अपराधीकरण। राजनैतिक अपराधीकरण के आंकड़े तो जी.वी.जी. कृष्णामूर्ति जी ने दिये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात उन्होंने यह कही कि अगले चुनाव वह कायदे और कानून में करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे, यह संदेह की बात है। तो यह बड़ी चिंता का विषय है। श्री मनोहर सिंह गिल की इस घोषणा का तो मैं स्वागत करता हूं कि अपराधी जो है, जो कन्विक्ट है जो सजायाफ्ता है उनको खड़े नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन यह बात आटे में नमक के बराबर है। दरअसल में राजनीति में भ्रष्टाचार का जो कारण है, अपराधी जो आते हैं और मेरे ख्याल में जिसने अपराध को ज्यादा प्रोत्साहन दिया है वह है चुनावों में अनगिनत खर्च। सरकार बनाने और चलाने के लिए ढेर सारा काला धन चाहिए। वह कालाधान, सांसदों और विधायकों को किंग मेकिंग और अनमेकिंग के अधिकार, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्रियों को बदलने के जो अधिकार आज हमारे विधान ने दिए हैं उनके बारे में विचार किया जाए। संसद का उनके ऊपर कितने प्रतिबंध लगाया जाए ताकि रोज के रोज ये मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए नाजायज से नाजायज बात जो आज करने के लिए तैयार है और करते हैं वह सबको पता है, वह न करें।

मैं अंत में यह बात कहना चाहता हूं कि बड़े खेद का विषय है कि पिछले 10 साल में संसद ने चुनाव सुधार संसद के एजेंडा में होते हुए भी, उस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। हम सब, सारी पार्टियां और संसद के सारे मेम्बर्स जो आज है और पीछे रहे हैं, इस बात के लिए दोषी हैं। शायद हम इतने शक्तिविहीन हो गए हैं कि हम निर्णय लेने में टोटली विवश हैं। हमारे बस की बात नहीं है। चुनाव प्रणाली में मूल भूत तब्दीली करके उसको कानून की शक्ल देनी चाहिए। चुनाव खर्चों पर अंकुश लगाया जा सकता है। टी.एन. शेषन ने दो साल पहले जब महाराष्ट्र और दूसरी जगह चुनाव हुए, मैं भी पर्यवेक्षक था महाराष्ट्र में, तो मुझे पता है किसी पार्टी ने अपने चुनाव का दफ्तर नहीं खोला। उम्मीदवार के साथ मैं भी 5-5 किलोमीटर गांवों में पैदल गया। कोई गाड़ी नहीं थी। लोगों ने कोई पोस्टर झंडे वगैरह नहीं लगाए थे। उसी कानून के, वर्तमान कानून के होते हुए अगर टी.एन. शेषन यह लागू कर सकते हैं – चुनाव खर्चों में कमी तो फिर आज भी चुनाव कमीशन को यह करना चाहिए और पार्लियामेंट में कानून पास करना चाहिए।

मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार चुनाव का खर्चा बर्दाश्त करे तो बेइमानी खत्म हो जाएगी। सवाल चुनाव के खर्च का कम है, ज्यादा सवाल यह है कि जो कालाधन जिन्होंने एकत्रित करके रखा है जब वह आपके मुकाबले में चुनाव में उसको इस्तेमाल करेगा, शराब की नदियां बहेंगी तो फिर आप सरकार के दिए गए रुपए से क्या कर सकते है। सवाल उसको रोकने का है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और हम स्वयं भुक्तभोगी है। हमको पता है हमारे अपने क्षेत्र में पांच-पांच सौ रुपए के नोटों की बोरियां आई और शराब की नदियां बहीं। यह सारा दृश्य हमने देखा है और भुगता है। इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार, अपराध की परिभाषा, उसकी सजा और उसके सबूत का दायित्व इन सबको बदलने की जरूरत है। इनकी परिभाषा बदलने की जरूरत है। इसी प्रकार से मैं स्वागत करूंगा कि टाटा जो घराना है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है – चुनाव ट्रस्ट। उसको पूरी तरह से देखने की जरूरत है। कम से

कम एक शुरुआत है उस बात की चाहे उसमें कई कमियां भी हों।

अंत में गरीब और अमीर के बीच खाई, बढ़ती जनसंख्या और अनपढ़ता, जब तक ये तीनों चीजें रहेंगी तब तक इस देश में प्रजातंत्र की कामयाबी का कोई सवाल नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आर्थिक विषमता एक अभिशाप है, कलंक है जिसके रहते विधान और अधिकार एक कागजी कार्यवाही, एक कागज के पुर्जे से ज्यादा नहीं है। सड़क के ऊपर सोने वाले, सड़कों पर मिट्टी खोदने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो करोड़ों-करोड़ लोग है उनके लिए चुनाव और आपके विधान में लिखे हुए जो अधिकार है उनके कोई मायने नहीं हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि राष्ट्रीय आम सहमति से एक कार्यक्रम तैयार किया जाए जिसको राष्ट्रीय अभियान के तौर पर युद्ध स्तर पर समयबद्ध, एक टाइम के अंदर लागू किया जाए। 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले जो तीन साल बचे हैं अगर यह सदन, अगर ये दोनों हाउस यह चाहे कि जो हम कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, सच है तो आओ तुरंत फैसला करें इसी सेशन में...।

हफ्ते-दस दिन के बाद दोबारा बुलाया जा सकता है और यह प्रोग्राम बनाओ, निर्णय करो अगले तीन साल के अंदर अनपढ़ता, गरीबी और जो भ्रष्टाचार है और ये जो सारे अभिशाप हैं इनको खत्म करने के लिए आर्थिक विषमता को, गरीबी को और अनपढ़ता को और बढ़ती जनसंख्या को, इनके लिए तीन साल का टार्गेट मुकर्रर करके पूरी कौम को सब बातें प्राथमिकता के तौर करके पूरी तरह से इस पर हमला करना चाहिए और इसका एक लक्ष्य बनाना चाहिए। अंत में मैं ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपने अंत दो दफा बोल दिया ...(व्यवधान) मैं अधिक समय नहीं दे सकता।...(व्यवधान) इतना समय मैं नहीं दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला: हमारे नेता जितेन्द्र प्रसाद जी ने जो सुझाव दिया था मैं उसका समर्थन करता हूं जब तक दोबारा से हमने जो आज चर्चा की है 5-6 दिन जो करेंगे दोनों हाउस उसके मुद्दों के तौर पर अगर उनका हम समाधान नहीं निकालेंगे और कानून की शकल नहीं बनायेंगे, कोई अंतिम निर्णय नहीं लेंगे, एक्शन प्लान नहीं करेंगे तो बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं उनके महा-सम्मेलन के सुझाव का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"। आप थोड़ा समय का ध्यान रखिए। ...(व्यवधान) मैं निवेदन करूंगा कि आप सब का 6 मिनट का टाईम है।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश): मेरे बोलने के पहले ही आपने निवेदन कर दिया ...(व्यवधान) तब तो फिर बोलना ही मुश्किल हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): क्योंकि आपकी पार्टी के 11 आदमी बोलने वाले हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": मैंने भी आपका निवेदन सुन लिया, अब आप भी मेरा निवेदन सुनेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं मूल विषय पर बात करूं मैं जिस पेशे से आता हूं उसके एक वरिष्ठ सदस्य ने आज उस पेशे के संबंध में कुछ टिप्पणी की है। मैं श्री कुलदीप नैय्यर का उल्लेख करना चाहता हूं और मैं उससे अपने को सम्बद्ध भी करना चाहता हूं इस कारण से कि जैसे वह रिपोर्टर रहे हैं, संपादक रहे हैं और आज कॉलम लिखते हैं वैसे मैं भी रिपोर्टर रहा हूं, संपादक रहा हूं और आज कॉलम लिखता हूं। हमारे उनमें दो अंतर हैं। वह मुझसे 10 साल सीनियर हैं और मैंने सरकारी सेवा नहीं की है। बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कहा कि इमर्जेंसी में जब समाचार-पत्र के लोगों को कहा गया कि घुटने टेकें तब वे रेंगते हुए नजर आए। समाचार जगत पर इतना बड़ा आक्षेप आज तक किसी ने लगाया नहीं और उस इमर्जेंसी के समय में भी जो समाचार पत्र में जुड़े हुए लोग थे जिस प्रकार से खड़े हुए थे स्थान-स्थान पर उसके कारण ही समाज खड़ा हुआ दिखाई पड़ा था। एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं कि जो आज के पत्रकार हैं उनके मन पर क्यों उल्टा प्रभाव पड़ता है मैं 1990 की एक घटना बताना चाहता हूं। उस समय मैं एक पत्र का संपादक था। दिल्ली के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, बड़ा उनका नाम है वह लखनऊ गए। मुझसे मिलने आए, उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ा डिस्टर्बेंस था, उन्होंने मुझ से कुछ बातें की, मैंने कहा कि कल मैं आपसे बात करूंगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो शाम को हवाई जहाज से पटना जा रहा हूं और वहां से घूमाई करके दिल्ली लौट आऊंगा। कुछ दिनों बाद मैंने उनका कॉलम पढ़ा। उस कॉलम में उन्होंने लिखा था कि जब मैं लखनऊ से पटना जा रहा था तो मैंने देखा कि गांवों से लोग बैलगाड़ियों पर, तांगों आदि पर भाग रहे थे और वे सब मुसलमान थे अब हवाई जहाज में बैठे हुए व्यक्ति को अगर वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और वह

पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बन कर के आज के पत्रकारों को दिशा-निर्देश देगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। वैसे यह बात ठीक है कि समाचार-पत्रों को निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए। मैं उस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता। श्रीमन् मैं मुख्य रूप से संसदीय लोकतंत्र की बात करना चाहता हूं। हम यह जानते हैं कि लोकतंत्र सदाचार पर आधारित है, मर्यादाओं से पोषित और संसदीय व्यवहार से विकसित सर्वोत्तम व्यवस्था है। इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जिनकी हम बीच-बीच में चर्चा करते हैं उनके बजाय हमको संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए और यह संसदीय लोकतंत्र मजबूत करने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वभाव में है। अब अगर कोई व्यक्ति मद्रास में ओवरकोट पहन करके घूमे और बदरीनाथ-केदारनाथ में जा करके लंगोटी पहन करके घूमें तो वह प्रकृति के अनुकूल आचरण नहीं करता है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे ऋषियों ने, हमारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। शुरू से जिसे कभी हमने "सर्व धर्म संभाव" के नाम से जाना है और कभी किसी और रूप में जाना है वह लोकतंत्र का ही प्रतीक है। ऋग्वेद में इस का उल्लेख आया है। और अन्य हमारे जो भारतीय साहित्य हैं, उन में भी लोकतंत्र का उल्लेख आया है। यह लोकतंत्र जैसे हमारी संस्कृति सनातन परंपरा के मूल्यों पर आधारित है, उसी प्रकार से यह लोकतांत्रिक परंपरा भी है। इस के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। किसी ने "सर्व धर्म संभाव" कहा और किसी ने "वसुधैव कुटुम्बकम" कहा। ऐसे शब्द हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति की निरंतरता के प्रतीक हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसे और स्पष्ट कर दूं। दुनिया में जहां विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां विकसित हुई, भारत में भी विकसित हुईं, लेकिन भारत के किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, एक मुख्य देवता के साथ तमाम अन्य देवताओं की मूर्तियां वहां रखी मिलेंगी, लेकिन दुनिया की किसी पूजा पद्धति में, किसी गिरिजाघर में, किसी भी प्रकार के स्थान पर उस मुख्य व्यक्ति के अनुयायी होने बाद भी एक प्रकार के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पंचायतन मंदिर की व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल है और यही नहीं जो भारतवंशी हैं, उन्होंने इस देश में बाहर से आई उपासना पद्धति को भी अपनाया और उस उपासना पद्धति को चलाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा प्रकट की, उन का आदर किया। यह हमारी प्रकृति में जो लोकतंत्र समाहित है, उस के कारण ही ऐसा हो सका है। हमारी इसी मूलभूत भावना को हम ने पंच-परमेश्वर भी कहा है। जो पंच बनते थे, वह निष्पक्ष होते थे और उन के फैसले को जिस के विरुद्ध होता था और जिस के पक्ष में होता था वह भी, दोनों ही समान रूप से स्वीकार करते थे।

श्रीमन् संसद भवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक मंत्र लिखा दिखाई पड़ता है जिस का कि उल्लेख माननीय श्री अजीत जोगी ने किया, वह लिखा हुआ दिखाई देता है:-

> "समानो मंत्र, समिति समानी, समाना: वृत्त, चंचित्त मे साथ।"

अब सभी सभासद् एक जैसा सोचे, एक जैसा बोलें, एक जैसा आचरण करें, इस प्रकार की जो भावना हमारे साहित्य में थी, वह संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है। श्रीमन् जैसे हमारी संस्कृति सजीव और सतत विकासशील और गतिमान परंपरा का स्वरूप है, वैसी ही स्थिति लोकतंत्र की भी रही है। लेकिन वर्तमान लोकतंत्र की अवधारणा को हम ने ब्रिटिश के सिंहासन और संसद के बीच जो संघर्ष हुआ, उस पर आधारित मानकर इसे अपनाया। इसलिए वर्तमान लोकतंत्र में सत्ता केन्द्र बन गयी है। ब्रिटेन में इसे राजभक्त पक्ष और राजभक्त विपक्ष के रूप में विभाजित किया गया है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की जो अवधारणा है, उस अवधारणा में समाज प्रमुख था, सत्ता प्रमुख नहीं थी। हम ने अब जो अपने लिए संविधान अपनाया है, उसे निर्मित करने वालों ने इसी अवधारणा का ध्यान रखा है और सत्ता नहीं, समाज को प्राथमिकता दी है। लेकिन आज हम ने क्या किया? इन 50 वर्षों में उस संविधान में 81 संशोधन कर दिए हैं। अब मैं समझता हूं कि जिन दिग्गज नेताओं के प्रति हम यहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, क्या यह 81 संशोधन कर के हम ने उन नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन का सम्मान किया है या यह साबित करने का प्रयत्न किया है कि उन को कुछ भी नहीं आता था। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां सब से बड़ी मुश्किल यह हो गयी है कि हम शब्द प्रयोगों पर ज्यादा महत्व देते हैं। यहां तमाम कोटेशंस सुनाए गए और श्रीमन् कोटेशंस अच्छे भी लगते हैं जब वे भाषण के बीच में आते हैं, लेकिन उद्धरणों मात्र से तो सब चीजें ठीक नहीं होती आज स्थिति यह है कि हम ने राज-सत्ता को सब से अधिक प्रमुखता दे दी है और इसी कारण लोकतंत्र का जो अपरिहार्य है "नैतिक मूल्य" उस का निरंतर ह्रास होता जा रहा है।

महोदय, डेढ़ हजार वर्ष की गुलामी के बाद, मुझे खेद है कि किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हम केवल 250 वर्ष तक ही गुलाम रहे, अब अगर इस तरह गुलामी की

अवधि की परिभाषा में भी भाव व्यक्त किया जाने लगेगा तो बड़ी कठिनाई होगी। फिर तो ढाई सौ वर्ष की गुलामी के समय में भी मजहबी समानता के आधार पर कुछ लोग और भी बात कह सकते हैं। राष्ट्रीय भावना को मजहब से जोड़ने का यह जो तरीका है, यह उचित नहीं है।

महोदय, हमें जो अपनी आजादी मिली है, उसकी जब हम समीक्षा करने खड़े होते हैं तो चारों तरफ अंधकार सा दिखाई पड़ता है। जितने माननीय वक्ताओं ने यहां अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने आज की स्थिति को बड़ा निराशाजनक माना है और कहा है कि एक नई संविधान सभा बनानी चाहिए, हमको फिर से बैठकर विचार करना चाहिए। यह अंधकार की स्थिति क्यों है? कारण यह है कि जो व्यवस्था नैतिक मूल्यों पर आधारित है और आचरण से विकसित भी है, उसे हमने तकनीकी शब्द-जाल में उलझा कर रख दिया है। हम कानून की दुहाई देते हैं बचाने के लिए, कानून का रास्ता पकड़ लेते हैं अपने अनाचार को ढंकने के लिए। हालत यह है। इस देश में एक इमानदार व्यक्ति था, जिसने एक बार कहा कि देश में अन्न की कमी है, हमको एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आज देश में लाखों लोग सोमवार का उपवास करते हैं। उस व्यक्ति ने जब ताशकंद में समझौता किया, उसको देश की भावना का पता चला कि देश की भावना विपरीत है तो उसे इतना आघात लगा कि वहां से जीवित नहीं लौटा लेकिन, आज स्थिति क्या है? ...(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप प्वाइंट में बोलिए और जल्दी कवर कर लीजिए। एलबोरेट करने में बहुत समय चला जा रहा है। आपका समय 6 मिनट का है।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" लोकतंत्र दो शब्दों में है—लोक और तंत्र। लोक को हमने सीमित करके रख दिया है केवल वोट लेने के लिए लोक को संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र में बांट दिया है। संविधान की उद्देशिका में हमने कहा है कि सभी नागरिक समान हैं, लेकिन यह कथन तो बेमानी साबित हो रहा है। यही नहीं, महोदय, संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके उसमें समाजवाद शब्द जोड़ दिया है। अब आज की स्थिति में समाजवाद की चर्चा का क्या मतलब होगा, कुछ शब्दों से चिपके रहने की और उसके अर्थ के साथ न जुड़ने की हमारी जो प्रवृत्ति है, उसके कारण ही यह हो रहा है।

श्रीमन्, एक और भी बात है, जो सत्ता में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं वही यदि अपनी वाणी को आचरण का वरण प्रदान नहीं करेंगे तो उनका कथन लफ्फाजी मात्र रहकर रह जाएगा। स्थिति यह हो रही है....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप समाप्त करें। आपका टाइम हो गया।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": सर, दो मिनट का समय दिया जाए। मैं यह कह रहा था कि स्थिति यह है कि हम अपनी वाणी को आचरण का वरण प्रदान नहीं करते, उसको लफ्फाजी के आवरण से घेर लेते हैं। इसलिए लाल किले से खड़े होकर चाहे सत्याग्रह की बात करें भ्रष्टाचार के विरुद्ध, चाहे हिमाचल की चोटी से करें, मगर जब तक वाणी को आचरण का वरण प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारे साथ यही हो रहा है। संसदीय मर्यादाओं में यह बात आती है, हमारे स्पीकर साहब ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन संसद का सदस्य होना ही हम काफी मानते हैं। तकनीकी आधार पर संसद का सदस्य होकर भी हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम तकनीकी आधार पर वह पद प्राप्त कर सकते हैं तो दूसरे तकनीकी आधार पर असंसदीय आचरण पालन का रास्ता क्यों नहीं अपना सकते?

श्रीमन् मैं एक और स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप के लिए नहीं, कि जो व्यक्ति इस सदन का एक दल का सदस्य हो और सदन के बाहर दूसरे दल का सदस्य हो, उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना और जो लोग पार्टी तोड़ जाएं उनको भी मंत्रिमंडल में बनाए रखना, इस प्रकार का आचरण करने के बाद हम यह उम्मीद करें कि बाहर के लोगों पर हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, उसके आदर्श को अपनाएंगे, यह कभी संभव है क्या?

श्रीमन्, आपराधिक स्थिति की चर्चा हुई है। हमारे गृह मंत्री जी आपराधिक मामलों में बहुत दुखी हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं जब वह अपनी पार्टी के महामंत्री थे तो तिहाड़ जेल से एक व्यक्ति को निकालकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ले जाकर चुनाव लड़वाया था, आज उनकी पार्टी में वह नहीं है। हमारे प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में एक हत्या के अपराधी को एक जेल से निकालकर दूसरी जेल में पहुंचाने के लिए हैलीकॉप्टर का उपयोग किया था।

आज वे हेलिकाप्टर का विवाह-शादी के लिए, गांव में मिलने-जुलने के लिए उपयोग कर रहे हैं। सत्ता में बैठकर जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, क्या वे हमारी निजी सुविधाएं हैं? क्या निजी या राजनीतिक सभाएं करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए? सत्ता का जो गैरसंविधानिक आज दुरुपयोग हो रहा है, इसके बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं।

महोदय, चूंकि आपने दो बार घंटी बजा दी है, मैं एक बात और कहकर खत्म कर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए, मुर्दों पर नहीं। मैं डा० अशोक मित्र का भाषण सुन रहा था। यदि उस भाषण के ऊपर से उनका नाम हटा दिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने वही भाषण दिया है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति या नेता देता है। अब हम मुद्दों की सहमति की बात नहीं करते हैं, मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे बाबरी मस्जिद के बारे में। गड़े मुर्दे उखाड़ने चले आए। हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि आप राम जन्मभूमि का पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। हमको घसीटकर उसी मुद्दे पर आप लाते हैं। जो मुद्दे की बात है, उस मुद्दे पर सहमति के आधार पर ही लोकतंत्र कायम रह सकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिन मुद्दों पर आम सहमति है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण हम उन मुद्दों पर विचार नहीं कर सकते।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: बस, आपकी बात हो गई।

**श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: महोदय, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: आप तो कह रहे थे कि मैं खत्म कर रहा हूं, आप खुद की बात पर ही ऐसे बोलेंगे तो फिर यह ठीक नहीं है।

**श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: चलिए अंतिम बात कर देता हूं, बीच की बात छोड़ देता हूं। संसदीय लोकतंत्र की मान्यता है "वादे-वादे जायते तत्व बोध:"। यहां क्या हो रहा है, मान्यवर, आप बार-बार जो घंटी बजा रहे हैं, उस पर मैं एक-दो लाइन कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)** मैं कितना समय दूं आपको?

**श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**:

यह दस्तूरे जबांबंदी है कैसी तेरी महफिल में,

यहां बात करने को तरसती है जुबां मेरी।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ)**: Mr. Vice- Chairman, Sir, I am not going to make a very long speech. This is going to be a brief intervention. I for one don't propose to live in despondency. I have heard many speeches made in both the Houses of Parliament. Some of my colleagues took a line that India has not achieved anything and some of them went to the extent of saying that the 50 years have been years of failure. So I take a position and this is my assertion on the basis of facts that India's achievement in these 50 years has been spectacular. We miss the very element of analysis when we come to the extreme and this is something which has to be gone into. They must see the records. When I say that India's performance has been spectacular in these 50 years, I say it on the basis of so many achievements that have been listed. But, sometimes, if we go to certain failures and then bracket all the 50 years together, while celebrating the Golden Jubilee of independence we say that we have wasted our time; we have gone wrong; our policy was wrong and its implementation was wrong and everything was wrong. This is despondency and this is unwarranted and uncalled for. The real analysis is that within the available resources India's performance has been spectacular. We cannot, in this short time available to us, delve deep and analyse facts after facts of our achievments. That is not possible. We are a democracy. Our democratic institutions are viable and the international community has accepted this fact. We can list the achievements of the institutions of science and technology and other institutions. Sir, during this decade our foreign trade has increased ten times. There was a revolution in communication. So far as energy is concerned, we could not commensurate with our needs, but there has been a spectacular progress.

I am referring to this decade only. Industrial production increased three times. I raised a question with my colleagues here, my brothers, incidently, there are no sisters this time. I raised a question.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI)**: Mr. Soz, just a minute. I have an important announcement to make. Hon. Members, since we have several Members left to speak on the subject, there will be no lunch-break.

**PROF. SAIF-UD-DIN SOZ**: I raised the question because when people talk of despondency and having failure after failure they don't keep a balance. I, therefore, raised

the question that population of this size, Mr. Vice-Chairman cannot be sustained. Just now I am going to co-relate population explosion with my Ministry. This level of population cannot be sustained. We are going to be a billion very shortly. But we are self-sufficient in food. It is a miracle. We are self-sufficient in food in the absence of a Central authority. Chinese system is different. We are a democracy and we are self-sufficient in food. It means that India has vitality, inner vitality, the kisan has taken care and we are self-sufficient in food. Therefore, those friends who list failures must take certain positive situations into consideration so that our country is represented properly. But along side this optimism, I am basically an incorrigible optimist. Along side this optimism, this is my stand also that within the available resources India could have performed far better and there we failed and for that we can feel sorry that we could have done better within the avaliable resources. That we did not do. But what we did was spectacular. That cannot be lost sight of. I took this position at—the United Nations that India's achievement for the last—50 years has been spectacular. I took a further position because some of my friends are environmentalists also. I took another position, that after Rio, during these five years our performance,—I made a statement there, I am making it here—our performance has been judged as very satisfactory by even the European nations. We performed well as compared to America, as compared to Europe. I am telling you on the basis of facts. Within the available resources we are fighting poverty, we have to plan population, we have a large chunk of people who are illiterate, we have people living below the poverty line. These are situations that call for a large scale funding. That funding is not available. So America and the industrialised Europe together lagged behind in transferring funds, in transferring technology. My stand is not that India wants money; otherwise, it will not perform. There is no queston of asking the rich nations, "You give us money; otherwise, we shall not perform." It is a situation of India telling those nations, the industrial world and America, "You help us in your own interest because on earth we have come closer, the world has become very small due to development in communications. But in the atmoshere we are very close. What happens in India by way of pollution has a direct impact on Europe and America ultimtely, because atmosphere is one thing common for human-kind." Now, some of the countries in Europe and some people in America want to dole out advice to us. I do not accept that for the simple reason that they have failed to transfer technology commensurate with our needs and at low cost and that necessary funding was not available.

Therefore, so far as control on emissions, control on pollution and fighting all elements of degradation is concerned, we could not put in a sizeable effort because funds did not flow through IDA. After Rio, the industrialised Europe and America were expected to transfer funds commensurate with India's needs. India deserved it because we are a democracy. We are not only a democracy, but we are a transparent democracy. We have a free Press. Sometimes some people say that our colleagues in the media are sometimes more free than they should be. But we have not only tolerated it, we have welcomed it bacause we want to be transparent. So, this transparent democracy, this largest democracy in the world, this democracy which has to sustain one billion population, which has to take care of environmental concerns, deserves a better deal by way of transfer of technology from the West and also by way of funding. That was our right. That has not taken place. But within our resources, we shall fight pollution, we shall reduce the emission levels, we shall take care of climatic changes because, among other achievements, India has one of the largest scientific manpower in the world. So, on any issue that the West or countries like US want to discuss, India doesn't lag behind. Our news-papers are full of stories. Everything is in debate in India, be it climatic changes, be it pollution, be it lessening of emissions, be it the question of conservation of forest, be it the question of protection of forests, be it the question of protection of wildlife, be it the question of biodiversity or the tackling of hazardous wastes. These issues are important and we have responded to these issues.

But alongside this, I want to express and share my worry with my friends here. There is an anxiety in my mind that the pressure on

population, the explosion of population, has created a pressure on the forests. Our forests are the basis for protection of biodiversity and wildlife. You cannot have any concern for wildlife if you lose sight of forests. So, there is a worry that because of the need and the greed getting married together and the industrialised sector in our country becoming niggardly, the private sector not coming forward in a big way to help protection of forests, because of need and greed and because of pressure of population, our forests are in danger. We are losing our forest cover. Mr. Vice-Chairman, Sir, I was told that according to our national policy we should have a forest cover of 33%. But I was told we have 23%. 23% is true, which is the land you demarcate as forests; but a part of it is degraded. Then we came to 19%, which includes areas where you have a tree here and a tree there, which is not the real forest cover. I am going to place shortly, may be after a month, on the Table of this House, as also in the Lok Sabha, the survey for 1997. I hope and pray that forests haven't dwindled further. But according to the 1995 survey, the forests in India are 11.77 per cent. This is roughly one-third of what the national policy envisages. So, though this august House, it is a message to the whole country that we have to preserve our forests, we have to conserve our forests. Only then we can preserve our wildlife also. Concern for environment, concern for forests, concern for wildlife is a part of our *sabhyata*, a part of our culture, a part of our ethos, a part of our religion -- be it any religion because all the literature has taught us to show concern for environment. Finally, Mr. Vice-Chairman, Sir, in order to create balance in my intervention, I come back to the position that our achievements have been spectacular, but there are grey areas. Mr. Vice-Chairman, Sir, I read a part of my couplet which is in Urdu — I don't think you know very much Urdu and I don't want to translate it. Tomorrow is going to be beautiful; tomorrow is going to be grand. We should not lose sight of India's inner vitality. Therefore, I say:

वाबस्ता-रह शजर से, उम्मीदे बहार रख।

Thank you very much.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (बिहार): सदरे-मोहतरम। इस 50 साला जश्ने आज़ादी के मौके पर आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलने का जो मौका इनायत फरमाया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। आज पांचवा दिन है कि इस खसूसी इजलास में हम मुल्क की पार्लियामेन्ट्री डैमोक्रेसी पर बहस कर रहे हैं। हमारे लिए 15 अगस्त 1947 यकीनन एक तारीख-साज़ दिन था जब हमारा मुल्क डेढ़ सौ साला जद्दोजहद के बाद गुलामी की जंजीरों को काटकर आजादी की शाह-राहे हयात का राही बना। हिन्दुस्तान ने आज़ादी आसानी से हासित नहीं की। बेपनाह मुजाहीदीने-आजादी के दारोएसन का फंदा चूमा, गुलामी और सितम की गोलियां खाईं और वतने-अजीज़ के वकार को बुलन्द करने के लिए अपने वजूद को खाक और खून में मिलाया, तब जाकर हमारा मुल्क आज़ादी का प्रतीक बना। मालूम नहीं, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी मांओं की गोद उजड़ी, और कितनी बहनों की मांग का खून खुरचा गया। एक लम्बी दास्तान् है जुल्मो-सितम की। जिस जुल्मो-सितम की खंदा-पेशानी के साथ झेलकर हिन्दुस्तान के जियालो ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए उस ख्वाब को शर्मिन्द ए-ताबीर करवाया, उस तफसील में न जाते हुए इस पचास साल का अपने साथियों की तरह जायजा लेने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और पूरा मुल्क पार्लियामेंट की तरफ देख रहा है कि पार्लियामेंट में रहने वाले लोग किस तरह से 50 साल को देख रहे हैं। इस आजादी में हमने क्या खोया और क्या पाया अगर इस अहसास से खाली रहकर हम यहां बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेन्ट्री डैमोक्रेसी पर बोलने का हक अदा नहीं किया जा सकता। सदरे मोहतरम, आजादी के दो पहलू हैं। मुल्क की आजादी का एक रोशन और ताबनाक पहलू है और दूसरा तारीक पहलू है जिसको हम अंधेरे से ताबीर करते हैं। रोशन पहलू यह है कि उन तमाम हिन्दु, मुसलमान, सिख, इसाई मुजाहीदीने-आजादी को हम सलाम करते है जिन्होंने अपने लहू का कतरा भारत की सर-ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया था और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में हम 50 साल से आज़ादी के आसमान और आजादी की जमीन पर अपना जीवन बिता रहे हैं। मगर मुल्क में अनाज का हवाला दिया गया, भाईचारे का हवाला दिया गया, मुल्क के प्रोडक्शन का हवाला दिया गया। सारी बातें सही हैं।

यकीनन आज हम अनाज बाहर से नहीं मंगाते हैं, खुद कफील हो गए हैं। मगर साथ-साथ इसका जो तारीक

पहलू है, जिस अंधेरे की तरफ देखने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है तो हमें फख्र करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है, अफसोस करने की एक लम्बी दास्तान हमारे जीवन का मुकद्दर बनी हुई है। हमारे कुलीग मिस्टर हेच. हनुमनतप्पा जी ने 40 फीसदी लोगों का जिक्र किया था जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। आज मुल्क में तीस-पैंतीस करोड़ लोग हैं जिनके बच्चों को पढ़ने के लिए हम इन 50 सालों में स्कूल नहीं दे सके हैं। उनके पीने के लिए हम साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं। उनको हम रोजगार भी फराहम नहीं करा सके हैं। उनके लिए सभी लोगों ने मातम यहां पर किया है। मगर मातम करने से मसाइल का हल सामने नहीं आता। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मुल्क में करोड़ों हैक्टेयर जमीन खाली पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, उपजाऊ जमीन भी है जिनकी बरसात में मट्टी कट कट कर जाती है और वह बेकार होती जाती है। एक साल के अन्दर यह सरकार उन गरीबों के लिए फैसला ले कि उन तमाम लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनमें ये जमीनें बांट दी जायें ताकि उन्हें भी आजादी का वह फायदा हासिल हो सके जिस फायदे से उनकी तीन-तीन नस्लें तरसती आ रही हैं। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं उन्हें इस मुल्क में क्या मिला और उन्होंने इस देश को क्या दिया, यह सोचने की बात है। आज हिन्दुस्तान की जितनी भी तरक्की हमें देखने को मिल रही है, वह गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले उन गरीब हिन्दुस्तानियों का बे-पनाह हिस्सा है और कुर्बानियां हैं जिनके जरिए से यह मुल्क तरक्की की सढ़ छू रहा है। सड़कें वही गरीब लोग बना रहे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस मुल्क की तकदीर वही बना रहे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, खेती वही कर रहे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस गुलशन की बागबानी वही कर रहे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उन्हीं मजदूरों के हाथ-पैर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। उनका पसीना खुश्क हो जाता है और उनकी कमाई का हक उनको नहीं मिलता है। आज मुल्क में जितनी चीजों को रिफाइण्ड करके ला रहे हैं, उन चीजों को असल शेप देने वाला वही 40 फीसदी हिस्सा और तबका है इस मुल्क का जो दो वक्त की रोटी भी हासिल नहीं कर रहा है। उस गरीब का हाल बड़ा बुरा है और सभी लोगों ने उसके हालात पर मातम किया है। जिसने इस खूबसूरत पार्लियामेंट की दरो-दीवार की रचना की है, उसी गरीब ने ताज महल की रचना की है, उसी गरीब के हाथ ने और मेहनत ने ताजमहल जैसी फसील और अजन्ता जैसी चोटी हमको दी है। मगर आज 50 साल के बाद उस गरीब के मुस्तकबिल पर नहीं, हाल पर नजर हम डालते हैं तो आज भी 50 साल के बाद उस गरीब का हाल यह है कि उसको रहने के लिए एक झोंपड़ी नहीं है, उसको खाने-पीने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है। वह मेहनत और मजदूरी करता है, खुले आसमान के नीचे जमीन को अपना मकान बना करके सो जाता है। जाड़े के जमाने में प्लेट फार्म पर वह बगैर कम्बल के ठिठुर-ठिठुर के मर जाता है, गर्मी के जमाने में वह लू के थपेड़ों से मौत की गोद में चला जाता है, बरसात के जमाने में उसका छप्पर नहीं रहता है। बाढ़ आती है, सैलाब आता है तो हमने देखा है कि वह गरीब दरख्तों के ऊपर बैठकर अपना जीवन गुजारता है और हमारे मिनिस्टर साहिबान हेलीकॉप्टर के जरिए उसके लिए रोटी के टुकड़े फैंकते हैं। उस गरीब का हाल यह है, उसका योगदान यह है कि उसने भारत बनाया है, उसका योगदान यह है कि उसने हमारे खेतों को संवारा है, उसका योगदान यह है कि उसने कांटे नहीं, इस देश की धरती पर फूलों की महक, कलियों की ताजगी हमको दी है। मैं उस गरीब का हाल एक शेर में आपके सामने रखना चाहता हूं :

''फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा था।

कपड़ा उठाकर देखा तो पेट पर लिखा था-

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा''

आज सारे जहान से अच्छे हिन्दुस्तान की तस्वीर भी हमें देखनी होगी। हम बार-बार लम्बी-लम्बी बातें इस हाउस में कह कर गुजर गए हैं और भी लोग आयेंगे और कहते जायेंगे। आजादी का फल क्या चंद मुट्ठीभर लोगों को खाने का हक है, क्या आजादी का फल उन गरीब लोगों के मुकद्दर में नहीं है जो गरीब आज भी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है?

सर, इसलिए मेरी गुजारिश आपके माध्यम से यह है कि जो हजारों हैक्टेयर जमीन बेकार पड़ी है वह उन गरीब लोगों में बांट दी जाये। अब वक्त आ गया है कि उन गरीबों के साथ आप इन्साफ करें। अब मातम करने का वक्त नहीं है, उन गरीबों के साथ इन्साफ करने का वक्त है। उन्हीं गरीबों ने हमारी पार्लियामेंट की रचना की है, उन्हीं गरीबों ने इस देश के इतिहास की रचना की है और उन गरीबों के पेट में आज दो वक्त की रोटी भी नहीं जा रही है और हम कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। हमारा हिन्दुस्तान यकीनन तहजीब की बुनियाद पर सारे जहां से अच्छा है। अपनी रवायत की बुनियाद पर सारे जहां से अच्छा है, अपनी परम्परा और अपनी तारीखयत

के एतबार से अच्छा है। मगर जिस अच्छे हिन्दुस्तान को अंग्रेजों ने खराब किया था, जिस अच्छे हिन्दुस्तान को तन के गोरे और मन के काले लोगों ने गुलामी की जंजीरों में कस दिया था उस अच्छे हिन्दुस्तान को हमने इसलिए आजाद करवाया था कि उस अच्छे हिन्दुस्तान में रहने वाले इन्सान रोटी कपड़ा और मकान से वंचित न रह सकें। मगर 50 साल के बाद भी अगर उस हिन्दुस्तान का इन्सान भूखा है तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल के बाद अगर उस हिन्दुस्तान के इंसान के तन पर कपड़ा नहीं है तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल के बाद अगर हमने पीने का साफ पानी हिन्दुस्तानियों को नहीं दिया तो हमारी आजादी अधूरी है। 50 साल के बाद अगर हमने नफरत का खात्मा नहीं किया तो हमारी आजादी अधूरी है। 50 साल के अंदर भी अगर हमने मंदिर और मस्जिद की रक्षा नहीं की तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल में अगर अपनी कौमों में आपसी दोस्ती का जज़्बा पैदा नहीं किया है तो हमारी आजादी अधूरी है। 50 साल में अगर हमने पढ़ा-लिखा हिन्दुस्तान पैदा नहीं किया तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल में अगर हमने दिलों की तंग दिली खत्म नहीं की तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल में अगर हमने सौर समाजी का जज़्बा अपने अंदर पैदा नहीं किया तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल के बाद अगर करप्शन का खात्मा नहीं हुआ तो हमारी आजादी अधूरी है, 50 साल के बाद भी अगर हिन्दू-मुसलमान के बीच नफरत के बीज बोने वालों को पहचानकर उनकी जड़ों को उखाड़ फैंकने का जज़्बा पैदा नहीं किया तो हमारी आजादी अधूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस आजादी के मौके पर जो मेरा अहसास है उसको मैं एक बंद में आपके सामने पेश करना चाहता हूं :

मैंने माना कि नहीं आज से बेहतर कोई रोज़,
आज के रोज़ ही टूटी थी गुलामी की रसन।

रसन कहते हैं जंजीर को, रस्सी को

मैंने माना कि नहीं आज से बेहत्तर कोई रोज
आज के रोज ही टूटी थी गुलामी की रसन
कैदे-अफरंग से छूटे थे असीर आज के दिन
आज के रोज ही आज़ाद हुआ था ये वतन
सब बजा, मगर ए दोस्त खुदा जाने क्यूं
मैं अभी दीदाए-फितरत में नमी पाता हूं
यूं तो रानाइये आलम है जवानी पर मगर
इस भरी बज्म में एक शै की कमी पाता हूं
तुम बुरा मानो या ए दोस्त मुझे कर दो माफ
फिर कभी नगमा ए-जमहूर सुना दूंगा तुम्हें

यह कैसी जम्हूरियत है हमारे पास? क्या हम इस जम्हूरियत पर फख्र कर सकते हैं, जिस जम्हूरियत में हम बच्चों को यतीम बना रहे हैं, औरतों को बेवा बना रहे हैं, करप्शन के खिलाफ हम जवानी की उमंगें पैदा कर रहे हैं, किस जम्हूरियत की हम बात कर रहे हैं? किस जम्हूरियत पर हम डिबेट कर रहे हैं? हम इस लायक रह गये हैं कि हम जम्हूरियत पर डिबेट करें, जहां लाखों नहीं हजारों लोग भूखे हों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था वह सपना आज तक अपना नहीं हो सका, गांधी जी का बलिदान, यकीनन नाकाबिले फरामोश है। क्या गांधी जी ने ऐसे ही हिन्दुस्तान की कल्पना की थी? गांधी अपने आपको नंगा-तंगा इसलिए रखते थे कि भारत नंगा-तंगा न रह सके मगर आज हमने पूरे भारत को नंगा-तंगा कर के रख दिया है। गांधी जी ने अपने बदन से कपड़े उतार दिये थे। गांधी जी ने हाथ में लाठी ली थी, बन्दूक नहीं ली थी मगर उस लाठी लेकर गांधी जी ने हिन्दुस्तान को प्यार से भरी हुई दौलत का एक मुल्क बनाने का सपना देखा था जो सपना आज तक भी हम अपना नहीं बना सके हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी डिमान्ड सुझाव के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं कि 9-10 करोड़ हैक्टेयर ज़मीन इस मुल्क में खाली है। वह सरकार फैसला करे कि सालभर के अंदर उन 40 फीसदी इंसानों के हवाले उन जमीनों को करेगी ताकि इन जमीनों को हासिल करने के बाद वे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग उस पर अपना मकान बना सकें। अपना सायबान बना सकें, अपनी खेती-बाड़ी कर सकें, सब्जी, फल-फूल उगा सकें उनको भी जीने का मौका मिले और आजाद हिन्दुस्तान की नियामतों से वे भी उसी तरह फेजियाब हो सकें जिस तरह चंद मुट्ठीभर लोगों ने उनके हुकूक को गुलामी की जंजीरों में कस लिया है और आजादी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे गुलामी की जंजीरों से दूसरों को नहीं बचायेंगे अलबत्ता आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जिस तरह वे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग फंसे हुए हैं उससे जरूर उन्हें मुक्ति और आजादी हासिल हो जाएगी।

सर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा। और बड़ा अहम सवाल है, वह है जंगल। हमारे प्रोफेसर साहब ने तशरीफ फरमाई है। आज जंगल बड़े बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। जंगलों को कटने से बचाया जा सकता है मगर उन्हीं जंगलों में आदिवासी कौम रहती है जिसने जंगलों के मिज़ाज को पहचाना है। जिनको जंगलों की आबो-हवा रास आती है, जिसके तन-बदन पर कपड़े नहीं है,

जंगलों के जरिए जितनी भी पैदा होने वाली पैदावार हैं, कानून बनाकर उन आदिवासियों को उसका मुस्तहिक करार दिया जाए और उन आदिवासियों के जरिए उन जंगलों को फलने फूलने का मौका भी दिया जाए।

सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारा मुल्क जब आजाद हुआ तो यह तय किया गया था कि यहां सदारती निज़ामे हुकूमत नहीं होगी। अमेरिका में सदारती निज़ामे हुकूमत है जो जम्हूरी हुकूमत है। इसके दो पहलू हैं। प्रेसीडेंशियल रूल, सदारती निज़ामे हुकूमत में होता यह है कि हुकूमत तो पायेदार और मुस्तकम होती है। मगर वहां जिम्मेदारियां जवाबदेही के लिए ज्यादा नहीं होती है। हमने जो तर्ज़े जम्हूरियत अपनाई उसमें हुकूमतों के पास एस्तहकाम नहीं होता मगर जवाबदेही हमारे ऊपर ज्यादा होती है। हमारा मुल्क इस रोशन पहलू में यकीनन काबिले मुबारक है कि 50 साल में वगैर किसी दंगे, वगैर किसी खून के, वगैर किसी लड़ाई के और वग़ैर किसी लफड़े-झगड़े के जब पावर का ट्रांसफर हुआ है तो वह बड़ी आसानी के साथ, सेकुलर परम्पराओं के तहत हुआ है। यकीनन यह एक रोशन पहलू है जिस पर हम फख्र कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक जवाबदेही का सवाल है, मैं किसी पर आरोप भी नहीं लगाना चाहता, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, एक हिन्दुस्तानी शहरी होने के नाते मैं खुद भी सोचता हूं और अपने सारे साथियों को सोचने की दावत देता हूं कि क्या कोई मजहब, कोई कल्चर, कोई सकाफत कोई इज्म क्या हमें नफरत करना सिखाता है? क्या इन 50 सालों में इस नफरत से हम लड़ सके हैं? क्या इन 50 सालों में हम इन घृणाओं से जंग कर सके हैं? आज हालत यह है कि किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा है। न एम.पी. का काम होता है और न एम.एल.ए. का काम होता है। अगर काम करवाना है तो रिश्वत पहले देने की बात कीजिए, काम की बात बाद में कीजिए। जेनुअन काम भी अगर आपको करवाना है तो पहले ठेका दे दीजिए दलालों के जरिए मिनिस्टर के यहां जाइए, दलालों के जरिए एम. पीज साहब के यहां जाइए, दलालों के जरिए एम.एल.ए. के यहां जाइए, दलालों के जरिए चेयरमैन के यहां जाइए। अगर ये बहुत ही बाशर्म लोग हैं तो फिर दलालों की भी जरूरत नहीं है। डाइरेक्ट उनके पास चले जाइए और रिश्वत देकर अपना काम करा लीजिए। अगर कहीं रिश्वत देकर फंस गए हैं तो फिर रिश्वत देकर आपके छूटने का इंतजाम हो जाएगा। यह भी आप कर सकते हैं। कौन सी कमाई हमने इन 50 सालों में कमाई है जिस पर हम फख्र कर सकें। अगर वाकई फख्र करने की बात होती तो यह होती कि आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हैं। गरीब, बेरोज़गार इंसानों के चेहरे पर जवानी की बशाशत होती और जवानी की बहारें दिखाई देती। जब तक हम इन ग़रीबों को ऊपर उठाकर और लोगों के बराबर नहीं खड़ा करेंगे उस वक्त तक हमारे आजादी के सपने पूरे नहीं हो सकते।

सर, आखिर में एक बात और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी हुकूकों को हमारे मुल्क ने, हमारे कानून ने इज़ाजत दी है। बुनियादी हुकूक के तहत हिन्दुस्तान की हर जुबान में हमारे एम.पीज और हमारे एम.एल.एज. को ओथ लेने का हक है। एक साल हो गया, मैंने यह सवाल इस हाउस में एक मर्तबा पहले भी उठाया था कि यू.पी. में समाजवादी पार्टी के दो एम.एल.ए. मैं आप को इस पार्लियामानी डेमोक्रेसी का चेहरा दिखा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दो एम.एल.ए. जो मेरे जिले आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से एक का नाम है वसीम अहमद और दूसरे का नाम है आलम बढ़ी आजमी। ओथ लेने के लिए इन दोनों ने यू.पी. के स्पीकर से यह कहा कि हम अपनी मादरी जुबान, उर्दू में ओथ लेंगे। लेकिन एक साल हो गया, आज तक स्पीकर साहब ने ?। दोनों को ओथ नहीं लेने दी। वह यह कहते हैं कि हम उर्दू में ओथ नहीं दिलायेंगे। कहां है जम्हूरियत के ठेकदार, कहां हैं पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात करने वाले ठेकदार लोग? क्या इनको शर्म नहीं आती? इन 50 सालों में आपके अंदर इमानदारी का चालीसवां हिस्सा भी बतौरे खैरात पैदा नहीं हो सका कि आप जुबानों के साथ इंसाफ कर दें, आप भाषाओं के साथ इंसाफ कर दें। अगर उर्दू भारत सरकार की जुबान है, अगर उर्दू भारत की मंजूर शुदा जुबान है, अगर उर्दू हिन्दुस्तान की जुबान कहलाती है, अगर उर्दू को हिन्दुस्तान की जुबान का दर्जा दिया गया है तो उर्दू में भी यह सब होगा। उर्दू में भी और उर्दू में भी होगा। क्या उर्दू भी विदेशी हो गई? या तो कह दो कि विदेशी जुबान है। अगर यह विदेशी जुबान है तो फिर आप इन्कलाब जिंदाबाद भी नहीं कह पायेंगे। आज एक साल हो गया, दोनों एम.एल.एज को उर्दू में ओथ लेने का उनका हक नहीं मिला। तो क्या हम मान लें कि आप जम्हूरियत का तस्सवुर कर रहे है। आप जम्हूरियत को कत्ल करने का काम मत कीजिए। पार्लियामानी जम्हूरियत को जिंदा रखिए यह मैं इस हाउस में आपके माध्यम से मुतालबा करता हूं।

2.00 P.M

कि जितनी जल्दी हो सके पार्लियामानी डेमाक्रेसी के चेहरे पर यह जो कालिख आपने लगाई है, इसको पौंछ दीजिये और यू.पी. के अस्सेम्बली के स्पीकर से कहिये कि उन दोनों एम.एल.एज को उर्दू में हल्फ लेने दें जिनको साल भर से हल्फ लेने नहीं दी जा रही है और नहीं तो जो हालात हैं मैं उन हालात को यह कह कर आपके सामने रखना चाहूंगा कि-

> किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे,
> कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे,
> न होता गुलचीं का लब पे शिकवा न करते फूलों की आरजू हम
> अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिज़ाने चमन बनेंगे
> रहे तलब में यकीं था किसको कि होगा एक दिन ये सानेहा भी
> रुकेगा मंज़िल पे कारवां जब तो राहबर, राहज़न बनेंगे।

तारीख मरोड़ी जाती है। कहा जा रहा है हाउस में खड़े होकर कि एक हज़ार साल से भारत गुलाम है। अकबर के दौर को भी गुलामी कह रहे हो। जिन लोगों ने अपने वजूद को इस धरती पे हमेशा के लिए तज दिया, उनके दौर को भी गुलामी कह रहे हो। एक तरफ बहादुर शाह ज़फर को आजादी का सूरमा मानते हो और दूसरी तरफ उस पीरियड को गुलामी का दौर कहते हो। (समय की घंटी) एक तरफ उन मुगलों को जिन्होंने भारत को चमेली दिया, मेंहदी दिया, सूसन दिया, यासमिन दिया, ताजमहल दिया, लाल किला दिया और आज भारत की जो सारी अज़ीम इमारतें जो सारी दुनिया में गौरव प्राप्त कराती है उन्हीं मुगलों की देन है, इसके बावजूद उस दौर को भी गुलामी कहना, बाबरी मस्जिद को गुलामी का चिन्ह कहना और फख्र के साथ यह कहना कि हमने गुलामी का चिन्ह तोड़ दिया। भाई अगर बाबरी मस्जिद गुलामी का चिन्ह थी तो यह तो महागुलामी का चिन्ह है जिसमें खड़े होकर तुम पार्लियामानी डेमाक्रेसी की बात कर रहे हो। इसको कब तोड़ोगे?

> काबा किस मुंह से जाओगे ग़ालिब
> शर्म तुमको मगर नहीं आती।

जिन लोगों ने अपना वजूद तज दिया, उनका दौर भी गुलामी का दौर है। जिस बहादुर शाह ज़फर ने अंग्रेजों के हाथों काले पानी की सज़ा काट कर यह कहा था-

> कितना है बदनसीब ज़फर दफ़न के लिए
> दो गज़ ज़मीं भी न मिली कूए यार में।

इसलिए भारत की तारीख को तोड़-मरोड़ कर पार्लियामानी डेमाक्रेसी पर बहस कर के गलत तारीख मुरत्तब न की जाए और हिन्दुस्तान की पार्लियामानी डेमोक्रेसी के साथ अगर इन्साफ करना है तो भेदभाव खत्म कीजिये, गरीबों और अमीरों का फर्क खत्म कीजिये। सारे भारतीय नागरिकों को एक आंख से देखिये जिसे इन्साफ की आंख कहते हैं, जम्हूरियत की आंख कहते हैं, डेमोक्रेसी की आंख कहते हैं वरना यह हमारी पार्लियामानी डेमोक्रेसी एक फ्राड होगा, एक धोखा होगा, एक मक्कारी होगी, एक अय्यारी होगी, एक चालबाजी होगी और सारी दुनिया को एक फरेब देने का बहाना होगा। शुक्रिया।

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی (بہار):
صدر محترم - اس ۵۰ سالہ جشن آزادی
کے موقع پر آپ نے مجھے پارلیمنٹ میں
بولنے کا جو موقع عنایت فرمایا ہے - میں
آپ کا شکر گزار ہوں - آج پانچواں دن
ہے کہ اس خصوصی اجلاس میں ہم ملک
کی پارلیمانی ڈیموکریسی پر بحث کر رہے
ہیں - ہمارے لئے ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء
یقیناً ایک تاریخ ساز دن تھا جب
ملک کی ڈیڑھ سو سالہ جدوجہد کے بعد
غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر آزادی
کی شاہراہ حیات کا راہی بنا - ہندوستان
نے آزادی آسانی سے حاصل نہیں کی -
بے پناہ مجاہدین آزادی نے دار و رسن
کا پھندہ چوما - غلامی اور ستم کی گولیاں
کھائیں - اور وطن عزیز کے وقار کو بلند
کرنے کیلئے اپنے وجود کو خاک اور خون
میں ملا دیا - تب جا کر ہمارا ملک آزادی

†[] Transliteration in Arabic Script.

کا پرچم بنا - معلوم نہیں کتنے بچے یتیم ہوئے - کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی اور کتنی بہنوں کی مانگ کا خون کر دیا گیا - ایک لمبی داستان ہے ظلم وستم کی - جس ظلم وستم کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل کر ہندوستان کے

جیالوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کیلئے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کروایا - اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس پچاس سال کا اپنے ساتھیوں کی طرح جائزہ لینے کیلئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں - اور پورا ملک پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں رہنے والے لوگ کس طرح سے ۵۰ سال کو دیکھ رہے ہیں - اس آزادی میں

ہم نے کیا کھویا کیا پایا - اگر اس احساس سے خالی رہ کر ہم یہاں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی ڈیموکریسی پر بولنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا - صدر محترم - آزادی کے دو پہلو ہیں - ملک کی آزادی کا ایک روشن اور تابناک پہلو ہے اور دوسرا تاریک پہلو ہے - جسکو ہم اندھیرے سے تعبیر کرتے ہیں روشن پہلو یہ ہے کہ ان تمام ہندو - مسلمان - سکھ عیسائی مجاہدین آزادی کو ہم سلام

کرتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو کا قطرہ بھارت کی سرزمین کو آزاد کرانے کیلئے پانی سے زیادہ سستا کر دیا تھا اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم پچاس سال سے آزادی کے آسمان آزادی کی زمین پر اپنا جیون بتا رہے ہیں - مگر ملک میں اناج کا حوالہ دیا گیا - بھاری کارخانہ کا حوالہ دیا گیا - ملک کے پروڈکشن کا حوالہ دیا گیا - ساری باتیں صحیح ہیں یقیناً آج ہم اناج باہر سے نہیں منگاتے ہیں خود کفیل ہو گئے ہیں مگر ساتھ ساتھ اسکا جو تاریک پہلو ہے جس اندھیرے کی طرف دیکھنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں فخر کرنے کیلئے بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوا ہے - افسوس کرنے کی ایک لمبی داستان ہے ہمارے جیون کا مقدر بنی ہوئی ہے - ہمارے ساتھی مسٹر ایچ - ہنومن تھیا جی نے ۴۰ فیصد لوگوں کا ذکر کیا تھا جو غریبی کی ریکھا کے نیچے جی رہے ہیں - آج ملک میں ۳۰ - ۳۵ کروڑ لوگ ہیں جنکے بچوں کو پڑھنے کیلئے ہم ان ۵۰ سالوں میں اسکول نہیں بھیج سکے ہیں انکے پینے کیلئے ہم صاف پانی کی ویوستھا بھی نہیں کر سکے ہیں اور ہم روزگار بھی فراہم نہیں کر سکے ہیں - انکے لئے سبھی لوگوں

سے ماتم یہاں پر کیا ہے مگر ماتم کرنے سے مسائل کا حل سلجھنے نہیں ہوتا - میں ایک سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں کروڑوں ہیکٹیر زمین خالی پڑی ہوئی ہے بنجر پڑی ہوئی ہے - اپجاؤ زمین بھی ہے جو کہ برسات میں مٹی کٹ جاتی ہے اور وہ بیکار ہو جاتی ہے - ایک سال کے اندر یہ سرکار ان غریبوں کے لئے فیصلہ کرے کہ ان تمام لوگوں کو جو غریبی کی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں - ان میں یہ زمین بانٹ دی جائے تاکہ انہیں بھی آزادی کا وہ فائدہ حاصل ہو سکے جس فائدہ کے سے انکی تین تین نسلیں ترس رہی ہیں - جو لوگ غریبی کی ریکھا کے نیچے جی رہے ہیں انہیں اس ملک میں کیا ملا اور انہوں نے اس دیش کو کیا دیا یہ سوچنے کی بات ہے - آج ہندوستان کی جتنی بھی ترقی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ غریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والے ان غریب ہندوستانیوں کا بے پناہ حصہ ہے اور قربانیاں ہیں جنکے ذریعہ سے یہ ملک ترقی کی راہ چھو رہا ہے سڑکیں وہی غریب لوگ بنا رہے ہیں جو غریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں - اس ملک کی تعمیر وہی بنا رہے ہیں جو غریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں - کھیتی وہی کر رہے ہیں جو غریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں - اس گلشن کی باغبانی وہی کر رہے ہیں جو غریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں انہی مزدوروں

کے باوجود اس ملک کی ترقی کے لئے اپنا یوگدان دے رہے ہیں - جن مزدوروں کو پوری مزدوری بھی نہیں دی جاتی ہے - جنکا پسینہ خشک ہو جاتا ہے اور انکی کمائی کا حق ان کو نہیں ملتا ہے آج ملک میں جتنی چیزوں کو ریفائنمنٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو اصل محنت و پسینے والا وہی ۹۰ فیصدی حصہ اور طبقہ ہے اس ملک کا جو دو وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر رہا ہے - اس غریب کا حال برا ہے اور سبھی لوگوں نے اسکے حالات پر ماتم کیا ہے جس نے اس خوبصورت پارلیمنٹ کے در و دیوار کی رچنا کی ہے اسی غریب نے تاج محل کی رچنا کی ہے - اس غریب کے ہاتھ نے اور محنت نے تاج محل جیسی فصیل اور اجنتا جیسی گپھائیں ہم کو دی ہے مگر آج ۵۰ سال کے بعد اس غریب کے مستقبل پر نہیں - حال پر نظر ہم ڈالتے ہیں تو آج بھی ۵۰ سال کے بعد اس غریب کا حال یہ ہے کہ اس کو رہنے کے لئے ایک جھونپڑی نہیں ہے - اس کو کھانے پینے کیلئے دو وقت کی روٹی نہیں ہے - وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے - کھلے آسمان کے نیچے زمین کو اپنا مکان بنا کے سو جاتا ہے - جاڑے کے موسم میں پلیٹ فارم پر وہ بغیر کمبل کے ٹھٹھر ٹھٹھر کے مر جاتا ہے - گرمی کے زمانے میں وہ لو کے تھپیڑوں سے موت کی گود میں چلا جاتا ہے - برسات کے زمانے میں انکا

چھپر نہیں رہتا ہے۔ باڑھ آتی ہے۔ سیلاب آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غریب درختوں کے اوپر بیٹھ کر اپنا جیون گزارتا ہے اور ہمارے منتری جی ہیلی کاپٹر کے ذریعہ اسکے لئے روٹی کے ٹکڑے پھینکتے ہیں اس غریب کا حال یہ ہے اس کا یوگدان یہ ہے کہ اسنے بھارت بنایا ہے۔ اسکا یوگدان یہ ہے کہ اسنے ہمارے کھیتوں کو سنوارا ہے۔ اس کا یوگدان یہ ہے کہ اسنے کانٹے چنے ہیں۔ اس دیش کی دھرتی پر پھولوں کی مہک۔ کلیوں کی تازگی ہم کو دی ہے میں اس غریب کا حال اس شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں:

فٹ پاتھ پر پڑا تھا وہ بھوک سے مرا تھا
کپڑا اٹھا کر دیکھا تو پیٹ پر لکھا تھا

"سارے جہان سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔"

آج سارے جہان سے اچھے ہندوستان کی تصویر بھی دیکھی ہوگی۔ ہم بار بار لمبی لمبی باتیں اس ہاؤس میں کہہ کر گزر گئے ہیں اور بھی لوگ آئیں گے اور کہتے جائیں گے۔ آزادی کا پھل لیا چند مٹھی بھر لوگوں کو کھانے کا حق ہے۔ لیکن آزادی کا پھل ان غریب لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے جو غریب آج بھی دو وقت کی روٹی کیلئے ترس رہا ہے۔ سر۔ اس لئے میری گزارش آپ کے مادھیم سے یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں ہیکٹر زمین بے کار پڑی ہے وہ ان غریب لوگوں میں بانٹ دی جائے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ آپ انصاف کریں۔ اب ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان غریبوں کے ساتھ انصاف کرنے کا وقت ہے۔ انہی غریبوں نے ہماری پارلیمنٹ کی رچنا کی ہے۔ انہی غریبوں نے اس دیش کے اتہاس کی رچنا کی ہے ان غریبوں کے پیٹ میں آج دو وقت کی روٹی بھی نہیں جا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہمارا ہندوستان یقیناً تہذیب کی بنیاد پر سارے جہان سے اچھا ہے۔ اپنی روایت کی بنیاد پر سارے جہان سے اچھا ہے۔ اپنی پرمپرا اور اپنی تاریخیت کے اعتبار سے اچھا ہے۔ مگر جس اچھے ہندوستان کو انگریزوں نے خراب کیا تھا جس اچھے ہندوستان کو تن کے گورے من کے کالے لوگوں نے غلامی کی زنجیروں میں کس دیا تھا اس اچھے ہندوستان کو ہم نے اسلئے آزاد کرایا تھا کہ اس اچھے ہندوستان میں رہنے والے انسان روٹی کپڑا اور مکان سے محروم نہ رہ سکیں۔ مگر ۵۰ سال کے بعد بھی اگر اس ہندوستان کا انسان بھوکا ہے تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ۵۰ سال کے بعد اگر اس ہندوستان کے انسان کے تن پر کپڑا نہیں ہے تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ۵۰ سال کے بعد اگر ہم نے پینے کا صاف پانی ہندوستانیوں کو نہیں دیا تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ۵۰ سال کے بعد اگر ہم نے نفرت کا خاتمہ نہیں کیا تو ہماری آزادی

ادھوری ہے۔ ۵۰ سال کے اندر بھی
اگر ہم نے مندر اور مسجد کی رکشا نہیں
کی تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔
۵۰ سال میں اگر اپنی قوموں میں آپسی
دوستی کا جذبہ پیدا نہیں کیا تو ہماری
آزادی ادھوری ہے۔ ۵۰ سال میں
اگر ہم نے پڑھا لکھا ہندوستان پیدا
نہیں کیا تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔
۵۰ سال میں اگر ہم نے دلوں کی تنگ دلی ختم
نہیں کی تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ۵۰
سالوں میں اگر ہم نے خیر سگالی کا جذبہ پیدا
نہیں کیا تو ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ۵۰
سال کے بعد بھی اگر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا
تو ہماری آزادی ادھوری ہے ۵۰ سال کے بعد
بھی اگر ہندو مسلمان کے بیچ نفرت کے بیج بونے
والوں کو پہچان کر انکی جڑوں کو اکھاڑ
پھینکنے کا جذبہ پیدا نہیں کیا تو ہماری آزادی
ادھوری ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اس آزادی کے موقع پر جو میرا احساس ہے
اسکو ایک بند میں آپکے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں:

میں نے مانا کہ نہیں آج سے بہتر کوئی روز
آج کے روز میں تو کٹی تھی غلامی کی رسن
رسن کہتے ہیں زنجیر کو رسی کو۔
میں نے مانا کہ نہیں آج سے بہتر کوئی روز
آج کے روز میں ٹوٹی تھی غلامی کی رسن
قید انگریز سے چھوٹے تھے اسیر آج کے دن
آج کے روز میں آزاد ہوا تھا یہ وطن
سب بجا۔ مگر اے دوست خدا جانے کیوں
میں ابھی دیدۂ فطرت میں نمی پاتا ہوں
یوں تو دنیا کو سلام ہے جوانی یہ مگر
اس بھری بزم میں اک شے کی کمی پاتا ہوں
تم برا مانو نہ اے دوست مجھے کر دو معاف
پھر کبھی نغمۂ جمہور سنادوں گا تمہیں۔

یہ کیسی جمہوریت ہے ہمارے پاس کیا ہم اس
جمہوریت پر فخر کر سکتے ہیں۔ جس جمہوریت
میں ہم بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں۔ عورتوں کو
بیوہ بنا رہے ہیں۔ کرپشن کے خلاف ہم
جوانی کی امنگیں پیدا کر رہے ہیں۔ کس
جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کس
جمہوریت پر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ ہم
اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہم جمہوریت پر
بحث کریں۔ جہاں لاکھوں نہیں ہزاروں
لوگ بھوکے ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا
ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو سپنا دیکھا
تھا وہ سپنا آج تک اپنا نہیں ہو سکا۔ گاندھی
جی کا بلیدان یقیناً ناقابل فراموش ہے
کیا گاندھی جی نے ایسے ہی ہندوستان کی کلپنا کی
تھی۔ گاندھی اپنے آپ کو ننگا ننگا اسلئے
دکھتے تھے کہ بھارت ننگا ننگا نہ رہ سکے مگر
آج ہم نے پورے بھارت کو ننگا ننگا کرکے رکھ
دیا ہے۔ گاندھی جی نے اپنے بدن سے کپڑے
اتار دیئے تھے۔ گاندھی جی کے ہاتھوں میں لاٹھی

کی تھی۔ ہندوستان نہیں کی تھی۔ مگر وہ ادھی نے گاندھی جی نے ہندوستان کو پیارا سے بھری ہوئی دولت کا ایک ملک بنانے کا سپنا دیکھا تھا جو سپنا آج تک بھی اپنا نہیں بنا جا رہا ہوں کہ خود میں کرونگا ہیکٹیئر زمین اس ملک میں خالی ہے۔ یہ سرکار فیصلہ کرے کہ سال بھر کے اندر ان ۹۴ فیصدی الائی لوگوں کے حوالے ان زمینوں کو کر دے گی جن زمینوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ غریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والے لوگ اس پر اپنا مکان بنا سکیں۔ اپنا سائبان بنا سکیں۔ اپنی کھیتی باڑی کر سکیں سبزی پھل پھول اگا سکیں تاکہ ان کو بھی جینے کا موقع ملے اور آزاد ہندوستان کی نعمتوں سے وہ بھی اسی طرح فیضیاب ہو سکیں جسطرح چند مٹھی بھر لوگوں نے انکے حقوق کو بھی غلامی کی زنجیروں میں کس لیا ہے اور آزادی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ غلامی کی زنجیر جنہوں نے دوسروں کو نہیں کسنے لگے۔ البتہ اونکیک غلامی کی زنجیروں میں جس طرح سے وہ غریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس سے ان کو نہیں مکتی اور آزادی حاصل ہو جائے گی۔

سر۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑا اہم سوال ہے وہ ہے جنگل۔ ہمارے پردھان منتری صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ جنگل بڑے بے دردی سے کاٹے جا رہے

سکے ہیں۔ اسلئے میں پھر ایک مرتبہ اپنی حکومت کو سمجھاؤنگا کے روپ میں آپ کے سامنے رکھنا ہیں۔ جنگلوں کو کٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مگر انہی جنگلوں میں آدی باسی قوم رہتی ہے جسنے جنگلوں کے سراغ کو پہچانا ہے۔ جنکو جنگلوں کی آب و ہوا راس آ رہی ہے۔ جنکے تن بدن پر کپڑے نہیں ہیں۔ جنگلوں کے ذریعہ جتنی بھی پیدا ہونے والی پیداوار ہے۔ مالک بنا کر ان آدی واسیوں کو اسکا مستحق قرار دیا جائے اور ان آدی واسیوں کو ذریعہ جینے جینے کا موقعہ بھی دیا جائے

سر۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو یہ طے کیا گیا تھا کہ یہاں صدارتی نظام حکومت نہیں ہوگی۔ امریکہ میں صدارتی نظام حکومت ہے جو جمہوری حکومت ہے اسکے دو پہلو ہیں "پریزیڈینشیل" صدارتی نظام حکومت" صدارتی نظام حکومت میں ہوتا یہ ہے کہ حکومت تو پائیدار اور مستحکم ہوتی ہے مگر وہاں خود اراں جواب دہی کیلئے زیادہ نہیں ہوتیں۔ ہم نے جو طرز جمہوریت اپنائی اسمیں حکومت استحکام نہیں ہوتا مگر جواب دہی ہمارے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا ملک اس روشن پہلو میں یقیناً قابل مبارک ہے کہ ۵۰ سال میں بغیر کسی دنگے۔ بغیر کسی فوج کے۔ بغیر کسی

بڑا گھاٹے اور بلیئر کی لفٹ کے جھگڑے کے جب پاور کا ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ - سیکولر پیرامیٹروں کے تحت ہوا ہے - یقیناً یہ ایک روشن پہلو ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں - گرو کر سکتے ہیں - مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک جو اندھی کا سوال ہے میں کسی پر آروپ بھی نہیں لگانا چاہتا - کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میں **خود** ہی سوچتا ہوں اور اپنے سارے ساتھیوں کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا کوئی مذہب - کوئی کلچر - کوئی ثقافت - کوئی دھرم کیا ہمیں نفرت کرنا سکھاتا ہے - کیا ان ۵۰ سالوں میں ہم اس نفرت سے لڑ سکے ہیں کیا ان ۵۰ سالوں میں **گھرناؤں** سے جنگ کر سکے ہیں - آج حالت یہ ہے کہ کسی کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے - نہ ایم - پی کا کام ہوتا ہے اور نہ ایم - ایل - اے کا کام ہوتا ہے - اگر کام کروانا ہے تو رشوت پہلے دینے کی بات کیجئے - کام کی بات بعد میں کیجئے **جینوئن** کام بھی اگر آپ کو کروانا ہے تو پہلے **ٹھیکہ** دے دیجئے دلالوں کے ذریعہ منسٹر کے یہاں جائیے - دلالوں کے ذریعہ ایم - پی صاحب کے یہاں جائیے - دلالوں کے ذریعہ ایم - ایل - اے کے یہاں جائیے - دلالوں کے ذریعہ چیئرمین کے یہاں جائیے اگر یہ بہت ہمت بانسرم لوگ ہیں تو پھر دلالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے - ڈائرکٹ ان کے پاس چلے جائیے اور رشوت دے کر اپنا کام کروا لیجئے - اگر کہیں رشوت لے کر پکڑے گئے ہیں تو پھر رشوت دے کر آپ کے چھوٹ جانے کا انتظام ہو جائے گا - یہ بھی آپ کر سکتے ہیں - کون سی کمائی ان ۵۰ سالوں میں کمائی ہے جس پر ہم فخر کر سکیں - اگر واقعی فخر کرنے کی بات ہوتی تو یہ ہوتی کہ آدمی پاس اپنے پیروں پر کھڑے ہیں - ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے چہرے پر جوانی کی بشاشت ہوتی اور جوانی کی بہاریں دکھائی دیتیں - جب تک ہم ان عنصروں کو اوپر اٹھا کر اور لوگوں کے برابر نہیں کھڑا کر دیں گے اس وقت تک ہمارے آزادی کے **پچاس برس** پورے نہیں ہو سکتے -

سر - آخر میں ایک بات اور صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی **حقوق** کی ہمارے ملک کے ہمارے قانون نے اجازت دی ہے - بنیادی حقوق کے تحت ہندوستان کی ہر زبان میں ہمارے ایم -

**میں کے پیسے** اندر کا نگرانی کا یہ حوالہ **حصہ بھی بطور خیرات پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبانوں کے ساتھ انصاف کر دیں آپ بھاشاؤں کے ساتھ انصاف کر**

پیس اور ہمارے ایم۔ ایل۔ ایز کو اوتھ لینے
کا حق ہے - ایک سال ہوگیا - میں نے یہ سوال
اس ہاؤس میں پہلے بھی اٹھایا تھا کہ یو۔ پی
میں سماجوادی پارٹی کے دو ایم۔ ایل۔ اے
. . . . . . میں آپ کو اس پارلیمانی ڈیموکریسی
کا چہرہ دکھا رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی
کے دو ایم۔ ایل۔ اے۔ جو میرے ضلع
اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں انمیں
سے ایک کا نام ہے وسیم احمد اور دوسرے
کا نام ہے عالم بدیع اعظمی۔ اوتھ لینے
کیلئے ان دونوں نے یو۔ پی کے اسپیکر صاحب
سے یہ کہا کہ ہم اپنی مادری زبان اردو
میں اوتھ لیں گے لیکن ایک سال ہو
گیا آج تک اسپیکر صاحب نے ان دونوں
کو اوتھ نہیں لینے دی وہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم اردو میں اوتھ نہیں دلا سکینگے۔
کہاں ہیں جمہوریت کے ٹھیکیدار
کہاں ہیں پارلیمانی ڈیموکریسی کی
بات کرنے والے ٹھیکیدار لوگ۔ کیا
انکو شرم نہیں آتی - ان پچاس سالوں
میں - اگر اردو بھارت سرکار کی زبان
ہے۔ اگر اردو بھارت کی منظور شدہ
زبان ہے اگر اردو ہندوستان کی زبان
کہلاتی ہے - اگر اردو کو ہندوستان
کی زبان کا درجہ دیا گیا ہے تو اردو میں
بھی یہ سب ہوگا - اردو میں بھی

اور اردو میں بھی ہوگا - کیا اردو
بھی ودیشی ہو گئی - یا تو کہہ دو کہ
ودیشی زبان ہے - اگر یہ ودیشی
زبان ہے تو پھر آپ انقلاب
زندہ باد بھی نہیں کہہ پائینگے - آج ایک
سال ہو گیا دونوں ایم۔ ایل۔ ایز کو
اردو میں اوتھ لینے کا انکا حق نہیں
ملا - تو کیا ہم مان لیں - کہ آپ جمہوریت
کا تصور کر رہے ہیں - آپ جمہوریت
کو قتل کرنے کا کام مت کریئے - پارلیمانی
جمہوریت کو زندہ رکھیئے - یہ میں اس
ہاؤس میں آپکے مادھیم سے مطالبہ
کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے پارلیمانی
ڈیموکریسی کے چہرے پر یہ جو کالک
آپنے لگائی ہے اسکو پونچھ دیجئے
اور یو۔ پی کے اسمبلی کے اسپیکر سے
کہیئے کہ ان دونوں ایم۔ ایل۔ ایز کو اردو
میں حلف لینے دیں جنکو سال بھر سے
حلف لینے نہیں دیا جا رہا ہے اور نہیں تو
جو حالات ہیں میں ان حالات کو یہ
کہکر آپکے سامنے رکھنا چاہونگا کہ:

کسے خبر تھی بہار آتے ہی پھول رنگیں کفن بنینگے
قدم قدم پر روش روش پر چمن میں جلاد [illegible]
نہ ہوتا گل کو چمن کا لب پہ شکوہ نہ کرتے پھولوں کی آرزو ہم
اگر سمجھتے چمن کے دشمن محافظان چمن بنینگے
نہ طلب میں تھی تھا کسکو کہ ایک دن ہوگا پیمانہ [illegible]

رکے گا منزل پہ کاروان جو تو لا ہر راہ نورد بنیگے -
تاریخ مروڑی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے -
ہاؤس میں کھڑے ہو کر ایک ہزار
سال سے بھارت غلام ہے - اکبر کے دور
کو بھی غلامی کا دور کہہ رہے ہو - جن
لوگوں نے اپنے وجود کو اس دھرتی پہ ہمیشہ
کے لئے تج دیا - انکے دور کو بھی غلامی
کہہ رہے ہو - ایک طرف بہادر شاہ ظفر
کو آزادی کا سورما مانتے ہو اور دوسری
طرف اس پیریڈ کو غلامی کا دور کہتے
ہو . . . "وقت کی گھنٹی" . . . ایک طرف
ان مغلوں کو جنھوں نے بھارت کو چمیلی
دیا - مہندی دی - سوسن دیا - یاسمن
دیا - تاج محل دیا - لال قلعہ دیا اور
بھارت کی وہ ساری عظیم عمارتیں جو
ساری دنیا میں فخر حاصل کرتی ہیں -
انہی مغلوں کی دین ہے اسکے باوجود اس
دور کو بھی غلامی کہنا - بابری مسجد کو
غلامی کا چنہہ کہنا اور فخر کے ساتھ یہ
کہنا کہ ہم نے غلامی کا چنہہ توڑ دیا -
بھائی اگر بابری مسجد غلامی کا چنہہ
تھی تو یہ مہا غلامی کا چنہہ ہے -
جسمیں کھڑے ہو کر تم پارلیمانی ڈیموکریسی
کی بات کر رہے ہو - اسکو کب توڑو گے :
"کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی - "

جن لوگوں نے اپنا وجود تج دیا انکا دور
بھی غلامی کا دور ہے - جس بہادر شاہ
ظفر نے انگریزوں کے ہاتھوں کالے پانی
کی سزا کاٹ کر یہ کہا تھا کہ :

کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کیلئے
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں

اسلئے بھارت کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر
پارلیمانی جمہوریت پر بحث کر کے غلط
تاریخ مرتب نہ کی جائے اور ہندوستان
کی پارلیمانی ڈیموکریسی کے ساتھ اگر
انصاف کرنا ہے تو بھید بھاؤ ختم
کیجئے - غریبوں اور امیروں کا فرق ختم
کیجئے - سارے بھارتیہ ناگرکوں کو ایک
آنکھ سے دیکھئے - جیسے انصاف کی آنکھ
ہوتی ہیں - جمہوریت کی آنکھ ہوتی ہیں
ڈیموکریسی کی آنکھ ہوتی ہیں - ورنہ
یہ ہماری پارلیمانی ڈیموکریسی ایک
فراڈ ہوگا - ایک دھوکا ہوگا - ایک
مکاری ہوگی - ایک عیاری ہوگی -
ایک چالبازی ہوگی اور ساری دنیا
کو ایک فریب دینے کا بہانہ ہوگا - شکریہ
(ختم شد)

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Andhra Pradesh): Mr. Vice- Chairman, fifty years after we achieved freedom, we are meeting for the last four days to discuss various aspects which have been circulated. Well, today we are discussing Parliamentary Democracy. I presume that we are meeting here for two purposes—probably to review our functioning during the last 50 years and also to do some kind of introspection to see how the system can be saved, improved, bettered or whatever you may call it.

Mr. Vice-Chairman, Sir, there has been a lot of debate on the system of parliamentary democracy itself. We have debated the presidential system vis-a-vis the present system that is functioning here today. Various debates have taken place. Several people feel that the system needs to be changed.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I think, it is time for us to introspect and really ponder over whether the system has failed us or whether we have failed the system. Any system, whether it is parliamentary democracy or it is a totalitarian system or a monarchy or any other system that may exist, depends upon the people who are operating the system. It is not that the parliamentary system has failed us: it is we who failed it. I think it is now time for us to realise where we have failed and to ponder over how we can correct ourselves and thereby the system.

During the last 50 years several elections have taken place at the Centre and in various States and in every election people have exercised their franchise freely. They have done it in a very correct manner. Power has changed hands smoothly. We did not have bloodshed; we did not have coups. The transfer of power was smooth. But, in our immediate neighbouring countries we have seen the power equations over the same period of time. We have seen bloody revolutions there; we have seen the civil war like situations there. We can also see the situations, both politically and otherwise, in which they are placed today.

Sir, where have we gone wrong? It is not the people, who have let use down.The people have voted rightly in every situation that has been there for us. But, today what I fear, and many of us are also worried about, is whether those people who have nurtured democracy and strengthened the roots of democracy, will be allowed to play the role in future also? During the last 50 years we have developed several institutions. We have developed our own conventions. A lot of progress has been made. But, all this has been marred by certain other things that have happened. Let us see the other side of the coin. Today we talk of criminalisation of politics, corruption in politics, nexus between politicians and criminals, criminals and the bureaucracy. The Vohra Committee Report has stated that this vicious nexus has not left even the members of the judiciary. Is it the people, who have criminalised our polity? Is it the people who have asked us to be corrupt? Sir, most of the people are still not corrupt. I would go even a step further to say that most of the politicians and most of the bureaucrats are not corrupt. It is the corrupt few, who, fortunately or unfortunately, rule the roost.

Only today I was reading an article in a newspaper, where the Election Commission has said that by order they would not allow those, who have been convicted, from contesting elections. At the end of the article I also read that all political parties have welcomed that decision. My point is, did these political parties, including mine, need these orders from the Election Commission for not giving a ticket to criminals? I think all are guilty on this. We had decided to give 33 per cent reservation to women. The other day when nominations were made to the Rajya Sabha, three nominated members happened to be ladies. Without passing the Bill that norm has been adhered to. So, where there is a will, there is a way. You do not need any legislation or enactment to do so. Now, the question is whether we, who are at the helm of affairs, really want to bring about a change.

Sir, another important factor today is the Fourth Estate. The print media and also the visual media have become so very powerful that they have a very very crucial and responsible role to play. I hold the Fourth Estate also equally responsible and guilty; of course, not all of them across the board. They have also failed in their duty. On parliamentary democracy, we have

borrowed many things from England. In the House of Commons when new parliamentarians come to the House, the Fourth Estate takes care to focus on their good speeches.

But here we talk of management of the Press. Press doesn't pick up anybody. Whenever we say something we look towards the Press gallery and smile. This trend has to change. All of us have played this game.

The second is about Parliamentary privilages and procedures. Mr. Vice- Chairman, Sir, we are talking about corruption. Today, what is the plight of article 105 of our Constitution? Article 105 (2) deals with the rights and privileges of parliamentarians. There was an incident in our country when certain hon. Members of Parliament from this House or that House have been taken to court for something that they said or a particular manner in which they acted inside the House. Well, why has this happened? There are two reasons for it. The first reason is we ourselves have failed to pull them up. Secondly, nobody wants to say anything because the trend of the public opinion is against you. In fact, I took up this matter. I wrote a letter to our Chairman. I also marked a copy to the hon. Speaker, but I did not get any response. At the expense of being charged with trying to protect somebody who has done something wrong, I consciously wrote these letters. Why? Because for some mistake that has been made by three or four people the privileges of an institution should not be done away with for ever.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in England two Members of the House of Commons were charged with taking bribes for putting questions. This matter was discussed in the House of Commons. A Committee was formed for which Lord Nolan was the Chairman. Nolan Committee gave its report copies of which are available in our Parliament Library. Ultimately, the House of Commons decided that it was the privilege of the House and the Privilege Committee would take up this issue. The Privilege Committee reprimanded these Members.

There have been cases in our Parliament also. In those glorious days of Panditji, Members have been disqualified. We have the Mundra case. The Mudgal case was taken up in our Parliament. Now, what has happened to all these precedents? We talk of precedents. We talk of conventions, but what about those? Unless we act, tomorrow the public opinion will go against you. When once that goes against you, if rights of your insitutions are usurped or if you let them go away, then, what is going to happen to our parliamentary democracy?

Today, "judicial activism" is a term which has gained popularity in recent times. Why? Because of our failures. Judicial activism may be all right. But let me tell you that judicial despotism can be the worst kind of despotism. Let us not create a situation where we lead things to a kind of judicial despotism where the people who will be issuing orders or delivering judgements will have no accountability or responsibility to the people. Who matters most in democracy? After all what is the most important thing in a democracy? Public opinion. Public opinion is the life blood of democracy. If tomorrow you let institutions and you let people who have absolutely no connection with the people directly or indirectly take over matters because of your failures, then, what kind of parliamentary democracy will we be left with? These are the questions which we should ask ourselves.

Mr. Vice-Chairman, I come back again to the issue of criminalisation of politics and corruption. They are both interlinked. The other day, as somebody said, a situation has reached today where probably the criminals felt that instead of helping so and so to get elected to Parliament or to the Assembly, why don't we ourselves get elected. Well, there was an editorial in one of the newspapers about criminals. The Election Commission also has given many startling revelations, the number of people with criminal background, history-sheeters from various political parties who have participated in the hustings. Many of them have won. If one sees this what respect do you expect the people to have for us? I dare say it is not the people who have voted for such men into power. Such victories have been more often contrived than achieved. Today the task before us should be when we talk of electoral reforms, it is not just electorol reforms that come off the cuff, like reducing the convessing period that

will reduce the margin of time from this much to this much or we have State funding.

Can we introduce a system by which criminals will play no role during our election process? Why have we not used the electronic voting machines till now? Why have we not issued multipurpose photo identity cards with a holographed hologram code? Why have we not thought of some kind of a scanner or reader for this card to read the code and allow only genuine voter to vote if he is a genuine voter? Well, these are details which I do not want to go into now. I have myself done considerable amount of work on this and I would only be too glad to discuss with the Government or anybody who wants any further information on these aspects. But I think these are aspects of paramount importance and this is where our focus should be.

Sir, there are many others who want to peak and I would conclude before you press the bell. I just want to touch on one more aspect. The next thing I want to deal with is the remuneration of Members of Parliament and MLAs. The other day, there was something which appeared in the Press. "MPs decide or they are thinking of doubling their salaries". "Hefty hike in the salaries of MPs". They say 'doubling'. What is the doubling? From Rs. 1500/- to Rs. 3000/-. Mr. Vice- Chairman, Sir, if you want to have a healthy democratic system, you have to have expensive parliamentarians. If you want to have justice cheap, you must have expensive judges. If you want a clean and cheap administration, you must have an expensive bureaucracy. Let us learn these lessons before we talk more about removing corruption. Today, the plight of the bureaucracy, the plight of even the judiciary, is not better than that of politicians. But today, you do not increase your salary just because somebody from the fourth estate will write a box item. Let them write. What are the remunerations today of many of these people who are there in the fourth estate? Today, they are also not exempt from all the ills that have crept into the various other sections of our society. How many of them are not today indulging in liaison work? How many of them have assets disproportionate to their income? It is easy to throw stones at others. But don't do it from a glass-house. Whenever we increase our salaries, Mr. Vice-Chairman, why do you have to bring it only on the last day of the last Session? Why should there not be a full discussion on it? Let the people of the country know what their MPs get, what the bureaucracy gets, what their salaries are, what they need to get. We have to go to the people. Otherwise, you will go on and on like this. We will only be talking of high moral principles. Mr. Vice-Chairman, today you have the most corrupt people talking against corruption, those who have been most closely associated with criminals talking against criminalisation and so on and so forth. I do not want to take any names or give examples. But this is our sad plight today. Are we prepared to move from here or should we stagnate in this and let things go?

Mr. Vice-Chairman, Sir, India was the first experiment where politically our country was united into one nation. If you go through the stories of nations, you will find that two factors usually sort of lead people to form themselves into a country or into a nation, right from the days of the Greek city states and the Roman nation states. Two factors motivated people to form themselves into a country. What are these two factors? They are religion and language. A common religion or a common language or may be both have motivated people, activated and enthused them to form themselves into one unit, one entity, one nation, one country, one state. India's was the first experiment of its kind, the most unique experiment was that we formed ourselves into a nation despite several religions, despite several languages, despite several other cultural differences. And hence let the entire House be aware of the fact that religion and language are two most devisive factors as far as our country is concerned. And those who may try to whip the horse of either religion or language will only be sowing the seeds for baulkanisation of this nation. Therefore, if parliamentary democracy has to stay, if India has to stay, if this nation has to grow, religion and language are two factors which should be left in the place they were in and any attempt to monopolise on these aspects for pretty political gains will have very, very severe repercussions as far as we are concerned.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I think, we will be

discussing this issue the whole of today and on Monday also. At the end of this discussion, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would appeal to this august House to come with a resolve. While at the stroke of the midnight hour fifty years ago, it was freedom that we embarked upon, now, let us call for the second freedom-struggle to free our country from the clutches and pangs of criminals and the corrupt. Let this be the unanimous resolve of this august House at the end of this discussion. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri O. Rajagopal-absent. Shri Manohar Kant Dhyani.

**श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की पचासवीं जयंती पर सभा के विशेष सत्र द्वारा देश के अंदर हुए विगत वर्षों के कार्यों के सिंहावलोकन का एक अच्छा प्रयास किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वतंत्रता के लिए हुए हजारों ज्ञात, अज्ञात बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। इस पुनीत अवसर पर मैं अपने ग्राम के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो 1942 में पौड़ी जेल में शहीद हुए थे, सुन्दर लाल शास्त्र का भी स्मरण करना चाहता हूं। सुन्दर लाल शास्त्र जैसे कितने ही हजारों लोग होंगे, जिनको राजनीति की अनुकूलता के बाद कभी न स्मरण किया गया, और न देश ने कभी उनका विचार किया।

महोदय, जब हम आजादी का विचार करते हैं तो हमें स्मरण हो आता है कि देश का विभाजन हुआ था और यह देश का विभाजन एक ऐसी दुखद घटना थी, जिसके पापों को हम आज भी भुगत रहे हैं। मैं तो यह मानता हूं कि हमारी बहुत सी समस्याओं के मूल में देश के विभाजन के बाद की उत्पन्न स्थितियां हैं। हमारे समाज में जो संशय व्याप्त है, उसके कारण से जो हमारी आर्थिक गड़बड़ियां हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वह एक बड़ा कारण है। हमको यह जानना पड़ेगा, यह विचारना पड़ेगा कि क्या देश का विभाजन बच नहीं सकता था? कौन कौनसी चीजें पीछे थीं? सातवीं सदी से मुसलमान हमारे साथ रहते थे और जो सातवीं सदी से रहने वाला मुसलमान था वह आक्रमणकारी नहीं था। बारहवीं सदी के बाद के मुसलमान की कल्पना दूसरे प्रकार की है, लेकिन सातवीं सदी से यहां रहने वाला मुसलमान, जिसको भारत के हिन्दु राजाओं ने जूनागढ़ में और बाकी देश में शरण दी और उसने अपनी मस्जिदें बनाने का अवसर प्राप्त किया, वह भारत के साथ एक प्रकार से साझा जीवन पद्धति में और मत-भिन्नता के बाद भी अच्छी तरह से रह रहा था।

महोदय, अभी आज़मी साहब का भाषण हो रहा था। उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं किसी पर आक्षेप इस अवसर पर करना नहीं चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सन 1947 के बाद मुसलमान के परिष्कार की कोशिश की गई? क्या जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ, मुसलमान को यह बोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ कि मुसलमान अपने धर्म का पालन तो करें किन्तु देश की संस्कृति से जुड़कर। इस देश की एक लोक संस्कृति है, और यह संस्कृति भूमंडलीय होती है। जर्मन की एक संस्कृति हो सकती है, इंग्लैंड की एक संस्कृति हो सकती है, अरब की एक संस्कृति हो सकती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जहां विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के वेश हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और हम मूलत: दूसरे के मत का आदर करने वाले हैं, उसका सम्मान करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर एक जीवन पद्धति खड़ी की है, उसे संस्कृति कहा है। हमने शास्त्र में इसका निरुपण किया है-मुण्डे मुण्डे मतिरभिन्न:। हमने मत को कभी समूहवाचक नहीं बनाया। दूसरे लोग विश्व में हैं, वह भीड़ तंत्र वाले हैं, पूरे समूह का एकमत है, लेकिन भारत ने व्यक्ति का विचार किया, व्यक्ति के चैतन्य का विचार किया। इसके कारण से हमारा किसी से दुराव नहीं था, दबाव नहीं था, और इसी कारण मुसलमान इस देश में आजादी से अपनी मर्यादाओं मत का निर्वाह करता रहा। आज जो दुखद स्थिति है, 1947 के बाद जो दुखद स्थिति आई, उसके लिए ऐसे ही लोग जिम्मेवार थे, जैसे यहां बैठे हैं ऐसे ही नेता जिम्मेवार हैं। यहां लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे कभी स्मरण आता है, भारतीय संस्कृति में कहते हैं-''शमशान वैराग्य'', अर्थात लोग जब शमशान को जाते हैं तो एक वैराग्य आता है कि कल हमारे सामने भी यही स्थिति आने वाली है, अब दुनिया में ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। यहां भी लोग सदन के अंदर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इसके बाहर जाते हैं तो उनके आचरण बदल जाते हैं। भारत का दृष्टिकोण है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम जो कहते हैं, वचन से भी सत्य कहें, कर्म से भी सत्य करें, व्यवहार से भी सत्य करें, यह भारत का व्यवहार होना चाहिए, वचन होना चाहिए और इसी में हिन्दु-मुस्लिम समस्या का समाधान है। आज़मी साहब कह रहे थे कि दो व्यक्तियों को वहां उ.प्र. में शपथ नहीं लेने दी गई। महोदय, उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी है और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हिन्दी क्षेत्र का अंग है। हमारे यहां गांव में कहते हैं कि:-

जैसा पीवे पानी, वैसी बने बानी
जैसा खावे अन्न, वैसा बने मन।

तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुसलमान भी उर्दू के लिए आग्रह करे और मद्रास का रहने वाला मुसलमान भी उर्दू के लिए आग्रह करे, जिसकी भाषा तमिल है वह भी उर्दू के लिए आग्रह करे और बंगाल का मुसलमान भी उर्दू के लिए आग्रह करे? इसका अर्थ है कि उर्दू भाषा को धार्मिक भाषा बना लिया गया है भाषा धर्म की नहीं होती और भाषा को जब-जब धर्म से जोड़ा जाएगा दुराव आएगा, दुर्भाव आएगा, विघटन आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के राजनेता दुराग्रह छोड़ें। जनता दुराववादी नहीं है, इस देश की जनता पूरकतावादी है। इस देश के सिद्धान्त, इस देश का जन संघर्षवादी नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट मित्र संघर्ष की बात करते होंगे, लेकिन इस देश की जनता संघर्षवादी नहीं है, वह सहयोगवादी है, केवल नेता अपने स्वार्थों के लिए हिन्दु-मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान यदि केवल इस्लाम की बात करेगा, मुसलमान इस भारत देश में यदि केवल दारूल इस्माल की बात करेगा, दारूल हरब की बात करेगा तो विद्वेष उत्पन्न होगा। मुसलमान को भी दूसरों की भावनाओं का विचार और सम्मान करना चाहिए तभी आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर हम कहते हैं:-

> सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया।
> सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माकश्चित् दुखभागभवेत।।

मुसलमान को जेहाद की बात करनी इस देश में बंद कर देनी चाहिए। मुसलमान को दारूल इस्लाम और काफिर की बात करनी और सोचनी इस देश में बंद कर देनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता के हित के लिए यह प्रजातंत्र समर्पित हो, आत्मसमर्पित हो। जो हमने घोषणाएं की थीं और संविधान हमने बनाया था, मैं नानी पालकीवाला का एक उद्धरण यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं:-

> ''जिन्होंने स्वयं को संविधान को समर्पित किया पर उसे रखने की योग्यता अर्जित नहीं है। पूर्वजों से प्रखर, वैविध्यमान परम्परा तो मिली, पर उसे अक्षुण्ण रखने की बुद्धिमता नहीं मिली। जो बड़ी शांति और धैर्य के साथ कष्ट का साथ तो भोग रहे हैं, पर उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान और भान नहीं है।''

जिस संविधान को लोगों ने उद्धरण के लिए पढ़ा, मैं उसको यहां दुबारा पढ़ना नहीं चाहता। समानता या व्यक्ति की गरिमा आदि चीजों की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन किया क्या गया? 10 बरस में हमने कहा था कि हम हरिजनों का स्तर ऊंचा उठा देंगे, कितना उठाया है 50 वर्षों में? हमने कहा था कि हम देश को उसकी भाषा प्रदान कर देंगे, कहां भाषा प्रदान हुई है? हमने कहा था कि हम निरक्षरता को दूर कर देंगे, हम नहीं कर पाए और सबसे बड़ा जो दोष हमने किया है राष्ट्र की रक्षा का। ''शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रम'', यह भारत में कहा गया है कि देश की रक्षा करनी है तो शस्त्र को ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन हमने पंचशील का नारा लगाया, ''चीनी-हिन्दी भाई-भाई'' का नारा लगाया, और परिणाम क्या हुआ कि देश की सुरक्षा की जो प्राथमिकता थी, उसे हमने भुला दिया। इसका परिणाम सामने है कि 22 अक्तूबर, 1962 को देश पर चीन का आक्रमण हुआ और चीन ने हमारी 12,500 वर्ग किलोमीटर भूमि तो दबाई ही, एक ऐसा अभिशाप भी हमारी सेना को दिया, जैसा हमारी सेना के जीवन में कभी नहीं हुआ था। हमारी सेना का एक पूरा का पूरा ब्रिगेडियर होशियार सिंह का ब्रिगेड था, राजपूताना रेजीमेन्ट थी, उसका पूरा का पूरा ब्रिगेड चीन के कब्जे में आ गया। भारत की सेना की बड़ी शान थी, क्योंकि हमने सुरक्षा का विचार नहीं किया, उस पर एक धब्बा लग गया। जैसे सुरक्षा का विचार नहीं करने से यह संकट पैदा हुआ, वैसे ही दूसरा संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने शिक्षा का विचार नहीं किया। अच्छे राष्ट्रों में, अच्छे विचारों में, नम्बर एक पर सुरक्षा, नम्बर दो पर शिक्षा, नम्बर तीन पर उत्पादन और नम्बर चार पर बाकी बातें आती हैं। यह बातें भारत के पुराने राज्यों में भी थीं, लेकिन हमने इनकी उपेक्षा कर दी और हम केवल नारेबाजी करते रहे। सेना की स्थिति आज क्या है? सेना पर हम जो खर्च करते हैं 25 परसैंट के आसपास, मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो स्थिति है, वह बड़ी दयनीय है। मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं, जहां हरेक घर में एक सैनिक है। वह जो मोर्चे की बातें करते हैं और छुट्टी को लेकर के आपस की गड़बड़ी की बातें करते हैं, मैं उनमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, उन्हें सुनकर निराशा होती है कि हमारी सेना किस रूप में रह रही है। इस स्थिति की चिंता करनी चाहिए।

अब मैं शिक्षा की बात करता हूं। हम अपनी सकल आय का केवल 3 प्रतिशत शिक्षा में लगा रहे हैं। यहां हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सर्वहारा की बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं लेकिन वह बेचारा

करेगा क्या? इस देश की स्थिति यह हो गई है कि शिक्षा का विचार नहीं है, शिक्षा के नाम पर केवल नारेबाजी होती है जिसके कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधीजी ने इस समाज को पहचानने की बात की थी। गांधीजी सच्चे अर्थों में भारत के प्रतीक थे क्योंकि भारत का एक सिद्धांत है कि-''उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे''। अगर समाज को ऊंचा ले जाना है, उसकी कुछ उन्नति करनी है तो समाज को उद्यमशाली बनाना पड़ेगा और उसके पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा लेकिन हमने उसके पुरुषार्थ को नहीं जगाया। हमने अंधाधुंध मशीनीकरण तो किया लेकिन व्यक्ति के पुरुषार्थ की पहचान नहीं की, व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ा, समाज को प्रकृति से नहीं जोड़ा, प्रकृति को ईश्वर से नहीं जोड़ा क्योंकि हम भारत के लोग ईश्वरवादी लोग हैं-कोई खुदा को मानता है, कोई यीशु को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई राम और कृष्ण को मानता है। हम सब आस्थावान लोग हैं लेकिन प्रश्न यह है कि हमने प्रजातंत्र के बारे में कितनी आस्था पैदा की है?

महोदय, हमारी आस्था का उदाहरण देखिए कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो पूछते हैं कि कितने परसेंट वोटिंग हुई? कहीं 30 परसेंट हुई, कहीं 40 परसेंट हुई। यह कैसा प्रजातंत्र है? लोकतंत्र के बारे में कैसी आस्था हमने जगाई है? यह इसका उदाहरण है। महोदय, भारत के लोग कहते थे कि-''सत्य समाभ्याम् सकलार्थ सिद्धि ...**(समय की घंटी)** महोदय, हमारे एक साथी श्री राजगोपाल जी यहां नहीं हैं, उनके 10 मिनट भी हमें दे दीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसी):** और बहुत से लोग हैं।

**श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** उनका नाम हमारे साथ जोड़ दीजिए। यहां तो लोगों ने बड़ी देर तक बोला है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** ठीक है, आप रिपीट मत कीजिए। केवल प्वाइंट्स रखिए।

**श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** महोदय, मैं गांधीजी के बारे में कह रहा था। गांधीजी सत्य के बारे में विचार करते थे। गांधीजी ने सत्याग्रह चलाया था। अनुशीलन समिति भी बनी थी बंगाल में लेकिन उस रास्ते का समाज ने अनुकरण नहीं किया लेकिन गांधीजी के साथ लोग चल पड़े क्योंकि गांधीजी ने भारत की आत्मा को छुआ था।

महोदय, गांधी जी ने एक बार कहा था कि ... ''भले ही मैं निंदनीय व्यक्ति हूं परंतु जब मेरे मुख से सत्य निकलता है तब मैं अजेय हो जाता हूं''। उसी कारण से इस देश ने गांधीजी को स्वीकार किया था। गांधीजी गांव की बात करते थे। कभी हम कहा करते थे कि हमारे देश की 85 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और भारत गांवों का देश है। आज हमारी 40 परसेंट आबादी शहरों में आ गई है और 60 प्रतिशत आबादी गांवों में रह गई है। गांव उजड़ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो धनवान हैं वे शहर में आ रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए और जो गरीब हैं, वे आ रहे हैं रोजी के लिए। हम वहां न सुरक्षा प्रदान कर पाए हैं न रोजी प्रदान कर पाए हैं। हम सनकवाद के शिकार हैं कि हम गांवों की बात करते हैं लेकिन दरअसल हम गांवों का विचार नहीं करते हैं और जब हम गांवों का विचार नहीं करते हैं तो हम गांधीवादी होने का ढोंग क्यों करते हैं? हम गांधी की बात जो करते हैं वह तो केवल वोट के लिए करते हैं।

महोदय, गांधी ने समाज के बारे में धारणा की थी कि देश का जो समाज है, उसको कैसा आचरण करना चाहिए। उन्होंने व्यक्तियों के बारे में 4-5 सिद्धांत कहे थे। गांधी जी ने कहा था कि - ''आचार-रहित वाणीज्य नहीं चाहिए, आत्म-विवेक रहित हर्षोल्लास नहीं चाहिए, सिद्धांत-रहित राजनीति नहीं चाहिए और चरित्र-रहित ज्ञान नहीं चाहिए, मानवता-रहित विज्ञान नहीं चाहिए, त्याग-रहित उपासना नहीं चाहिए। भारत के लोगो, तुम जाति, पंथ, वर्ग, धर्म, चाहे किसी के मानने वाले हो जरा इसका विचार तो करो''। इन बातों में से कितनी बातों पर हम आज अमल कर रहे हैं? हमने गांधी जी की मूर्ति संसद के सामने रख ली है लेकिन गांधी के बारे में हम कितना विचार कर रहे हैं, अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा।

महोदय, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने उद्घाटन भाषण में जोसेफ स्टोरी के शब्दों को क्वोट किया था। उसको मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि - ''इस ढांचे को अति कुशल तथा निष्ठावान वास्तुकारों ने खड़ा किया है। इसकी नींव अति सुदृढ़ है। इसके कमरे सुंदर भी हैं और उपयोगी भी। इसकी व्यवस्था सुबुदिजन्य है और यह अभेद्य है। इसे अमर कृति के रूप में रचा गया है। मानव की किसी कृति को सम्मान से विभूषित किया जाना चाहिए। लेकिन यह जनता की मूर्खता अथवा भ्रष्टाचार अथवा उदासीनता से नष्ट हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि आप इन सब बातों पर विचार करें कि गणराज्यों का निर्माण नागरिकों के सदाचार, उनकी जन-भावना और बुद्धिमता की ईंटों से होता है... उनका पतन हो जाता है, जब बुद्धिमानों को तो इसलिए जन परिषदों से निकाल दिया जाता है,

उनमें सच्चाई पर टिकने का साहस होता है और लम्पटों का सम्मान होता है क्योंकि लोगों की चाटुकारिता करके उन्हें धोखा देते हैं। इन शब्दों में लोकतंत्र का भविष्य रेखांकित किया गया था। आप यह विचार करें कि आज हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। आज हम यहां बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं लेकिन जब हम समाज में जाते हैं कैसा व्यवहार करते हैं। वोट के लिए हम कितने गिर जाते हैं। आप जातीवाद की बात करते हैं, आप वर्ग की बात करें। क्यों नहीं आपने जाति सूचक शब्द को हटा दिया, आपके हाथ में शासन था। आपने जातीय संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं बंद कर दिया। आवश्यकता है इस देश में जाति के नाम की संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आप दूसरा नाम मांगों। यह आप कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं किया। आप जातिवाद का विरोध करते हैं, अभी हमारे जनार्दन जी यहां खड़े थे। वह किसी व्यक्ति का नाम ले रहे थे, मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। वह किशन गंज की सीट की बात कर रहे थे कि वहां 70 परसेंट अमुक वर्ग के लोग है इसलिए वह जो व्यक्ति बड़ी-बड़ी डींग मारता है इस विषय में वह चुनाव लड़ने के लिए वहां जाता है क्योंकि 70 परसेंट लोग उस वर्ग के हैं और दूसरा भी 70 परसेंट में जाता है जहां उसकी जाति के लोग हैं। फिर लोग जातिवाद की बात करते हैं। यह जातिवाद तो स्वाभाविक हो गया है। अगर हम इसको ईमानदारी से हटाना चाहते हैं तो देश की परम्परा है कि हम योग्यता का वरण करेंगे, हम चरित्र का वरण करेंगे, हम ज्ञान का वरण करेंगे, हम जाति के नाम पर किसी बुराई का वरण नहीं करेंगे, यह संदेश जाना चाहिए।

लोक सभा सचिवालय से अभी एक किताब छपी है जिसका नाम है — "भारतीय संसदीय लोकतंत्र के 50 वर्ष" किस तरह से यह हमारा तंत्र काम कर रहा है तथा इस पुस्तक को बहुत सराहा गया है बड़ी भारी चर्चा है। पता नहीं, इससे देश का उद्धार हो जाएगा? लेकिन इसमें कैसे-कैसे गलत उल्लेख हुए हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक है—हिंसा और आतंकवाद शीर्षक यह पेज— 17, 18 पर है। इसके पांचवे-छठे खंड में है -मेघालय में जनजाति के लोगों के मध्य जातीय भेद हिंसा का मुख्य कारण। ऐसी कई घटनाएं हत्याओं के लिए उत्तरदाई हैं। महाराष्ट्र में गढचिरोली और चन्द्रापुर जिलों में आतंकवादी गतिविधि केन्द्रीत है। अब इसी के नीचे आइए। लिखा गया है कि — उत्तराखंड आंदोलन जैसे क्षेत्रीय आंदोलन भी देश में शांति को भंग कर रहे हैं।" मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ढाई वर्ष तक उत्तराखंड में, उत्तरांचल में एक बड़ा आंदोलन जरूर हुआ था लेकिन वहां किस की हत्या नहीं की गई, वहां मैदान में किसी भी जाने वाले का अपमान नहीं किया गया, वहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्राएं अनवरत चलती रही और वहां मंसूरी और नैनीताल में पर्यटक अनवरत जाते रहे। किसी को पीड़ा का अहसास नहीं हुआ है। मैं इसकी निन्दा करता हूं कि यह जानबूझकर के हमारे इस मिशन को, हमारे उस आंदोलन का कमजोर करने के लिए जो यहां इस किताब में उल्लेख किया गया है मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस कथन को लोक सभा सचिवालय द्वारा भी पुस्तिका से निकालने का आप आदेश करें और मेरी बातों को उसमें शामिल करें। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि देश की जनता को जानना चाहिए कि अगर हम आतंक के रास्ते पर गए होते, बिलगाव के रास्ते पर गए होते तो हम प्रतीक्षा नहीं करते। हमने भी नागालैंड का रास्ता अख्तयार किया होता तथा मेघालय, त्रिपुरा तथा और दूसरे राज्यों में जो हो रहा है और आपने डर के मारे लोगों को राज्य सौंपे हैं। लेकिन हम अरसे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमने 1938 में नेहरूजी की कही बात पर भरोसा किया हम 1954 से प्रतिक्षा कर रहे हैं। 1954 में फजल अली आयोग ने कहा था कि राज्य बनना चाहिए। इस आयोग के सचिव श्री पणिकर ने कहा कि राज्य बनना चाहिए। प्रधान मंत्री ने एक वर्ष पहले कहा कि यह राज्य बनना चाहिए और अब जो प्रधान मंत्री है उन्होंने अभी 15 अगस्त को कहा है कि हम इसको शीघ्र बना रहे हैं। अब यह बना रहे हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इस किताब के माध्यम से हमें लिखा जा रहा है कि हम इस आंदोलन से देश की शांति को भंग कर रहे हैं। हमने तो शांति भंग नहीं की, हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शौर्य करते हैं, धैर्य से रहते हैं। मैं आपके माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि लोक सभा सचिवालय को लिखेंगे और इस चीज को हटवाएंगें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): यह जो इस किताब में उल्लेख हुआ है बहुत अनुचित है। इसको हटवाया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): उन्होंने तो बोल दिया, आप बैठिए।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is quite difficult to stay within the parameters which were set by the Chairman in terms of conducting the discussion in a manner where acrimonies will have to be avoided, because when Parliament comes to be utilised by disciples of Guru

Golwakar and all the fundamental premises of the freedom struggle are challenged and undermined, it is difficult on the part of any sensible person who cherishes parliamentary democracy to remain unprovoked. So, with that constraint and without further dilating on this. I would like to Move on to another aspect of the current debate.

Yesterday morning when Shri Balanandan was supposed to start this discussion, some of our colleagues in a very light- hearted banter pointed out that this was a strange coincidence that Communists in this country are being asked to initiate a discussion on parliamentary democracy on the occasion of celebiation of the fiftieth anniversary of the Republic. But, Mr. Vice-Chairman, Sir, if one goes through history with a little avidity one will find that perhaps it is not so strange for Communists to take up the cause of democracy. If you go through the history of 19th century's Europe, on the great struggles whereby different rights, fundamental rights of the people, enlargement of the democratic rights of the people, of adult franchise or franchise for women, it is the Communists and the Socialists who led the greatest and the glorious of battles in the European parliaments for the enlargement of those rights. In our country too, Mr. Vice-Chairman, Sir, if one goes through the history, I don't want to undermine any of our national leaders, they were tall leaders, they made their own contributions. But, it will be unfair on our part to describe the national struggle as one in which the Congress Party as a political force was the sole contributor. There were different streams in the freedom struggle and each one in its own way made their distinctive contribution. For example, Mr. Vice-Chairman, Sir, the problems that we are confronted with today, the whole question of secularism, the whole question of federalism, the question of social equity, the question of equality for men and women, irrespective of caste, creed or religion, in many of these, the right of the States' people to integrate with the rest of the British India in a free nation, in all those struggles, the Communists played their distinctive roles. Without dilating further on what the Communists did in so far as the freedom struggle was concerned, I would like to refer to the speech that was made earlier by Gujralji regarding the evolution of our non-aligned stance so far as foreign affairs is concerned.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I think it was not a chance coincidence that the Non- aligned Movement and policy and the principles of non-alignment evolved in the course of the freedom struggle. Similarly, the fundamental principles of our Constitution, those of secularism, those of federalism, those of social justice, those of self-reliance also were very much born in the womb of the freedom struggle itself. Now, well, we take credit for the fact that Indian parliamentary democracy has got entrenched over the years and there is no doubt about it. There is no other parliamentary democracy in any other developing country where blossoming of parliamentary democracy has taken place in the manner that it has happened in this country. Despite provocations, we have not gone the theocratic way. I mean what happened in Pakistan and the way the polity was shaped in Pakistan, it was very natural for such voices as we heard a little before to derail our polity. But such voices we have heard a little before could not prevail upon our polity. Our national struggle made a great contribution to secular ideals. Our national leaders understood the linkage between parliamentary democracy and secularism which safeguards such numerous minority communities in habiting the country. They thought that unless these were integrated, unless secularism became an essential component of our democracy in our parliamentary system we cannot go ahead. This understanding converged in the very process of our political development in the post-Independent polity.

How to remove poverty has been dealt with by many speakers. Mr. Pranab Mukherjee did it very effectively and so many other speakers spoke that the major problems that we confront today and the major challenges before our parliamentary democracy today. In fact, most of these challenges have historical roots in the British ruling. The kind of loot and plunder the Indian people were subjected to and the whole question of communalism and the question of castism, and the way they are all emerging today all have their roots in British rule. We have inherited divisive policies from the British rule and their historical genesis, we are seeing today.

Therefore, anti-colonial struggle, anti-imperialist struggle have to be consolidated and expressed for the successful process of parliamentary democracy in our country today. Unless forces of social injustice, communalism were battled out, our parliamentary democracy cannot be sustained. That is why we find these considerations in the main body of our Constitution and in the debates of our Constituent Assembly to make our parliamentary democracy inclusive and not exclusive of different sections of the society. Integration was the essence of our parliamentary democratic process and our Constitutional process. That is an essential feature and it is because of this that we have seen the fate of theocratic States. Religion cannot be a basis of a nation-State. This has been proved by experiences. There is an excellent contribution of our national freedom and our national leaders understood this and they recognised this. They did not fall prey to the kind of process that was there elsewhere in our neighbourhood. Mr. Vice- Chairman, Sir, but notwithstanding all these I would also like to point out where we have gone wrong. Mr. Kishore Chandra Deo made certain points about the distortion that has crept into the system. We are seeing it. We are seeing poverty. How are we tackling it? Earlier in the morning, Mr. Hanumanthappa was making a fervent appeal with regard to the freedom of the most down-trodden sections of our society, belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He was mentioning the experience of inhuman treatment that they are continuing to be subjected to today. The point is about poverty and inequality. There is also a question of economic democracy. Unless we are able to lend economic content to our political freedom, our democratic system cannot sustain. Therefore, we have seen, at times of economic crisis, there have been different forms of expressions of discontent which have led to rebellion. Today also we are seeing the increasing emergence of terrorism, extremist ideas and it would be wrong on our part to treat these expressions of refusal to accept parliamentary democratic system as simple acts of misunderstanding as they have essentially political roots. Unless these problems are dealt with at the political level, Mr. Vice-Chairman, Sir, it is difficult. I would urge upon this august House to consider this aspect. That the Maturity of a political system, the Maturity of a parliamentary democratic system is understood by the extent to which the system can approximate and express the wills and aspirations of the people living at the grass-root level. In a sense, unless the parliamentary democratic system can transform itself from a representative system to a participatory system where greater inclusion of the views of the people, where greater inclusion and expression of the people is there in terms of participation in the decision making process, nothing can go ahead. Of course, our Constitution was creative on this point that is provided for a Federal structure with Union Government with voluntary union of different provinces. But, unfortunately, Mr. Vice-Chairman, Sir, we have seen over the years, how the powers of the States have been eroded. Now, we have seen, as a result, as also a counter to this, different types of movements are developing. We have also seen, as a result of centralisation, the kind of imbalances that have developed in the whole country. In several speeches, throughout these five days, we have talked about BIMARU States and we have talked about different kinds of imbalances. So, unless we work towards a more federal kind of structure without further democratising and decentralising the decision making process of this country, not just policies which shape and influence the activities of the States but of the nation as a whole, I think the kind of situation that we are hoping for, we are cherishing, and that our fore-fathers dreamt of in the course of freedom struggle, cannot be achieved unless federal principles are strengthened. There comes the question of further decentralisation of Panchayati Raj. People have spoken about Gandhiji. I think, in a slightly factually incorrect way, they have talked about Rajiv Gandhi as having started the whole process. Of course, he played a role in according a Constitutional recognition to the Panchayati Raj system. But, in 1978, the experiment started in West Bengal in a new way. The point I was making earlier was of incorporating an economic content to the whole process, the background of agrarian reforms in Bengal that created a situation whereby a new socio-economic class of people came in the leadership of the Panchayati Raj institution.

That consolidated the Panchayati Raj. We have seen, the result of that, in the over all awareness. Some people were saying, "Now, people have lost faith in democracy. Only 20% or 25% or 35% come to vote". But, in the State of Bengal, if you see the figures of Bengal for the last five years, the vote percentage ranges between 75% and 80% because there is a certain degree of integration. The whole point is, we have to work towards having a more participatory kind of democracy whereby people can identify with the instruments of power whereby they can exercise the power. If that movement is not there, that does not happen. I think, several other features are coming up because of non-inclusion. Because of lack of integration of the people, several other discrepancies are also cropping up and which is threatening and undermining the very credibility of the political process.

Shri Kishoreji was referring to some very vital aspects — the question of criminalisation of politics, the question of very very disturbing signs of friction between the arms of the Constitution — the Judiciary, the Executive and the Legislature. Mr. Vice-Chairman, Sir, how are we going to run the administration? The Executive has to exercise the power. The Legislature will have to discuss political issues. But the fact of the matter is, we have referred issues like the Babri Masjid dispute and the Mandal Commission dispute to the Judiciary. These were actually political issues, but circumstances led to such a situation where these had to be referred to the Judiciary.

There has come about a situation where the Executive has failed to discharge its responsibilites. As a result of this, the people, without having any forum, any avenue, for expressing their displeasure with the decison, or, with the inaction, of the Government, have gone to courts. Therefore, a particular significance has come to be attached to the public interest litigation petitions, as we have seen in the recent past.

I would like to look at the issue in a different manner. The Legislature— Parliament and the State Assemblies— have to play a more pro-active role in this kind of a situation. What do we see? References were made to the point that when a Minister is asked to explain his conduct in the House, he fails to do so; but when the same Minister is asked to appear before the Judiciary, he goes there; he kneels down and he crawls. This is the position. What are we doing to ensure the accountability of the government before legislature.

Sir, I am not such an old Member. But from whatever is my experience, I would say that our Parliamentary institutions need a lot of fine-tuning, refining and strengthening. Our Standing Committees is a new addition to our Parliamentary system. There are many reports of the Standing Committees. I do not know what happens to them. I do not know. We can discuss. I am not suggesting anything here. I am not giving any readymade formula here. But why can't the unanimous recommendations of the Standing Committees be implemented by the Government? There are other reports also.

Then, there is the question of transparency. Kuldip Nayarji was raising this question of right to information. Now, Rs. 37,000 crores of public sector banks are blocked in some non-performing assets. But the Government says— and we simply accept that explanation—that the banking secrecy laws do not allow the disclosure of the names. On the one hand, we say that many things we cannot provide because of lack of resources. But we have this huge amount locked up, on the other. That is why I say, there has to be transparency.

I think there is a lot which has to be done. The Constitution, in spite of the basic strength it has, cannot provide answers to all the questions that we are confronted with today. Many of the things, many of the issues, many of the phenomena, we are confronted with today, could not have been envisaged at that point of time.

Now, in regard to the whole question of criminalisation of politics, of corruption, what are we doing? What about the Lok Pal Bill? Som Palji is the Chiarman of the Standing Committee on Home which went into this Bill. A unanimous recommendation was made. I do not know why, in the last Session, the Government could not bring forward the Bill. I do not know why we cannot decide on barring criminals from entering politics. I think all the parties are agreed that criminals should not be

allowed to be there in politics. I do not think there is any party which disagrees with this contention. Then, what are the specific measures that are to be taken by the political parties to prevent criminals from entering the Parliament and the State Legislatures? Why can't it be done

I think we should have a transparent, across-the—table discussion; not any backroom consultation, but discussion in front of the people. Somehow, the confidence of the Indian people, the great Indian people, has to be restored, so far as the political system is concerned. I do not know what others feel. Irrespective of parties, the confidence of the people, at large, has been eroded because of the recent developements that have taken place and the way it is being projected before the people. I think we are in a great difficulty.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) in the chair]

Unless we take corrective steps to really come to terms with the many ills that confront us, that plague our system, we will be in a great difficulty.

Mr. Vice-Chairman, Sir, if we really want to celebrate the fifty years of our Independence, it has to be in terms of this. We will have to bring in electoral reforms. We must agree to make public our individual assets. I know there will be leakages, there will be loopholes, in the system.

3.00 P.M.

But at least it is Parliament which has to take a pro-active role. Why is it that the High Court has to give a direction to the executive to give us a report on the follow-up of the Vohra Committee Report? Why cannot Parliament direct the Government? This is the mood of Parliament. Cutting across party lines, we are opposed to the kind of things that are happening. I also tend to agree with Kishoreji that it is not the majority. But it is the failure of the majority to act decisively against the minority within the parameters of the parliamentary system which has created this situation. Therefore, I think, it is the bounden duty of all political parties, political forces to do this.

I think we have to definitely discuss another aspect. In the Discussion on the Economy, we did talk about globalisation. Cutting across political lines, all of us have time and again reposed our faith in self-reliance that has been enshrined in our Constitution. We are not fools. All of us understand that the self-reliance which is being talked of today is not the self-reliance of 1947. Today's self-reliance cannot be insular. It has to be in the countext of an interdependent world. But the point the whether our changes will take place at our on behest or under dictates of some foreign country or some international agency which is being dominated by some developed country. That is the whole question, Mr. Vice-Chairman, Sir. We were confronted with the situation in this House. The government of India had agreed to an international treaty and to a commitment flowing out of that. The Government of India had agreed to it before the International community. When we were to pass the Bill, the general mood of the majority of the political parties or the majority of the Members of this House was not agreeable with that particular kind of change in our patent laws. How are we going to react to the situation? We are seeing that some international bodies are increasingly taking positions which have implications for our sovereignty also. This is basic element of our Constitution. The assumption of the freedom struggle was that we are an independent country, that we are a sovereign country and that our Parliament has the sovereign right to enact our laws which will ensure progress and development of the country. We are seeing that the international situation, the global situation, is circumscribing the rights and powers of our Parliament. These are the issues. Maybe, I do not have solutions to many of the issues. But it is high time that we engaged ourselves in debating these issues.

Finally, Sir, I will come back to the point wherefrom I started. We have poverty. We have its remifications in terms of illiteracy, lack of awareness, backwardness, social exploitation, general inequality of half of our population, the women, etc. There is the question of environment also. Unless some of these national issues are tackled within the parametrs of the parliamentary forum, notwithstanding the great achievements that we have made during the last fifty years, this country is heading for a disaster.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. ALIM): Mr. Basu, you have to conclude in a iinute or two.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am winding p.

This country is heading for a disaster espite the noble ideas that we have enshrined ı our Constitution.

SHRI SATCHINDANANDA (Karnataka): Ie is making good points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. ALIM): All the speakers are making very good peeches. No problem. More are there to deliver he goods.

SHRI NILOTPAL BASU: Without causing ı greater discomfort to you, I want to say that here will be issues on which there will be lisagreements. Maybe, there will be undamental disagreements amongst political parties. But on many new issues that we are confronted with today, it is not enough to pay ip- service to freedom fighters. They are ncreasingly becoming a vanishing generation. It is our country. It is our India. We have to tackle our problems. We have to face them headlong. Therefore, it is hightime that we started the process. We have built our own institutions. The problem now is that we ourselves are undermining them. The other day the CBI was charged of partisanship. Courts are also being charged of partisanship. The institutions of Parliamentary democracy are being charged of partisanship. Therefore, it is the political parties in the main, who have to play the role of an initiator to trigger off a process, whereby we can have a transparent and open dialogue to tackle these issues. Otherwise we will fail the freedom fighters and the martyrs, who have laid down their lives for the freedom of our motherland. Thank you.

श्री रामजीलाल (हरियाणा): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज हम संसदीय लोकतंत्र के बारे में विशेष सत्र में चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में चार दिन के इस अधिवेशन को बुलाने के लिए स्पीकर साहब और सभापति जी का धन्यवाद करता हूं। इस अधिवेशन में सभी पार्टियों ने राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर देशहित में बातें कही। आज देश को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके है और आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। सबसे पहले मैं सन् 1857 से लेकर 1947 तक जिन महापुरुषों, हजारों लाखों महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है उन सबको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेलें काटीं और देश को आजाद कराया उनको मैं प्रणाम करता हूं जिनकी बदौलत आज हम इस सदन में बैठने के योग्य हुए हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में भारतवर्ष ने जिस अहिंसक संघर्ष के माध्यम से विदेशी शासन से जो आजादी पायी है वह मानव जाति के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी जिसकी बदौलत आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे महान नेताओं ने हमारे लिए एक उत्कृष्ट संविधान की रचना की जिसमें विश्व के बड़े से बड़े लोकतंत्रों की विशिष्ट बातों का समावेश किया गया। इस संविधान में अब तक 80 संशोधन किए जा चुके हैं। 81वां संशोधन अभी विचाराधीन है जिससे कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने का प्रयास किया गया है।

हमारे संविधान का एक विशिष्ट लक्षण इसका बदलती हुई राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रासंगिक लचीलापन है। संविधान में लचीलापन लाना क्यों आवश्यक था इस बात को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने यह टिप्पणी की थी:

"...जबकि हम इस संविधान को एक ऐसा ठोस और स्थायी ढांचा बनाना चाहते है जितना हम इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। इसमें कतिपय लचीलापन होना चाहिए। यदि आप किसी चीज को कठोर और स्थायी बनाएंगे तो आप उस राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध कर देंगे जो कि जीवित महत्वपूर्ण जनता की प्रगति है अत: इसको लचीला होना चाहिए..."

संविधान, सामाजिक परिवर्तन का एक वाहन है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ-साथ राजनैतिक लोकतंत्र में उपलब्धियां हमारे संविधान की एक मूलभूत चिंता रही है। अपने भाषण में डा॰ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि:

"...राजनैतिक लोकतंत्र तक तब नहीं चल सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो..."

इसी विचारधारा के चलते डा॰ भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय दलितों का आरक्षण किया था मगर इसमें उस वक्त पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं हो सका

इसलिए आज पिछड़े वर्ग की इस देश में हालत दयनीय है। मेरी प्रार्थना है इस सदन से कि महिलाओं का आरक्षण करते समय पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण हो ताकि पिछड़े वर्ग में यदि पुरुषों को नहीं तो महिलाओं के द्वारा ही नुमाइंदगी मिल सके। महात्मा गांधी जी का स्वराज का सपना था। उन्होंने कहा था 80 प्रतिशत भारत गांवों में बसता है। स्वराज मैं तभी समझूंगा जब सभी खुशहाल होंगे तथा प्रत्येक देशवासी अपने आपको इस देश का राजा समझेगा। इसी विचारधारा के चलते स्व. राजीव गांधी जी पंचायती राज बिल लाये थे, परन्तु यह उनके सत्ताकाल में लागू नहीं हो सका। मान्यवर, राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि जब मैं एक रुपया भेजता हूं तो उसका 15 पैसा गांव में पहुंचता है। मेरी सदन से आपके द्वारा यह प्रार्थना है कि राजीव गांधी जी जो पंचायती राज का बिल लाये थे वह विधेयक पास भी हो गया लागू भी हो गया। उनकी भावना थी कि सीधा पंचायत को रुपया भेजा जाए तो वह किसी भी वजह से उसका, अभी भी वही हाल है। जो एम.पी. का हमारा कोटा होता है वह भी हमारा कलेक्टर को जाता है और कलेक्टर उसको फिर कमेटियों में, ब्लाकों में भेजते हैं। वही हाल है। मैं सदन में यह निवेदन करूंगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सीधा कलेक्टर से पंचायत को रुपया जाए? क्योंकि पंचायत यदि 80 हजार रुपये का कमरा तैयार करती है तो वही ब्लाक का एस्टीमेट एक लाख 20 हजार रुपये का होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 उससे उड़ जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि राजीव गांधी जी की जो भावनाएं थीं उनके मुताबिक वह रुपया सीधा वहां चला जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी तरह राज्य के अंगों-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंगों में एक सुसंगत संबंध की परिकल्पना की गई थी जिसके अंतर्गत वे एक-दूसरे के निजी कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच मतभेद उत्पन्न हुए हैं। हाल ही में न्यायपालिका की सक्रियता सभी के लिए एक चिंता का विषय रही है, न्यायपालिका की सक्रियता राष्ट्रीय संस्थानों के पतन को रोकने में कार्यपालिका की सक्रियता का ही परिणाम है। जब तक राजनीतिक अस्थिरता इस देश में रहेगी तब तक न्यायपालिका की सक्रियता बनी रहेगी क्योंकि लोकतंत्र के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका में से जब कोई एक अंग कमजोर पड़ने लगता है तो दूसरा अंग उस पर हावी हो जाता है।

मान्यवर, चुनाव की बातें इस सदन में आई, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। भारतीय निर्वाचन तंत्र की व्यापकता आश्चर्यचकित कर देने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न हुई स्थितियों जैसे राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि, बढ़ता चुनावी खर्च, चुनाव प्रचार का बदलता स्वरूप, इस प्रकार से जो धन की बढ़ोतरी हो रही है इस तरह से चुनाव में ज्यादा खर्चा हो रहा है इसको रोका जाए। चुनाव आयोग की सख्ती के कारण कुछ सुधार हुए हैं। मान्यवर, आज हम सारे दलगत नीति से ऊपर उठ कर सभी दल एक सदन में बैठे हैं और सदन में बैठे हुए आज विचार कर रहे हैं, इस स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में लेखा-जोखा कर रहे हैं, इस दौरान क्या उपलब्धियां हुईं, क्या खामियां रह गईं। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं यह समझता हूं कि सारा देश आज इस सदन की ओर देख रहा है और देश ही नहीं सारा संसार हमारे दोनों सदनों को देख रहा है कि जिस तरह से सदन में हम लड़ रहे थे उन सारी बातों को छोड़ कर आज वही सदन है जो अपने देश के हित के लिए सोच रहे हैं। यह एक बड़ा भारी मैसेज जाएगा देश में ही नहीं, यह संसार में मैसेज जाएगा कि हिन्दुस्तान एक है। यह वही हिन्दुस्तान है जो 1965 में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई, 1971 में जब बंगला देश की लड़ाई हुई उस वक्त 1965 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उस वक्त हमारे अनाज की बड़ी भारी कमी थी। उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अन्न की कमी की वजह से मैं हर भारतीय से प्रार्थना करता हूं कि वह एक दिन का व्रत रखे ताकि हमें दूसरे देशों में जाकर भीख न मांगनी पड़े और झोली न फैलानी पड़े। आज हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हैं। यह हमारी उपलब्धि है। फिर भी हमारी उपलब्धियां दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत कम है। आज हमारे देश में कोयला हमारा 10 करोड़ मिलियन टन है और चीन के अंदर 125 मिलियन टन है। मान्यवर, हमारे यहां जहां अन्न का उत्पादन 20 मिलियन टन है वहीं चीन में 55 से 60 मिलियन टन है जबकि चीन के अंदर कम से कम जमीन है। महोदय, हालांकि दूसरों के मुकाबले में हम कम जरूर हैं, लेकिन हमारी आजादी के पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियां भी बहुत है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): रामजी लाल जी, अभी आप के और भी साथी बोलेंगे।

श्री रामजी लाल: मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, हमारे यहां जनसंख्या बड़ी भारी है। वर्ष 1950-51 में जहां यह 36 करोड़ 10 लाख थी जोकि आज 96 करोड़ तक पहुंच गयी है। वास्तव में विश्व की समूची जनसंख्या की 16 प्रतिशत जनसंख्या भारत की है। वह एक

गंभीर चिंता का विषय होने के साथ-साथ देश के विकास एवं प्रगति में भी बाधक है।

मान्यवर, अभी हमारे देश के जाने-माने अर्थशास्त्री जोकि बहुत काबिल हैं, सरदार मनमोहन सिंह जी ने जैसे कहा और जहां तक मैं समझ पाया कि ''सब्सिडी'' खत्म कर दी जानी चाहिए। मान्यवर, आज देश की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उसे देखते हुए अगर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया तो किसान देश के लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। मान्यवर, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि किसान अन्न क्यों बोएगा? वह ज्वार, बाजरा, सरसों बोएगा जिस पर आमदनी बहुत और खर्चा भी कम है। मान्यवर, यदि हम ने किसानों को इंसेंटिव्स नहीं दिए उन्हें अच्छे बीज और खाद उपलब्ध नहीं कराए, उन्हें सब्सिडी नहीं दी तो वह दूसरी चीजें बोएगा, खाद्यान्न नहीं बोएगा जिस से वह खाद्यान्न हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसानों की समस्याओं और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीरता से विचार करें अन्यथा आज जो अन्न वह पैदा कर रहा है, उस का उत्पादन कम हो जाएगा।

मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। हमारे यहां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों, फार्मासिस्टों, तकनीसियनों, नर्सों आदि की कमी रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश में भी कमी हुई। पहली योजना में जहां स्वास्थ्य का योजना व्यय 3.3 प्रतिशत था वह आठवीं योजना में घटकर 1.74 रह गया है। मान्यवर, यह एक चिंता का विषय है कि एक ओर तो स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में कमी हो रही है वहीं देश में कैंसर, एड्स जैसे खतरनाक बीमारियां बढ़ती जा रही है। इस संबंध में मेरा निवेदन है सरकार से कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा रुपया रखा जाए।

मान्यवर, आज देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही जनसंख्या का औसत बढ़कर 38 प्रतिशत तक हो गया है। मान्यवर, इस विशेष सत्र में पिछले चार दिनों से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, 1971 में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। उसका बिल जब पार्लियामेंट से पास न हो सका तो उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट का इलेक्शन कराकर बैंक नेशनलाइजेशन किये थे। मान्यवर, इस बैंक नेशनलाइजेशन से ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैम्पो वाले और ट्रक वालों को बड़ी भारी संख्या में लोन दिए गए जिस से उन्हें काफी सहूलियत मिली, लेकिन देश से गरीबी फिर भी दूर न हो सकी। अब यह सदन इस पर विचार करे कि जिस बैंक नेशनलाइजेशन से छोटे और गरीब वर्ग के लोगों को फायदा हुआ, देश में गरीबी फिर भी बनी हुई है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** अब आप को समाप्त करना पड़ेगा अन्यथा आप की पार्टी के दूसरे सदस्यों के लिए समय नहीं बचेगा।

**श्री रामजी लाल:** मान्यवर, आज भी 38 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जिन्दगी बसर कर रही है। यह गरीबी राष्ट्र की बड़ी चिंता बनी हुई है। साथ ही अभी भी देश में 50 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। इस कारण भी देश की आबादी में बढ़ोतरी हुई है।

मान्यवर, अंतिम बात राष्ट्रभाषा के बारे में कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। महर्षि स्वामी दयानन्द जी गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने कहा था कि यदि देश की कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है, तो वह हिंदी के सिवाय दूसरी भाषा नहीं हो सकती। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी गुजरात के रहने वाले थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रभाषा गुजराती होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि हिंदी के सिवाय देश में दूसरी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। आज चीन, जापान जैसे देश अपनी राष्ट्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मान्यवर, चाहे भाषा कोई भी हो, पंजाबी हो, कन्नड हो, तमिल हो, लेकिन राष्ट्र भाषा का जहां तक सवाल है जिस देश में 85 प्रतिशत लोग हिंदी जानने वाले हैं, बोलने वाले हैं फिर भी देश में हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है हिंदी राष्ट्र भाषा होने के बावजूद आज लोग देश में हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। मेरा कहना यह है कि एक भारतवासी को अपने देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का ही उपयोग करना चाहिए। मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आज संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, वह चुनाव के समय भी जनता के बीच अंग्रेजी में बोले तो उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी। आज जापान, रूस, चीन आदि दूसरे देश अपनी राष्ट्रभाषा के बलबूते पर ही अपनी तरक्की कर पाए हैं। अत: आज हमें भी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। आज भारतीय राष्ट्रभाषा हिन्दी की हालत यह है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा एम. फिल. हिन्दी की सीटें 20 से घटाकर 15 कर दी गई है। यह आज अखबार में आया है, आप देख लीजिए। यह जो हिन्दी की 20 सीटों को घटाकर 15 कर दिया गया है, इससे छात्र वहां संघर्ष पर उतारू है, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन कहता है कि यहां हिन्दी शिक्षकों की कमी है।

महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** नहीं, और एक बात नहीं। आप समाप्त करिए।

**श्री रामजी लाल:** सर, एक सदस्य ने कहा था कि इंडस्ट्री में हम तरक्की कर सकते हैं, अगर हम विदेशों के हिसाब से करें तो। मान्यवर, यहां अभी हमारे देश में एक फैसला हुआ है कि इंडस्ट्री लम्पसम्प एक्साइज ड्यूटी देगी, एक फैक्टरी पांच लाख, फ्लां एक फैक्टरी दस लाख। जब डेपुटेशन अधिकारी से मिला तो कहा था कि अखबार में नहीं देना, कोई बात नहीं करना, हम कर देंगे। अब अगर वहां चोरी है तो आप पकड़ें। अब कहा गया कि अगर बिजली नहीं होगी तो भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ब्रेकडाउन होगा तो भी लगेगा, फैक्ट्री न चले तो भी लगेगा। यह क्या तमाशा है? आखिर हम कैसे दूसरे देशों से मुकाबला कर सकेंगे। जो पांच लाख देने वाला है, अगर दस दिन भी फैक्टरी बंद हो जाये तो सोचता है कि कैसे पांच लाख सरकार को ड्यूटी देगा।

अन्त में, मान्यवर, यहां जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। चाहे आतंकवाद की बात हो या दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे हो, जिन पर चर्चा हुई, उन पर बैठकर हमको निर्णय करना चाहिए। गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण, आबादी आदि जो मसले हैं, उन पर सबको बैठकर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। इन पिछले चार-पांच दिनों में यहां जो विचार हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे समय दिया और मैं समझता हूं कि इस विशेष सत्र से देश को एक बड़ा भारी संदेश जाएगा।

आखिर में मैं यही कहूंगा -- हिन्दी हैं हम वतन, हिन्दुस्तान हमारा है। धन्यवाद।

SHRI NABAM REBIA (Arunachal Pradesh): Thank you, Sir, for having allowed me to speak. In fact, I am making an extempore speech because I do not know how to make a long speech. My speech will be very concise and it will be of a general nature. Now, in the last four days, we have been witnessing a highly intellectual and enlightened debate from the prominent parliamentarians and senior Members. Many of them are freedom fighters. For a young parliamentarian like me, this has been an occasion to learn many things from their experience and from their speeches. But what I would like to urge upon is that all those deliberations, which would be concretised into resolutions after the deliberations, may be, on Monday, should be materialised into reality. It should not remain only on papers. On this auspicious and important occasion, I also joint rest of the members of this august House and citizens of this country in paying my tributes to the freedom figthers, the father of the nation and the martyrs, who laid down their lives for the freedom of this country. Sir, I come from the State of Arunachal Pradesh. Earlier it was called "North-East Frontier Agency', NEFP. People, probably, have forgotten that many historians' of this country have written about the sacrifices made by Tribals of Arunachal Pradesh, Deflas, Abors and others who fought with the Britishers for the freedom of this country. But most unfortunately, all their sacrifices could not be recorded and, therefore, they have not been acknowledged. I belong to the Dafla Tribe. Dafla is presently called Nishing and Abor is called Adi. Many people who fought with the Britishers are still alive. The people of Arunachal Pradesh had been conscious of the unity and integrity of this country from time immemorial. It is the only State in the North-East where the spirit of nationalism and patriotism is deep rooted in the minds of the youths and general people. The Government of India should try to inquire into the matter and try to find out those Arunachalee who fought with the Britishers. So many freedom fighters are being honoured in this country. Whether all those people are real freedom fighters or pseudo freedom fighters, nobody knows. I am sorry for making this kind of remark. But I would like to say that the contribution and sacrifice made by the tribal people of the North-Eastern Region should not go unacknowledged and unnoticed. We are celebrating the Golden Jubilee of our Independence. When we celebrated the Silver Jubilee of Independence, I was a student of Class III. Many things are being said about the insurgency problem in the North-East. The North-East is in turmoil today. It is burning. The policy-makers in Delhi must know where the loopholes lie and what are the causes for the growing insurgency in that region. Except for my State, Arunachal Pradesh—which is called "An Island of peace" in all other States there are various movements, a movement to secede from the mainstream, movements to emerge as independent country so on and so forth. Arunachal Pradesh attained Statehood in 1987 and India attainded freedom in 1947. In literal sense Arunachal Pradesh attained independence after Chinese aggression in 1962. Why? Can you think of a State which had only

one primary school with 30 students in 1947? There was no communication facility. There was nothing of the sort. Till 1962 the Government of India considered Arunachal Pradesh a noman's land. Only after the Chinese aggression the eye of the Government of India was opened. Therefore, Chinese aggression was a blessing in disguise for the people of Arunachal. Only after the Chinese aggression all those developmental activities have started taking place. Prior to that there was nothing and today when you compare Arunachal with the rest of the country you can imagine how fast we are developing. When we make any claim of being a backward State when the majority of our people are still living below the poverty line, I think our claims are absolutely justified. You cannot compare Arunachal with the rest part of this country where we were virtually neglected till 1962; around the year when I was born. But when I say that this State is still considered an island of peace, it does not mean that it will always remain an island of peace. There are burning issues confronting our State. Arunachal is a sensitive border State, having internationl borders with China, Myanmar and Bhutan. It is now for the Government of India to realise all those sensitive issues now pending before them, issues like deportation of Chakmas, Hajong refugees demarcation of inter-state boundaries, amendment to the Arunachal Statehood Act of 1987. If the Government of India fail to deliver, live up to the expectations of the people of the State we will not be able to control the youths. Definitely, we cannot ensure in what direction the youth of the State will go. Yesterday, I had an occasion to go through the report of the Committee on petitions. It is not yet published. It has already been laid on the Table of the House. The Report of the Committee on Petitions strongly argues that the Chakmas, Hanjongs now settled in Arunachal Pradesh should be granted citizenship. We have no objection to granting of citizenship to these people. It is our clear stand, it is a welcome proposal because India does not have much population. You grant them citizenship, you bring refugees from any country of the world, grant them citizenship, class I citizenship class II citizenship, whatever type of citizenship you want to grant, you give them. But we simply want their removal from our State. You can kindly imagine a State having hardly nine to ten lakh populaton and that too the real tribal population is about seven lakhs as of now. And a large chunk of refugees of about 65,000 to 70,000 and that too who do not belong to my country, India will not be allowed to stay in My State. They are having strong lobbies in Delhi. Our people from Arunachal, the students or any NGO when they come to Delhi, and seek appointment with any Union Minister, they do not get any audience. They have to wait for five days, ten days or fifteen days and after that they have to return in pain, frustrated and disappointed. But these refugees are having organised groups and lobbies in Delhi. As and when they ask for an audience it is granted to them immediately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Nabam, you have to conclude now. You promised that you will be making a short speech. You were allotted nine minutes and you have already taken 12 minutes.

SHRI NABAM REBIA: I am concluding, Sir. So, I am saying this because this is the right and appropriate occasion, to raise this issue. I would like to urge upon the Government of India repeatedly to be careful in handling this sensitive issue.

I will take just one minute more, Sir. Regarding policies and programmes for the North-Eastern Region. The bureaucrats sitting here in air-conditioned rooms in Delhi—and I repeat, sitting here in airconditioned rooms in Delhi—should not try to formulate policies and programmes without knowing the temperament, sentiments, and ABC of the region and the people living there comprising of many ethnic groups simply sitting here in the North Block and the South Block, they formulate policies to govern those States. This should not be done. The policies and programmes formulated without taking into confidence the elected representatives of those States and the respective State Governments would not be applicable. This would always invite resentment from the people of the region. That is the reason why people there still feel alienated from the mainstream of our national life.

Sir, I would like to actually congraluate and thank our former Prime Minister, Deve Gowdaji, as also our present Prime Minister, Shri I.K. Gujral, for having taken new initiatives for the North-East. The visit of Deve Gowdaji really opened the eyes of the people of the North-East. He was the first Prime Minister who undertook such an extensive tour of the North-East and announced a package for the region. It really made the people of that region realise that here was a Prime Minister who had genuine interest and bonafide intentions to solve their problems, to look into the sufferings of the people of the North-East.

Sir, I am happy that the present Prime Minister is continuing the same policy, the policy that was announced by Deve Gowdaji. I request that those should be fulfilled in letter and spirit.

There is one more thing, Sir. It may not be very much relevant, but I would like to point it out. Now, we have been talking about our foreign policy and our relations with the neighbouring countries. India's foreign policy has been discussed. I would like to mention a small thing in this context. We read recently in some newspapers that the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Geong Apang, who is one of the longest serving Chief Ministers next only to Shri Jyoti Basu, was denied of Visa to visit the People's Republic of China. Now, did the People's Republic of China deny the Visa to Shri Geong Apang? Or, was there some move to sabotage his visit or was there any connivance on the part of the concerned Ministry? Was political clearance for the visit given? If there was some connivance on the part of the Government of India and if political clearance was not given by the Government, it only goes to show that Arunchal Pradesh is still a disputed territory. Mr. Vice-Chairman, Sir, I want that the Government must make a statement on this issue. I would like to know whether there was any move to sabotage the visit and whether there was any connivance on the part of the Government. This clarification must be given to the people of Arunachal Pradesh. Earlier on the occasion of the 1982 Asiad, the Chinese contingent had opposed and protested against some of the dances presented by troupes from Arunachal Pradesh. At that time also, the Government of India had not protested on that issue. Does it not show that Arunachal Pradesh is still a disputed area? What is the stand of the Government of India on this issue? Before I conclude, I would like to...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You please conclude now.

SHRI NABAM REBIA: I will take only one minute, Sir. To govern the tribal areas, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country pronounced Panchsheel and he laid down certain policies. Now I would like to read the five fundamental principles which he laid down to govern the tribal areas of this country and then conclude. They are:

"1. People should develop along the line of their genius and we should avoid imposing anything on them. We should try to encourage in every way their own tribal rights and culture.

2. Tribal rights on land and forests should be respected.

3. We should try to train and build up a team of their own people to do the work of administration and development. Some technical personnel from outside the State will no doubt be needed specially in the beginning but we should avoid introducing too many outsiders into the tribal territory.

4. We should not over-administer these areas or overwhelm them with multiplicity of schemes, we should rather work through and not as rivals to their own social and cultural institutions.

5. We should judge not by statistics or that amount of money spent but by the quality of human character that is evolved."

Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): श्री नारायण प्रसाद गुप्ता। आपका समय 6 मिनट है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि समय पर अपना भाषण समाप्त करूं। मेरे अनेकों विद्वान साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से देश की समस्याओं पर विचार किया है। अब जब कि बहस का यह पांचवां दिन है, और भी एक दिन मिलेगा, हमारी बहस समापन की ओर बढ़ रही है। सारा देश, एक अरब की आबादी का देश बड़ी आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है कि

भारत की संसद क्या करने जा रही है? इस बहस में से यदि कुछ नतीजे निकाल पाएं तो यह हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। महोदय, आजादी और गुलामी, दोनों में बड़ा अंतर है। जिस दिन हम आजाद हुए हैं, उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। अच्छा होता कि सारा देश एक होता। लाहौर और पेशावर भी, और जैसा हम गाते हैं "पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा" आज सिंध हमारे साथ नहीं महोदय। जब कि हम यह स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, अपनी कमियों का और अपनी खामियों का विचार यदि हमने नहीं किया और सही नहीं किया, ईमानदारी से नहीं किया, प्राथमिकता से नहीं किया तो कोई समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं। विभाजन जैसे भी हुआ हो, उसके लिए जो भी जिम्मेदार थे, उसके लिए कोई आरोप करने की जरूरत नहीं है किन्तु क्या देश को बचाया जा सकता था, यह विचार तो जरूर करना चाहिए। और उसके लिए जो-जो बातें जिम्मेदार की हैं - क्या भारत इतना बलवान नहीं था जो अपने देश को एक रख सकता था? और यदि नहीं था तो किन कारणों से नहीं था? क्यों नहीं हो पाया था? यदि वह कमियां रही हैं तो वह दूर हो जानी चाहिए, यह बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं लेकिन बड़े भारी मन से हमने इस विभाजन को स्वीकार किया। एक बहुत बड़ा पत्थर दिल पर रखकर इस देश की, आजाद भारत की शुरुआत हमने—की बहुत बड़ी-बड़ी आशाओं के साथ, किन्तु इस देश को आजादी दिलाने में जिन अनेक हुतात्माओं का, शहीदों का हाथ रहा है, उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर अति हुई है तो वह गलत है। देश की आजादी के विचार की चर्चा करते समय मैं बातों को बढ़ाना नहीं चाहता। कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, इससे कोई इन्कार नहीं कर रहा है। कांग्रेस 1885 से है, वह पुरानी पार्टी है, उसके वरिष्ठ नेता थे यह लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि स्वातंत्र्य् वीर सावरकर का इस लड़ाई में कोई हाथ नहीं था? क्या एक भी नेता ऐसा है जो इनकी कुर्बानियों की बराबरी कर सकता है? क्या सुभाष चन्द्र बोस के साथ न्याय हुआ है? मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाह रहा हूं। क्या अकेले कांग्रेस ने देश को आजाद कराया हम तो बाद में पैदा हुए थे इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन उस समय हमारा रोल क्या था? उस समय जो जिस हालत में था वह आजादी की लड़ाई लड़ा। यदि भगत सिंह क्रांतिकारी बन गया तो क्या उसकी कुर्बानियों को महात्मा गांधी जी से कम आंक सकते हैं? वे अपनी जान पर खेल रहे थे, उनका कोई जवाब नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजाद कराने में इन सभी लोगों का हाथ था। हिन्दू महासभा के साथ आपका मतभेद रहा होगा लेकिन यह कोई जरूरी तो नहीं था कि 1942 के आन्दोलन में कांग्रेस जैसा कहे वैसा ही साथ दिया जाए। वीर सावरकर अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों को इस देश से जाना चाहिए यह उन्होंने भी कहा। जिस को 50-50 वर्ष की दो सजाएं हुई हों तो क्या उनके नाम का कोई अता-पता इस पूरी पार्लियामेंट में है? उनके साथ यह कोई न्याय नहीं है। सुभाष चन्द्र बोस की कुर्बानियों का जवाब नहीं है, भगत सिंह की कुर्बानियों का जवाब नहीं है। हम इनको याद कर रहे हैं लेकिन उन क्रांतिकारियों के लिए भी इस अवसर पर, मेरा अनुरोध है। कहीं न कहीं कोई स्थान बनाया जाए जहां पर देश की जनता उनको याद कर सके। मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि वे आतंकवादी थे, इसको ठीक किया जाना चाहिए। लड़ाई लड़ने के कई तरीके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 के आन्दोलन के बाद लोग हिंसा पर क्यों उतारू हो गए? हाथ जोड़ने से शुरू किया। महोदय, हमारी मूल प्रवृत्ति है कि हम जब आन्दोलन करते हैं तो अहिंसात्मक ही करते हैं। लेकिन यदि कोई न माने और अपनी जिद पर आ जाये तो हथियार भी हमने उठाये हैं। हालांकि हथियार उठाना हमारी मूल प्रवृत्ति में शरीक नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए और अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए जो-जो भी तरीके थे वे सभी ठीक थे। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया उन सबको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसमें सारे देश का योगदान था...

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गए हैं और एक मिनट का समय बाकी है।

**श्री नारायण प्रसाद गुप्ता**: महोदय, अगर आधा मिनट भी बचेगा तब भी मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह मानकर चलना चाहिए कि देश को आजाद कराने में पूरे देश का हाथ था। दूसरी बात यह है कि आज यहां पर चर्चा हो रही है - देश का लोकतंत्र और जनतंत्रीय प्रणाली। हमारे देश के संविधान में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और उसके तीन ही आधार बताये गये हैं। लोकतंत्र के ये तीन आधार हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लोकतंत्र में इन तीनों का पालन होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है। जो आर्थिक विषमता है या सामाजिक भेदभाव है, महिलाओं को आरक्षण देने का सवाल है इनकी लोकतंत्र में अपेक्षा की गई है और ये पूरी होनी चाहिए। संविधान के साथ अब और अधिक खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसमें 80वां संशोधन हो चुका है और 81वां संशोधन शायद होने

जा रहा है। संविधान में संशोधन तो हम कर सकते हैं क्योंकि वह लचीला है। मैं कहना चाहता हूं कि संशोधन आवश्यक हो तो करना चाहिए अन्यथा नहीं करना चाहिए। इसके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक-डेढ़ मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप मेरे साथ इतनी सख्ती न करें। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो बहस हो रही है इसका कोई नतीजा निकलना है? आज सबसे बड़ा संकट देश पर जो मेरी दृष्टि में है वह जनता के अन्दर निराशा का संकट है, कुंठा का संकट है, अविश्वसनीयता का संकट है। नेताओं के प्रति आम जनता का विश्वास कम हुआ है। बाहर चर्चा हो रही है कि कुछ होने वाला नहीं है इनकी बहस से, ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार आए उसको उदार होना चाहिए। आज बीजेपी वाले सत्ता में नहीं है तो कोई इतना छोटा मन करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी एकता बनाई है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सरकार कोई काम करेगी? इसकी अगुवाई तो आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपके समय में बहस हो रही है। यहां पर जो निर्णय होंगे इनको लागू कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकपाल विधेयक के बारे में क्या हुआ? महोदय, मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं इसलिए मुझे एक-दो मिनट का समय और मिलना चाहिए। जिन विषयों पर मतभेद हैं आप उनको बाजू में रख दीजिए। यदि बीजेपी वाले अयोध्या मंदिर की बात करते हैं तो उनसे कहिए कि अभी ठहरिए, इसको अभी इधर बाजू में रखिए। हम अभी काशी की बात कहते हैं तो वह भी जरूरी है। मथुरा प्रकरण का भी निपटारा नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। आप पचास-पचास साल तक कोई फैसला नहीं करेंगे, हिन्दू-मुस्लिम एकता में तकलीफ होगी। मेरा इतना निवेदन है कि वह लंबित नहीं होना चाहिये। मेरा यह कहना है कि देश के अंदर यह भी बड़ी समस्या है। अगर आप इन समस्याओं को बाजू में रखते हैं तो जिनपर मतभेद नहीं है, उनको तो आप ले लीजिये। यह उदारता तो हम दिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकपाल विधेयक को लाने में कितनी देर है? क्यों देरी की जा रही है? यह चुनौती है आपके सामने। कल जब 5-6 दिन की बहस का समापन होगा इसके बाद 5-6 महीने या एक साल में आप बतायेंगे कि क्या हुआ है। मैं आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहता। सद्‌भावना का वातावरण बने, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन आपके छोटे-छोटे काम...। मैं कहना नहीं चाहता, मुझे शर्म आ जाती है, यहां के सांसदों के सेलरी बिल का क्या हुआ? मैं इसका जि: करूं यह अच्छा नहीं लगता है? लेकिन आपकी सरकार कोई निपटारा ही नहीं हो रहा है। लोगों की यह धार बनती जा रही है कि यह सरकार गुड फार नथिंग, कि काम की नहीं है और कोई काम इन्होंने करना नहीं है। य नहीं करना है तो मैं इसका विरोध करता हूं। लोकपा विधेयक का क्या हुआ? महिला-आरक्षण का क्या हुआ बोहरा रिपोर्ट का क्या हुआ? प्रसार भारती विधेयक क तक पहुंचा उत्तराखंड के निर्माण की बात इतने जोर से क गई, इसमें क्यों देरी की जा रही है? काले धन को निकाल के लिए क्या कोई योजना बनी है? ये सब तो अब आप ही करना है, लिस्ट वाइज। और आप नहीं जानते हैं, ऐ भी नहीं है। सबने बोला है। इस पर कुछ करिये कि क करने वाले हैं। लेकिन आपकी मंशा और दृढ़ता अ समापन में दिखाई देगी तो हम आपका स्वागत करेंगे चुनाव सुधार का क्या हुआ? सूचना पाने के अधिकार व भी मांग की जा रही है। भूमि-सुधार के संबंध में आजम साहब बहुत जोर से बोले। यह सच्चाई है कि भूमि सुधा कानून में परिवर्तन होना चाहिये। बहुत ज्यादा बंजर भू पड़ी हुई है, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है जल संसाधन के मामले निपटे नहीं हैं। पशु धन की रक्ष का पता नहीं है। देश की जो उर्वरा शक्ति है, इसमें अना के उत्पादन में तो देश थोड़ा सा आगे बढ़ा है उसके लि स्वागत है। लेकिन यही उर्वरा शक्ति कृषि की रहने वाल नहीं है। जिस यूरिया का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस धीरे-धीरे भूमि की ताकत घट जायेगी। यह जो 20 गुन टाइम गेहूं पककर बाहर आ रहा है वह धीरे-धीरे कम ह जायेगा। ऐसा लोगों का कहना है इसीलिए वे गोबर क खाद पर जोर देते हैं क्योंकि वह टिकाऊ होती है, हर साल ताकत देगी। ध्यान में रखियेगा कि आगे चलकर ढाई एकड़ पांच एकड़ जमीन के टुकड़े पर ट्रैक्टर काम नहीं देगा पैट्रोल की तकलीफें होने वाली हैं। पशु धन की रक्षा करिये

एक सज्जन जो कि बहुत पुराने फ्रीडम फाइटर हैं लॉब में आकर मुझसे कह गये कि मद्यनिषेध पर भी बोलिये चाहे गांधी जी ने कहा, हमने कहा या चाहे किसी ने भ कहा हो, क्या हम इस पर एक कदम भी आगे बढ़े हैं: लॉटरी बन्द कर सकते हैं,-रैगिंग का कानून बन सकता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाओं का आरक्षण आप कब तक टालेंगे? इसी तरह टाडा का कानून है। गठबंधन से सरकारें चले, इनका स्वागत है, अगर ये एक हो जाएं तो स्वागत है। लेकिन आपको एकता प्रदर्शित करनी होगी, स्टेबिलिटी चाहिये। रोज-रोज लड़ाई-झगड़े करें, इससे कोई बहुत अच्छा वातावरण नहीं बन रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: गुप्ता जी, आपने एक-डेढ़ मिनट में खत्म करने को बोला था। आप अगर और ज्यादा बोलेंगे तो आपकी पार्टी का एक स्पीकर और नहीं बोल पायेगा। आप एक आदमी का समय ले रहे हैं।

**श्री नारायण प्रसाद गुप्ता**: एक वक्ता तो हमारा आया ही नहीं। खैर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपका धन्यवाद। सैक्युलारिज्म और कम्युनालिज्म इन शब्दों का बहुत उपयोग होता है। इनकी पुन: व्याख्या हो जाए। हम भी बोलते हैं कि हम भी सैक्युलर हैं। अगर सैक्यूलर नहीं हैं तो चुनाव क्यों लड़ने दिया जाता है? डिसक्वालिफाई कर दिया जाए ऐसी कोई व्यवस्था है? और अगर है तो पेटीशनों में हम लोग जीतकर क्यों आ रहे हैं। कोर्ट ने हमको कम्युनल नहीं माना है तो इन शब्दों का दुरूपयोग बन्द होना चाहिये। ईमानदारी से एक दूसरे पर आरोप लगायें। अगर आप बदल गये हैं तो ठीक है। इन शब्दों की व्याख्या करनी है तो एक-आध बार ठीक व्याख्या हो जाए। और उस श्रेणी में फिर जो-जो आते हैं तद्नुसार कार्यवाही की जाए। केन्द्र और प्रान्तों के संबंधों की बहुत चर्चा हुई है किंतु सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ। एक भी काम बता दें? हम भी इधर हैं पांच साल से, आपकी सरकार साल भर से। किंतु काम नहीं हो रहा है, यही मुझे कहना है। देश की सुरक्षा का सवाल है। आज भी संकट बना हुआ है। आज भी रोज पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। मैं नहीं कहता कि उससे लड़ाई शुरू कर दो। यह कोई हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक तिहाई कश्मीर हिन्दुस्तान में मिलना चाहिए तो कम्यूनल है और अगर वही बात नरसिंह राव की सरकार कहती है और प्रस्ताव पास करती है कि एक तिहाई हिन्दुस्तान में मिलना चाहिए तो उस पर सारा देश एक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम कब से मांग कर रहे हैं कि धारा 370 लागू करो या न करो लेकिन कश्मीर की सुरक्षा तो होनी चाहिए। जाने दीजिए 370 को। वहां पर 10 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, 1992 से लेकर 10 हजार लोग वहां हिंसा में मारे गए हैं लेकिन आज भी हम पाकिस्तान को ठीक रास्ते पर नहीं ला सके हैं। एक अरब की आबादी को पाकिस्तान आंखें दिखायें क्या यह ठीक है? कल अखबारों में आया है कि अफगानिस्तान से तस्करी के रास्ते जो आतंकवादी हैं वे आधुनिकतम हथियार, टैंक तक लेकर यहां आए हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: नारायण प्रसाद जी, अब आप समाप्त करें। आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। आपको दूसरे मेंबरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

**श्री नारायण प्रसाद गुप्ता**: मैं अपनी बात के समापन में यह कहना चाहता हूं कि हमें एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। इस सद्भावना के साथ हाउस समाप्त हो ताकि अच्छा वातावरण बन सके और धीरे-धीरे कटुता समाप्त हो। मनभेद तो रहेंगे लेकिन मनभेद समाप्त हो सकते हैं। इस माहौल में से यदि हम एक होकर उठेंगे तो यह इस देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। कमियां हम में भी रही हैं तो हम भी सुधारें। कमियां आप भी महसूस करते हो तो आप भी सुधारें। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम आगे आने वाले 50 वर्षों के लिए कोई ऐसी योजना बनायें कि आने वाले दस सालों में हम यहां से यहां तक पहुंच जायेंगे। क्या कृषि के क्षेत्र में हो, क्या उद्योग के क्षेत्र में हो और क्या बाकी अन्य बातों में हो, हमें आत्मनिर्भर, समृद्धिशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है ताकि सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा यह नारा हमारा कामयाब हो। इस सद्भावना के साथ मैं आह्वान करता हूं कि अपनी कटुतायें दूर करके हिन्दुस्तान को, सभी भारत माता के पुत्र के रूप में आगे बढ़ाएं कुछ भाई उस दिन मादरे वतन और बंदे मातरम् शब्दों का उपयोग कर रहे थे। हमको लगा कि इनमें और हम में क्या अंतर है, महोदय मादरे वतन और बंदे मातरम् की भावना उत्तम है। महोदय, इस राज्य सभा में बंदे मातरम् बोलने में 40 साल लग गए। सच बात कुछ लोगों को बुरी लगती है लेकिन चालीस साल बाद यहां बंदे मातरम् शुरू हुआ। इसके पीछे कौन सी प्रवृतियां काम कर रहीं थीं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें "ग" से गणेश बनाना है या "ग" से गधा बनाना है यह भी आज तक हम तय नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: श्री गोविन्दराव आदिक। आपकी पार्टी के लोगों की लम्बी फेहरिश्त है। आप इसके बारे में ध्यान रखें, दूसरे मेंबरों का भी ख्याल रखें।

**श्री गोविन्दराव आदिक** (महाराष्ट्र): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने जो यहां मुझे मौका दिया।

गुलाम नबी आजाद साहब यहां आ गए तो मुझे यह शेर याद आ गया। उन्होंने ही सुनाया था कि:

बनाकर गरीबों का हम भेस ए गालीब।
तमाशा-ए-अहलो करम देखते हैं।।

पिछले चार दिनों से जो चर्चा यहां हो रही है, उसको सुनने के बाद गालिब साहब ने जो फरमाया था वह कितना सही फरमाया था यही हम लोग सोच रहे हैं। पिछले चार दिनों में बहुत सारी चर्चा हुई है और कल हम एक रेजोल्यूशन पारित करने जा रहे हैं जिसमें आजादी के दूसरे संघर्ष का

ऐलान भी शायद होगा। प्रशस्तियां और शायद कार्यक्रम भी किए जायेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि 50 साल पहले हमने आजादी हासिल की।

4.00 P.M.

दो अहम सवाल इसके बारे में हमारे मन में उतर आते हैं। पहला सवाल यह पैदा होता है कि एक बार तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, एक बार हमने इसके लिए संघर्ष किया लेकिन दूसरी किस आजादी की बात आ गई, कौन सी आज़ादी हम चाहते हैं जिसके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। एक आज़ादी हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ कर प्राप्त की थी, कल हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई किस के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? अंग्रेजों को हम अपना दुश्मन समझते थे। मैं आपसे इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कल की लड़ाई हम किस के खिलाफ लड़ने वाले हैं? इसका पहले आप अंदाज़ा लगाईये। दूसरी बात इसके बारे में यह पैदा होती है, जो अहम है कि पहले जो लड़ाई हमने लड़ी थी तब वही गांधी थे, नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, पटेल थे, लाल-बाल-पाल थे, कल जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वह कौन से गांधी, कौन से नेहरू और कौन से मौलाना के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं? इसका भी पहले आप पता कर लीजिये कि क्या कोई गांधी, कोई नेहरू और कोई मौलाना आज़ाद है। जब तक हमारे में कोई गांधी, नेहरू और मौलाना पैदा नहीं होता तब तक यह लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। हम लड़ नहीं पाएंगे। बात करना बहुत आसान है लेकिन अमल करना बहुत कठिन है। इसलिए हमने कहा कि यह जो बातें हम करते हैं, हमारी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है, जिसका जिक्र मेरे पहले वक्ताओं ने किया है। सवाल पैदा होता है कि यह जो सारी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी है, जो प्रोब्लम्स हमारे देश के सामने खड़ी है, उनके खिलाफ अगर हम लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई लड़ने के लिए शुरूआत अपने से ही करना होगा। गांधी नेहरू तो हम पैदा नहीं कर सकते, गांधी नेहरू तो हम बन भी नहीं सकते। लेकिन कम से कम गांधी, नेहरू ने जो रास्ता हमें दिखाया, उस रास्ते पर चलने का हम लोग कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। क्या हमारे पास उसकी तैयारी है? क्या हम इसके लिए तैयार है? हम देख रहे हैं कि बहुत सारी उन्नति, प्रगति इन 50 सालों में की गई। हम भी यह कहते हैं कि बहुत प्रगति हुई है। कृषि का उत्पादन बढ़ गया, औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, फैक्टरियां लग गई, सड़कें बन गई और शिक्षा का प्रबन्ध भी काफी बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि आज भी हमारी 50 फीसदी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि यह देश की बात करते है, राष्ट्र की बात करते हैं। कहां है हमारा राष्ट्र? क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारा यह राष्ट्र एक राष्ट्र रहेगा? इस मुद्दे पर हम तो यह कहते हैं कि आत्म निरीक्षण की बहुत आवश्यकता है। अपने भीतर देखिये, क्या हम पूरा विश्वास रखते हैं राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्रवाद की नीति के ऊपर? सेकुलारिज्म का हम ज़िक्र करते हैं। क्या हम मानते हैं सेकुलारिज्म अपने स्वयं के विषय में? हम समानता की बात करते हैं, रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, क्या हम स्वयं उसको अमल में लाते है? अपने आप से पूछिये राजनीतिक दलों से मैं पूछना चाहता हूं क्या आप इन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं? बोलते तो हैं लेकिन आप करते क्या है? एक राष्ट्र जो हम देखते हैं वह राष्ट्र एक रहेगा या नहीं रहेगा, यह चिंता आज सब के दिल में है। क्या राष्ट्र इस तरह से बंधा रहेगा, क्या अगले 50 साल में हम इस तरह से इसे देख पाएंगे, रीजनालिज्म की बात आ गई। रीजनालिज्म किस ने पैदा किया? किस ने बढ़ाया? कौन बढ़ाता है? क्या हम इसको रोकने वाले हैं? आज देशम् की बात की जा रही है अलग-अलग प्रान्तों से। ये तेलगु देशम, ये द्रविड़ देशम, ये महाराष्ट्र देशम, ये गुजरात देशम, ये खालिस्तान ये दूसरे स्थान, ये कहां तक जाता रहेगा। इनको बढ़ावा कौन देता है? क्या हम इनको सपोर्ट नहीं करते है? किसी पोलिटिकल पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया है? अगर वही राजनीतिक दल इस परिभाषा को समर्थन देते हैं तो उन्हीं राजनीतिक दलों को यहां भाषण करने का और दूसरों को उपदेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

समाजवाद की बात करते हैं। जनसंख्या बढ़ गयी है, कहते हैं। यह बात सही है कि जितनी हमने कमाई की उतनी हमने गंवाई क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गयी। जितनी हमने कमाई की उतनी हमारी बढ़ती आबादी खा गयी। बढ़ती आबादी का कारण कौन है? यहां बताया गया कि आबादी को रोकना चाहिए। हर एक आदमी कह रहा है, हर एक नेता कह रहा है कि आबादी को रोको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आपके भीतर देखिए और पूछिए क्या आबादी को रोकने के लिए आप स्वयं तैयार है? क्या इसके लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आप खुद क्या कर रहे है? लेकिन कहते हैं कि नहीं हमारे लिए यह कानून नहीं होना चाहिए दूसरों के लिए होना चाहिए। आबादी रोकने का काम दूसरों को करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए।

किसी सज्जन ने, बड़े बुजुर्ग नेता ने कहा कि कल अगर जनसंख्या को रोकना है तो हम लोगों को गर्ल चाइल्ड

के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। उनको धोखे दिखाने चाहिएं कि जनसंख्या के धोखे क्या–क्या हैं। मैं उन सज्जन से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको गर्ल चाइल्ड ही नजर आयी। और ब्वाय चाइल्ड का क्या हुआ? औरतों के ऊपर आप देख रहे हैं कि उनको ही पापूलेशन को कंट्रोल करना चाहिए और आप पुरुष वर्ग क्या करेंगे? आप क्या करने वाले हैं? मैं तो कहूंगा कि कल जो रिजोल्यूशन आप ला रहे हैं, उसमें पहला प्रस्ताव यह लाइए कि जो भी कोई किसी विधान सभा में जाना चाहे, किसी जन परिषद में जाना चाहे, राज्य सभा में, लोक सभा में जाना चाहे, वह नसबंदी करके ही आएगा तो ही उसको यहां प्रवेश देंगे नहीं तो प्रवेश नहीं देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इस बारे में? ...(व्यवधान) पहले से शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी भाईसाहब। जिन्होंने किया उनका ठीक है...(व्यवधान) एक तरफ हम कहेंगे यह नहीं और दूसरी तरफ 11-11 बच्चे जिनके हैं उनको हम नेता बनाएंगे जिसके स्वयं 8, 10, 11, 12, बच्चे हैं अगर वे नेतागिरी करेंगे और दुनिया को जाकर कहेंगे कि आप जनसंख्या को नियंत्रित करो तो मुझे लगता है कि इतना पाखंडीवाद दुनिया भर में और कहीं नजर नहीं आएगा। यह पाखंडीवाद जिसको हमने अपनाया है, जो व्यवस्था हमने स्वीकार की है, जिस पाखंडीवाद पर निर्भर करते हैं इस व्यवस्था को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक इस देश में कोई परिवर्तन महोदय आएगा नहीं।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जो एक घटना घटी थी मुझे उसकी याद यहां आ गयी है। स्वामी जी का नाम सब लोगों को मालूम हो गया था। बड़े महन्त थे, स्वामी थे। एक बूढ़ी अम्मां थी जिसका पोता गुड़ खाया करता था। तंग आ गयी। अपने बच्चे को समझाया। लेकिन उनका गुड़ खाना बंद नहीं हुआ। सोचा कि स्वामी जी के पास ले जाऊं। स्वामी जी इसको आशीर्वाद देंगे, उपदेश करेंगे। गुड़ खाना बंद हो जाएगा। स्वामी जी के पास लेकर गयी बच्चे को और बताया कि यह लड़का बहुत गुड़ खाता है इसको समझाइए, उपदेश कीजिए। स्वामी जी ने बच्चे से पूछताछ की और अम्मा को कह दिया कि आप ऐसा कीजिए कि 15 रोज के बाद आइए। 15 रोज के बाद फिर वे बूढ़ी अम्मां अपने पोते को लेकर स्वामी जी के पास पहुंच गयी। स्वामी जी ने बच्चे को फिर अपने पास बुलाया और पूछा कि "बेटा क्या तुम गुड़ खाते हो।" लड़के ने कहा "हां गुड़ खाता हूं।" कहने लगे, "देखो गुड़ खाना अच्छा नहीं है। इससे बीमारी बढ़ती है। गुड़ खाना छोड़ दो।" और इतने कहने के बाद बूढ़ी मां को कह दिया "अब इसको वापस ले जाइए, गुड़ खाना बंद हो जाएगा।" उस बूढ़ी के दिमाग में बात नहीं आयी कि 15 रोज पहले मैं आई थी तब भी मैंने इनको यही कहा था। तब भी बच्चे से इन्होंने यही पूछताछ की थी। आज भी वे यही पूछताछ कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं उसको। तो वह बूढ़ी चिढ़ गयी और स्वामी जी से यह पूछने लगी कि स्वामी जी अगर आपको इतना ही उसको उपदेश करना था कि गुड़ खाना ठीक नहीं है, गुड़ खाने से बीमारी बढ़ती है, गुड़ खाना बंद कर दो तो 15 रोज पहले क्यों नहीं बताया फिर 15 रोज के बादे मुझे एक और चक्कर लगवाकर आपने क्यों परेशान किया। तब स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, महोदय, वह बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा कि माताजी 15 रोज पहले यह उपदेश उसको मैं दे सकता था, यह कह सकता था लेकिन कर नहीं पाया। इसलिए कि 15 रोज पहले मैं स्वयं गुड़ खाया करता था। जब तक कि मैं गुड़ खाया करता हूं या गुड़ खाता हूं तो दूसरों को उपदेश देने का अधिकार मुझे नैतिकता के आधार पर प्राप्त नहीं होता। जब आज 15 रोज़ पहले मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया तो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ और आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुड़ खाना छोड़ दो। मैं आपसे भी यही प्रार्थना करुंगा। देश की चिंता करने वाले सारे नेताओं से, सारे राजनीतिक दल से जो यहां हैं मैं इनसे प्रार्थना करुंगा कि आप गुड़ खाना पहले छोड़ दो। अपराधीकरण की बातें हो रही हैं, भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं। भ्रष्टाचार कौन करता है?

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)**: आदिक जी, हमारा यह बहस नियंत्रित समय पर चल रहा है। आपका दस मिनट था लेकिन आप 12 मिनट बोल चुके हैं।

**श्री गोविन्दराम आदिक**: बिल्कुल संक्षेप में मैं खत्म करता हूं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात हो, बढ़ती जनसंख्या की बात हो, अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों की बात हो, सांप्रदायिक शक्ति बढ़ाने की बात हो या देश के सामने जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों की बात हो, पहले शुरूआत राजनीतिक दलों को ही करनी होगी। राजनीतिक दलों में काम करने वाले नेताओं को, हम लोगों को करनी होगी। हमारे से अगर शुरूआत हो जाए तो हम दुनिया को बता सकते हैं, देशवासियों को बता सकते हैं कि आप भी इस रास्ते पर चलिए। लेकिन यदि हम दूसरे रास्ते से चले जायेंगे और लोगों को और किसी रास्ते से ले जाने की कोशिश करेंगे तो वह कभी होगा नहीं। जैसे पहले अभी बताया गया। कुछ वक्ताओं ने बताया कि लोगों का भरोसा नेताओं पर आज नहीं रहा है। हमारे ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के ऊपर भी वे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।

इसलिए महोदय, आखिर में एक कवि के शब्दों में सब के लिए इतना ही कहूंगा:

"कुछ लिया कुछ दिया, सभी हिसाब बाकी है,
किए हैं छल-कपट, देना सूद सभी का बाकी है।
किए हो पाप इन हाथों से, होना कुछ पुण्य बाकी है,
संभलना है तो संभल जाओ ए मेरे दोस्त,
अभी भी थोड़ी जिन्दगी बाकी है।"

धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम):** श्री जनार्दन यादव। आप 6 मिनट बोलेंगे तो आपकी पार्टी के दूसरे साथी भी बोल पायेंगे। आप अगर 6 मिनट से ज्यादा बोलेंगे तो दूसरे साथी नहीं बोल पायेंगे।

**श्री जनार्दन यादव** (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में 50वीं स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर संसद् के दोनों सदनों में इन 50 वर्षों में क्या प्राप्त हुआ और क्या हमने खो दिया इस पर विचार चल रहा है और क्या करना चाहिए।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए]**

आजादी के बाद जिन हाथों में सत्ता का भार मिला सचमुच में आज़ादी के बाद क्या करना था इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। आज़ादी के पहले भी इस देश में उस समय के जो महापुरुष थे उनके विचारों में भिन्नता थी। एक तरफ थे स्वामी विवेकानन्द, अरविंद घोष जी, बंकिम चटर्जी, गांधी जी, तिलक ऐसे लोग थे जिनके मन के अंदर भारतीय संस्कृति, प्रकृति परंपरा के आधार पर भारत का निर्माण वे चाहते थे। और दूसरी तरफ से जो देश की आजादी की लड़ाई लड़े भारी भरकम व्यक्तित्व था, राजगद्दी उन्हीं को मिली और उनके भारी भरकम व्यक्तिव के चलते उन्होंने जो करना चाहा वह सचमुच में आजादी में जिन्होंने बलिदान दिया उनके मन में जो कामना थी, इच्छा थी, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाश्चात्य जगत पर विश्वास, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता पर अपने को ढालना और भारत जैसे देश पर उसी प्रकार का मॉडल बना कर अगर आज़ादी का लाभ गांवों तक नहीं पहुंचा तो कारण वही था कि गांधी जी ने इस देश में आजादी के समय ही राम-राज्य की कल्पना की थी। लेकिन पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1928 में गांधी जी के राम राज्य का विरोध किया था। जिस देश के नेता को गांधी जी के विचारों का विरोध करने का मौका मिला और वह गांधी ने इस देश को समझा था...।

इस देश की सभ्यता, संस्कृति, गरीबी, छुआ-छूत को समझा था और वह इन्हें मिटाना चाहते थे। मान्यवर, कल मिश्र जी समाजवाद के बारे में बोल रहे थे। मान्यवर, जब नेहरू जी देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय पश्चिम में साम्यवाद व समाजवाद क्रांतिकारी विचार माने जाते थे और नेहरू जी उन का नेतृत्व करते थे। आज समाजवाद सिर्फ हमारे संविधान में जुड़ा है लेकिन वह धरती पर दिखलाई नहीं पड़ता है और हमारे मिश्र जी जैसे कुछ लोग समाजवाद के रूप में यहां है। मान्यवर, इस देश में जाति-विहीन, वर्ग-विहीन और सेकुलर राजनीति की बात संविधान में जोड़ी गई है, परंतु जाति-विहीन राजनीति करने वाले जो घोषणाएं करते हैं, वह चुनाव में "जाति प्रभाव" वाला चुनाव क्षेत्र खोजते हैं, तो जाति-प्रथा कैसे समाप्त होगी? जाति व्यवस्था तो हमारे देश में हजारों वर्षों से है, लेकिन आज लोग उस का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इस देश में जाति-विहीन व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन जाति का उपयोग जब तक आप राजनीति में करते रहेंगे तब एक राजनीति भ्रष्ट बनी रहेगी। इसलिए जाति को राजनीति में जोड़ना गलत है! जाति गलत नहीं है। हमारे उन महा-पुरुषों ने भारतीय संस्कृति के ऊपर से, सभ्यता के ऊपर जो राख थी वह हटानी चाही और वह हट गयी। देश में बड़े-बड़े कारखाने और डैम बन गए, लेकिन इस देश की आवश्यकता के अनुरूप कोई योजना स्वीकार नहीं हुई। हम ने लोहा बनाया, लेकिन मनुष्य नहीं बना पाए। मान्यवर, जब तक मनुष्य, मनुष्य नहीं बनेगा तब तक आजादी का लाभ नीचे के स्तर तक नहीं पहुंचेगा।

दूसरी बात सेकुलर के बारे में कहना चाहूंगा। मान्यवर, सेकुलर शब्द ही विदेशी है यह वहां के लिए उपयोगी हो सकता है। भारत वर्ष तो हमेशा से सेकुलर रहा है। यहां सेकुलरिज्म की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं। यहां तो शुरू से "सर्व धर्म सम्भाव" का भाव रहा है और जहां "सर्व धर्म सम्भाव" है, वहां सेकुलरिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के सभी लोग सेकुलर हैं। राजनीति ने उसे दो भागों में बांट दिया-सेकुलर और नॉन-सेकुलर। इस बंटवारे से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, एक बात और कि भारत का संविधान जैसा हम ने स्वीकार किया था, आज उस में 80 बार संशोधन हो चुके हैं। इस का क्या कारण है? क्या भारत का संविधान भारत के अनुकूल नहीं है? क्या भारत के संविधान में गांधी जी के विचारों को नहीं जोड़ा गया है, ग्रामीण पंचायती-राज नहीं जोड़ा गया है, गांव के गरीबों को नहीं जोड़ा गया है? इस देश की प्रकृति और संस्कृति को नहीं जोड़ा गया है? मान्यवर, भारत का जो वर्तमान संविधान है जिस में 80 बार संशोधन हो चुका है, वह भारत के अनुरूप नहीं

था? इसलिए हम को आज 80 बार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है? मान्यवर, इसलिए मेरा कहना है कि भारत का जो संविधान वर्तमान में है, उस के स्थान पर नया संविधान बनाने के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित हो। अपनी सभ्यता, परंपरा, पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचना पर एक दस्तावेज बने और वह दस्तावेज देशभर में बहस के लिए प्रसारित किया जाय। दूसरे चरण में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर संविधान सभा बने जोकि नया संविधान बनाने का दायित्व निभाए। प्रशासन तंत्र में आमूल परिवर्तन हो। इस के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाए। मान्यवर, दलीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल यह काम मिलजुलकर कर सकते हैं, लेकिन दलीय प्रणाली हमारे यहां जिस तरह से विकसित हुई है, वह यहां के सामाजिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस के लिए जरूरी है कि भारत में फंक्शनल डेमोक्रेसी स्थापित हो। उस में योग्यता, हुनर और विशेषज्ञों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले।

मान्यवर, राजनीति पर धन का बोलबाला बढ़ा है। उसे कम किया जा सकता है। चुनाव प्रणाली में सुधार हो, एक राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाकर चुनाव पर धन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे राजनीतिक अपराधीकरण में भी कमी आएगी। दुनियां भर में करीब करीब दो करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, उनको भारत के नव-निर्माण में जोड़ना चाहिए। आज जो भारत का वर्तमान संविधान है, भारत की जो वर्तमान आर्थिक नीति हैं, उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान नीतियों के द्वारा आज भ्रष्टाचार गांव गांव में हर आदमी तक पहुंच गया है, लेकिन इस देश के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, इंटलएक्चुअल्स हैं, वह ज्यादा करप्ट है। गांव में जो पैदा हुआ है, जो गरीब है, जो निरक्षर है, वह आज भी हम लोगों से ज्यादा ईमानदार हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है, वह अधिकांश इस देश के इंटलएक्चुल्स हैं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाए तो आप पाएंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग लिप्त हैं, यानि हम लोग जो राजनीति करते हैं वह 96 प्रतिशत भ्रष्ट हैं, जो अफसर हैं वह 95 प्रतिशत भ्रष्ट हैं, इस देश का जो व्यापारी है वह 92 प्रतिशत भ्रष्ट है और इस देश का जो जुडिशियरी है वह 65 प्रतिशत भ्रष्ट है और यही लोग इंटलएक्चुअल हैं। जुडिशियरी भी, जो कि आज भ्रष्टाचार पर बहुत जोरों से विचार कर रही है, वह इसमें सबसे आगे है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि कोरिया में कभी कोई एक केस होता है तो उसके ट्रायल में 14 महीना लगता है, लेकिन भारत में क्राइम वाले केस में ट्रायल के अंदर 14 वर्ष लगता है। जब जस्टिस में डिले होगा तो जस्टिस मिलेगा कैसे? इसलिए हर आदमी को मिलकर, बैठकर सोचना होगा। एक दूसरे पर आरोप लगा देने से इस देश की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करुंगा, एक मिनट मुझे और चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: नहीं, आपने सब तो बोल दिया। आपने सब पाइंट कवर कर लिए। अब आप खत्म करें।

**श्री जनार्दन यादव**: एक मिनट, सर। इस देश में गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं। हम पशु पालक है। पशुधन की यहां अभी चर्चा हुई, लेकिन हम पशु पालन करके जो दूध पैदा करते हैं इस देश में, अपनी स्थिति जानते हैं। यहां दुग्ध-क्रांति की बात चली थी, स्वेत क्रांति की बात चली थी, हरित क्रांति की बात चली थी। जो इस देश में पशु पालक हैं, जिनकी जीविका का साधन पशुधन है, जो दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, वह जानते हैं कि आज दूध कितना महंगा है और पानी कितना सस्ता है? आज तो दूध से महंगा पानी है। एक लिटर दूध हम 8/- रुपए का बेचते हैं और यहां एक लिटर मिनरल वाटर 10/- रुपए से 12/- रुपए बिकता है। इसलिए सोचना है कि उन पशु-पालकों का क्या होगा? अगर यही नीति चलती रही कि दूध से महंगा पानी चलता रहा तो इस देश का क्या होगा? इस देश में आज भी दो लाख ऐसे गांव हैं, जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। इसलिए इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, आज किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की देश में नीति बने कि इस देश का जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो निरक्षर है, उसका उत्थान हो सके। यह जो विचार पिछले पांच दिन, छह दिन में आए हैं, अगर उस पर आगे काम हो तो मैं समझता हूं कि भारत का कल्याण होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री ईश दत्त यादव** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, जो आपने मुझे यहां गंभीर विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। कुछ कहने के पहले, मान्यवर, मैं उन भारत मां के सपूतों को, रणबांकुरों को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए

कुर्बानी की, बलिदान दिया और देश के लिए अपने को समर्पित किया अपनी भरी जवानी में, उन शहीदों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर उन शहीदों का बलिदान नहीं रहता, तो शायद आज हम इस सदन में नहीं बैठते। यदि शहीदों का इतिहास पढ़ें तो रोमांच हो जाता है। अभी दो दिन पहले मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि सरदार भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा हो गई तो उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को लिखा कि इस पत्र का अर्थ गलत न लगाएं, मैं केवल एक चीज़ चाहता हूं कि मुझे फांसी पर न लटकाना, अपने फौजी से गोली से उड़वा देना रोमांच हो जाता है। जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर जेल में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी और आज भी गोरखपुर के घंटाघर पर राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र बना है और उसके नीचे लिखा है:-

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मिटने वालों का, यही बाकी निशां होगा।

तो क्या तमन्ना थी राम प्रसाद बिस्मिल की और दूसरे क्रांतिकारियों के दिलों में कि मेले लगने चाहिए क्योंकि मेले खुशहाली के प्रतीक हैं।

महोदय, आज इस सदन में पांच दिन से सारगर्भित चर्चा हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि पहले इस सदन में एक लाइन थी, कुछ लोग उस पार थे, कुछ इस पार थे और आपस में बहस चलती थी, आज वह बहस नहीं है, आज हम एक राय होकर बैठे हुए हैं, आज वह रेखा समाप्त हो गई है जो हमारे बीच में थी। आज हम अपनी उपलब्धियों की भी बात कर रहे हैं और जो हमने खोया है, उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन उपलब्धियों के लिए किसको श्रेय दिया जाए और जो हमने खोया है, उसके लिए किस को गुनाहगार ठहराया जाए, यह कहने के लिए पूरे सदन में कोई तैयार नहीं है। अभी श्री गोविन्दराम आदिक जी बात कर रहे थे कि आजादी की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी जाएगी? मैं कहना चाहता हूं कि हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भूख के खिलाफ, आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

मान्यवर, हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं लेकिन क्या यह स्वर्ण जयंती दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए भी है? श्री गोविन्दराम आदिक जी तो मुम्बई के रहने वाले हैं और मुम्बई के बारे में तो कहा गया है कि मुम्बई में 20 लाख आदमी ऐसे हैं जो सड़क पर पैदा होते हैं, सड़क पर बड़े होते हैं और सड़क पर ही उनको कफन दे दिया जाता है। आज उनकी आजादी की लड़ाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। आज गांधी, नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना आजाद हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो इस सदन की भावना है, देश की जो भावना है इस राष्ट्रीय पर्व की बेला पर, यह भावना नेता बनकर लड़ेगी और इन समस्याओं के खिलाफ लड़ेगी।

मान्यवर, पंडित जी, जो इस देश के निर्माता थे, प्रथम प्रधान मंत्री थे, उनकी कुछ उक्तियां लोक सभा से जो एक पुस्तिका छपी है, स्मारिका छपी है, उस स्मारिका पर लिखी गई है। उसमें क्या लिखा गया है:-

> "हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछने की रही है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाएं किन्तु जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होता।"

आज से 40 बरस पहले यह पंडित नेहरू जी ने कहा था। क्या आज लोगों की आंखों के आंसू पोंछे गए हैं? यह 100 करोड़ लोगों का जो देश हो गया है, क्या उसमें लोगों की आंखों के आंसू पोंछे गए हैं? अगर नहीं पोंछे गए हैं तो उन आंखों के आंसू पोंछने के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की हमें आवश्यकता पड़ेगी।

मान्यवर, हमारी जो आजादी की लड़ाई थी, वह केवल गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की लड़ाई नहीं थी, अंग्रेज को इस देश से बाहर करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आजादी की जो लड़ाई थी वह बेड़ियां तोड़ने के साथ-साथ आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी और भाषा की आजादी की लड़ाई थी और इसके साथ ही साथ गरीबी को खत्म करने की भी हमारी लड़ाई थी।

मान्यवर, मैं इस सदन में निरंतर 5 दिन शुरू से लेकर आखिर तक बैठा हूं। मैंने इस सदन में लगभग सभी भाषण सुने। बहुत से लोगों ने हिन्दी में भाषण दिया, बहुत से लोगों ने अंग्रेजी में भाषण दिया, मैं सबकी बात सुन रहा था। एक हमारे मित्र हैं तेलगु देशम पार्टी में, वह कल बोल रहे थे, हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में किसी ने मलयालम में, कन्नड़ में, तमिल में, गुजराती में या मराठी आदि में भाषण किया हो। मान्यवर, मुझे कष्ट और दुख है कि आज 50 बरस बाद हमें इस मोर्चे पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे सब से ज्यादा कष्ट तब हुआ जब इस देश के प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोले। मुझे प्रसन्नता होती अगर इस देश के प्रधान मंत्री हिन्दी में भाषण करते, पंजाबी में भाषण करते, गुजराती में भाषण करते, बंगला में भाषण करते, तमिल में भाषण करते। महोदय, महात्मा गांधी का

नाम सब लोग ले रहे हैं। जितने वक्ता हैं, वे सब कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेंगे। क्या महात्मा गांधी ने यही सपना देखा था कि 50 साल बाद जब हम स्वर्ण-जयंती मनाएंगे तो अंग्रेजी में भाषण देंगे? अंग्रेजों को भगाने की खुशी में हम स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं और अंग्रेजी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इतिहास नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो लेकिन शायद हमारा देश ही एक ऐसा देश है दुनिया में जो दूसरे देश की भाषा में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। दुनिया का कोई देश अपनी आजादी की स्वर्ण-जयंती का पर्व दूसरे देश की भाषा में नहीं मनाता होगा।

महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री, जो इस सदन के नेता भी हैं, अंग्रेजी में बोले। वे तमिल में बोलते, तेलुगु में बोलते, कन्नड़ में बोलते, बंगला में बोलते, मलयालम में बोलते, गुजराती में बोलते तो स्वाभिमान होता, गर्व होता। यह देश की एकता और अखंडता के लिए और देश के प्रजातंत्र की मजबूती के लिए एक आदर्श होता। लेकिन इनके लिए अंग्रेजी में भाषण देना स्वाभिमान की बात है। आप लोग मुझे क्षमा करेंगे जो अंग्रेजी प्रेमी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी साहित्य से प्रेम रखिए, सरकारी कामकाज से बाहर रहकर आप मिल्टन, शेक्सपियर, कीट्स, शैली सभी का अध्ययन करिए और दुनिया को एक ज्ञान का प्रकाश दीजिए लेकिन इस सदन के अंदर और देश के राजकाज के काम में हिन्दी राजभाषा होनी चाहिए, बंगला होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए, तेलुगु होनी चाहिए, कन्नड़ होनी चाहिए। मान्यवर, मैं बहुत चिंता और खेद के साथ इस विषय पर बोल रहा हूं।

मान्यवर, आज जब हम स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं तो इस अवसर पर हमें इस सदन में गंभीरता से 3 बातों पर विचार करना पड़ेगा कि 50 बरसों में हमने क्या पाया, 50 बरसों में हमने क्या खोया और आगामी 50 बरसों बाद जब हम हीरक-जयंती मनाएंगे, यह सदन रहेगा, यह देश रहेगा लेकिन शायद उस वक्त तक हमारी पीढ़ी के लोग नहीं रहेंगे लेकिन हमारी संतानें रहेंगी। वे संतानें जब 100वीं वर्षगांठ मनाएंगी तो उनकी क्या उपलब्धि होगी, उन उपलब्धियों के भावी कार्यक्रम पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमने बहुत कुछ पाया है। देश ने तरक्की भी की है। कृषि के क्षेत्र में भी तरक्की की है। आज सुबह हमारे एक मंत्री जी बोल रहे थे। वे बोले कि हम इंटावीन कर रहे हैं। जब वे विपक्ष में थे तो बोलते थे कि देश बड़ी गरीबी में चल रहा है। आज वे बोले कि देश प्रगति में चल रहा है। सरकार आंकड़ा निकालती है और जीडीपी निकालती है। कैसे निकालती है? आज 34 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर अगर सरकार ने पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की तो हमें विषाक्त पानी पीना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि हमने प्रगति की है। मैं थोड़ा कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं। मैं यह देखता हूं कि आज 45 परसेंट आदमियों के पांव में जूता नहीं है, गांवों में पीने का पानी नहीं है, दो जून भोजन करने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं है। वित्त मंत्री बोलेंगे कि जीडीपी 7 परसेंट है, इसको हम 8 परसेंट तक करने वाले हैं।

महोदय, आज हमारे मंत्री जी बड़ी खुशी ज़ाहिर कर रहे थे कि फसल अच्छी होने वाली है लेकिन तुम्हारा क्या इसमें योगदान है? बरसात हो गई, मौसम अनुकूल हो गया, इसलिए फसल अच्छी होने की संभावना है। महोदय, हम अपने जिले में गए थे। हमारे एक साथी हैं मोहम्मद मसूद खान। हम लोग जब अपना धान का खेत देखने के लिए गए तो खान साहब बोले कि मेरा खेत तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा कि इसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है, यह प्रकृति का योगदान है। अगर पानी नहीं पड़ता तो भारत सरकार हमारे धान को अच्छा नहीं बना सकती थी। मैं मानता हूं कि प्रगति हुई है, प्रौद्योगिकी में भी प्रगति हुई है, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन गरीबी आज भी मौजूद है, बेकारी आज भी मौजूद है, भ्रष्टाचार आज भी मौजूद है और देश की ज्वलंत समस्याएं आज भी मौजूद हैं। महोदय, आज इस देश के अंदर उग्रवाद बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रही है, इन सब समस्याओं पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं किसी को दोष देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि यह अच्छी भावना नहीं है।

एक अच्छे माहौल में हम विचार कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि इनको हम ऐसे करें। हमको अपनी जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी जनतांत्रिक प्रणाली शायद बहुत अच्छी होगी क्योंकि मान्यवर, जितना मैंने पढ़ा है चार -पांच तरह की प्रणाली होती है-सैनिक शासन होता है, प्रेजीडेंट रूल होता है, प्रेजीडेंशियल फॉर्म आफगवर्नमेंट होती है, तमाम तरह की होती है। जो राजनीति के विवेचक हैं, राजनीति के जो विद्वान हैं, जो राजनीति के ज्ञाता हैं वह लोग भी कहते हैं कि दुनिया में जितनी प्रकार की प्रणाली हैं उन प्रणालियों में लोकतांत्रिक प्रणाली अच्छी है यद्यपि इस में भी दोष हैं इसमें दोष होते हुए भी यह सबसे अच्छी है। आज हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमें अपनी जनतांत्रिक

प्रणाली को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि मान्यवर, यह देश विविधताओं का देश है। इस देश में अनेक भाषाएं हैं, साढ़े चौबीस हजार बोलियां हैं, 18 से ज्यादा भाषाएं हैं, अनेक धर्म है, अनेक मान्यताएं हैं, अनेक विचार हैं। इन विविधताओं के बाद भी आज हमारा देश एक है। आज हमें विचार करना पड़ेगा कि आगे आने वाले 100 वर्षों में, दो सौ वर्षों में, हजारों वर्षों में यह हम क्या करें कि हमारे देश की विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश, हमारा जनतांत्रिक और हमारी जनतांत्रिक प्रणाली दुनियां के लिए एक आदर्श बने। हमने प्रगति की, दुनिया में स्थान बनाने की कोशिश की। निश्चय ही हम आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना 50 साल के अंदर आगे बढ़ना चाहिए था आज हम उतना आगे नहीं बढ़ सके हैं, इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं, आपको घंटी बजाने का अवसर नहीं दूंगा।

आज हमारी न्यायपालिका किस तरह से न्याय व्यवस्था दे रही है। आज जनतांत्रिक देश में जहां संविधान का देश होता हैं, जहां कानून का देश होता है वहां लोगों के हितों की रक्षा करने वाली न्यायपालिका हो गई हैं आज न्यायपालिका क्या कर रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और न्यायपालिका का उत्तरदायित्व कहीं नहीं है। और तो जितनी एजेंसी हैं, जितनी संस्थाएं हैं सबका उत्तरदायित्व हैं लेकिन न्यायपालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं। न्यायपालिका के यहां पब्लिक लिटिगेशन में जो भी चला जाए कोई न कोई एक फैसला आ जाएगा। आज जो संसद का काम है, जो कार्यपालिका का काम है और संसद सार्वभौम है और इस सार्वभौम संस्था का जो काम है, आज उसको न्यायपालिका निबटा रही हैं, आज उस पर भी विचार करना पड़ेगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अंगों को जब तक मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तीनों का सामंजस्य जब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक तीनों में अन्तर-विरोध रहेगा तब तक हमारे देश के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारी जम्हूरियत के लिए और हमारी जनतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छा संकेत नहीं रहेगा। इसलिए मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करते हुए कि इस देश को, इस राष्ट्र को, इस जनतंत्र को और इस जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आज दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम सबको सदन के अंदर और सदन के बाहर पूरे राष्ट्र को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि इस राष्ट्र को हम आगे बढ़ाएंगे और दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। इतिहास में हम यह पढ़ते हैं कि हिन्दुस्तान दुनिया का सिरमौर था, सोने की चिड़िया था, दुनिया का गुरु था। आज उसी भावना से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार):** उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। एक माननीय सांसद ने जो मैंने सोचा था, बोलने की उसकी दिशा बदल दी। कहा कि पश्चिमी प्रणाली अपनाली, कहा कि संविधान अब दूसरा होना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनियां के उस समय जितने कुछ विकसित मुल्क थे उन मुल्कों की नकल हमने की और एक पिछड़े मुल्क ने जहां निरक्षरता का आलम था, पिछड़ेपन का आलम था, हम एक ऐसे मुल्क थे। यह तो हमारी खूबी है कि पिछड़े और निरक्षर मुल्क ने एडवांस्ड कन्ट्री की प्रणालियों की नकल की, कई प्रणालियों की नकल की और 50 वर्षों के इसके इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि भारत में यह सफल रहा है। यह उन प्रणालियों की खूबी हो या न हो लेकिन भारतीय जनता की, भारतीय मतदाता की एक खूबी है और इस मौके पर, इस कश्ती को 1952 से खींचकर हम यहां तक ले आए हैं तो सबसे पहले हमारे देश के मतदाताओं का इसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए और उनको इसके लिए दाद देनी चाहिए। जब हम इस प्रणाली को अपना रहे थे तो दुनिया के अन्दर यह संदेश गया कि आजादी का आन्दोलन चल रहा है, ऐसी प्रणाली आने वाली है, तब ऐसे सिद्धांतकार थे, ऐसे समाज विज्ञानी थे जिन्होंने एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत गढ़ा था और कहा कि एशियाई मुल्कों में आजादी मिल भी जाए तो भी वह इसे संभाल नहीं पाएंगे। ऐसी प्रणाली मिल जाए, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को अपना लें, ऐसे एशियाई निरंकुशता वाले देशों में यह नहीं चलेगा। आज जब हम बहस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि भले ही हमारे देश के अगल-बगल में एशिया के अलावा दूसरे मुल्कों में जहां पार्लियामेंटरी सिस्टम अपनाया गया, डेमोक्रेसी अपनाई गयी, आज वह वहां हो या न हो लेकिन हमारे देश में यह है। उपसभाध्यक्ष महोदय, बालिग मताधिकार पर भी प्रश्न उठाए जाते थे। 1952 से बालिग मताधिकार के आधार पर हम चुनाव में उतरे। उसके पहले बालिग मताधिकार नहीं था और बालिग मताधिकार के अधिकार पर निरक्षरता, पिछड़ेपन और अशिक्षा के सवाल को लेकर अंगुली उठायी जाती थी। आज भी कहा जाता है कि शिक्षित लोग चुने जाएं, लेकिन उन्हीं निरक्षर लोगों ने यह साबित कर दिया, आज अमेरिका जैसे सबसे आगे बढ़े हुए देश के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाताओं का जितना प्रतिशत वहां हिस्सा लेता है, उससे ज्यादा प्रतिशत में हम आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा निरक्षरता रखने वाले देश होते हुए भी, चुनाव में भाग लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम हमने बनाया और हम साबित कर सकते हैं कि यह मल्टी पार्टी सिस्टम बेहतर है और इसमें कहीं कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है। तो जो प्रणाली हमने अपनाई, उसे जनता ने

सफल बनाया है और जनता को जो करना चाहिए था, जनता ने उसे किया है, धैर्य के साथ किया है और उसके धैर्य की दाद देनी चाहिए कि आज भी वह इस पर विश्वास करती है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के फॉर्म और कॉन्टेंट को लेकर। फॉर्म सही साबित हुआ है। पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कॉन्टेंट है वह रिफ्लैक्ट होता है नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान के अंदर गिनाए गये हैं, उनमें। हमें समीक्षा करनी चाहिए कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों को राज्य ने कहां तक लागू किया है? उसके उपबंधों में कहा गया है कि यह नीति निदेशक तत्व शासन के मूलभूत तत्व हैं। उसमें कहा गया है कि इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उसमें कहा गया है कि न्यायपालिका इन तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इन तत्वों में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन आज समीक्षा करने का सवाल है कि क्या शासन ने उन्हें मूलभूत माना? क्या राज्य ने उसे लागू करने का कर्तव्य पूरे तौर पर समझा? उन मूलभूत तत्वों को लागू करने के लिए कदम जरूर उठाए गये, कई तरह के कानून और स्कीमें हमारे सामने आयीं, इन नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य ने कानून बनाए लेकिन जो सत्तासीन रहे, उनमें पॉलिटीकल विल की कमी थी, राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। वह राजनीतिक इच्छा शक्ति लाने की जरूरत है। यह नीति निदेशक तत्व में था कि "धन और उत्पादन के साधनों का अहितकर संकेंद्रण न हो।" क्या हम उसे रोक पाए। उपाय बहुत हैं। बहुत तरह के कानूनों की आप बात कर सकते हैं लेकिन धन और उत्पादन के संकेन्द्रण, अहितकर संकेन्द्रण को क्या हम तोड़ पाए और क्या आज भी हम उसे रोक पाते हैं? महोदय, इकॉनामी पर बहस चल रही थी। कहा गया पांच लाख करोड़ रुपये की पैरलल इकॉनामी हमारे देश में चल रही है। उसका संकेन्द्रण हुआ और हमारे देश में पैरेलल इकोनामी चल रही है इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए कि यह कैसे रुकेगी। उन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में यह था कि उत्पादन के साधनों का रि-डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे देश की 78 प्रतिशत के आसपास जनता या इससे भी ज्यादा जनता गांवों में रहती है। हम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले मजदूरों और किसानों की बात करते हैं। देश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद जमीन के वितरण का सवाल था कि इसको कैसे करेंगे। आज भी हम पाते हैं कि 75 प्रतिशत जमीन जिस पर खेती होती है वह 25 प्रतिशत आबादी के पास है और 75 प्रतिशत लोग जो खेती पर निर्भर करते हैं उनके पास सिर्फ 25 प्रतिशत ही जमीन है। हम अभी तक भूमि का संकेन्द्रण नहीं तोड़ पाये हैं और इसीलिए आज भी गावों के अन्दर गरीबी है। नीति निर्देशक तत्वों में यह भी है कि हमारे देश के शिशुओं को एक स्वस्थ्य वातावरण उनके विकास के लिए मिलना चाहिए। माताओं को पोषाहार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम उन्हें ये सुविधाएं दे पाये हैं? उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या यह हम उन्हें दे पाये हैं? नहीं दे पाये हैं। स्वास्थ्य की सुविधा देने की बात तो छोड़ दीजिए, हम अभी तक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय भी नहीं दे पाये हैं। उसकी चर्चा हम यहां पर बार-बार करते हैं। हमसे जो अभी तक भूल हुई है, हमारी जो कमजोरी रही है वह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की रही है। नीति निर्देशक तत्वों का हमारे संविधान में बहुत ही अहम महत्व है, जो कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इनको लागू करने में भ्रष्टाचार कहां आड़े आ रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर के, घोटालों को लेकर के हम यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी दूसरी समस्याएं गिनाई जा रही हैं, कई विकृतियां हो सकती हैं, कई कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन यह कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जो कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में आड़े आई हों। मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव है और आगे हमें इसको देखना चाहिए। अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि हम कोई प्रस्ताव मंडे को पारित कर लेंगे, लेकिन यह भी देश की जनता चाहेगी कि अन्तिम तौर पर यह बहस पूरे देश के अन्दर हो। हमारी यूनिवर्सिटीज इसमें भाग लें, ट्रेड यूनियन्स इसमें भाग लें और हमारी जनता के हर हिस्से में इस पर बहस होनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उधर से बहस में क्या-क्या सुझाव निकल कर आते हैं। पार्लियामेंट में पांच दिन बहस करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए तो मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा। आप यहां से प्रस्ताव पास करेंगे लेकिन एक ऐसा भी प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए कि इस 50वीं साल गिरह के मौके पर एक साल तक हमारे देश के सांस्कृतिककर्मी, शिक्षा के विशेषज्ञ और दूसरे लोग इस मुद्दे पर बहस चलावें और आने वाला जो 15 अगस्त हम मनावें, उस समय पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI VENOD SHARMA (Punjab): Sir, I feel honoured and privileged to address this special session on the occasion of celebration of the 50th year of Independence of our country. Innumerable people sacrificed their lives for the preservance of this Independence. At our borders, our soldiers and inside the country our people. Today, after 50 years of Independence, it is time to have an introspection of our gains, what we have achieved and what we have not achieved and what we could achieve. I feel this is a balance-sheet of 50 years where we can, on one side keep our achievements and on the other side, we can keep what we have missed out over the past fifty years.

It is true that in the last fifty years our country has fought four major battles, I would call them wars, one with China and three with Pakistan. Immediately after the independence, we did not only inherit the independence but also the division of the country. In 1962, we never thought that we would go into a war with China but it was thrust upon us. We were not prepared for war. Though we had inferior weaponry, than them they did not run away. We fought man to man till death.

In 1965, when we were attacked by Pakistan, our forces fought valiantly the enemy who thought that they would have their breakfast in their country and would have their dinner ours, were taught a good lèsson.

In 1971, there was a war beteen Pakistan and India. We were prepared. I can say that our forces showed it to the world that they are the most disciplined army in the world and they can fight most valiantly. Immediately after 1971, in 1974, India had gone in for a nuclear explosion at Pokharan. That was a 'Test explosion.' After that we have not been able to make a policy, I am talking about the Defence Policy, as to what policy the country is going to pursue. In today's scenario, if we see, the wars are fought only under-developed countries or developing countries. Most of the wars were being fought either in Asian countries or in the Middle-East or in Africa. There has been no war, after the Second World War which was fought, in the land of developed countries—whether it is Europe or West of it. All the weapons which are being used in these wars, in this region, are being manufactured by developed countries and we have to pay a very heavy price for those weapons. If I am not wrong, I think India is one of the major buyer of the defence equipment from the foreign countries. A lot of our money, resources are going towards purchases in defence equipment. When I talk about equipment, I would like to say that the equipment which we are buying today is going to be obsolete after ten years. This has happened with MiG-21, MiG-25 or MiG-29 and now we have bought Sukoi. All these weapons or weapon delivery systems that we have bought, whether it is tanks or guns or planes, all go obsolete after ten years' time because we have not been able to get a technological breakthrough. Without having state of out technology we started manufacturing LCA Light Combat Aircraft-or tanks or, maybe missiles. We have not been able to master the technology. Though we have the will to produce, but not the technology. That is the reason, We still are looking towards other countries to buy those equipment from them. I would like to assert on this point. It we were strong enough in 1971 and 1965—though we were strong, but it was perceived that we were not strong—we would not have been attacked. I can say even today, the fear of war is lurking on us and it is fact because we have hostile countries around us. I am not saying that we are expansionists. It is not that we will attack anybody. But, it is the duty of every Indian, it is the duty of the Parliament and it is the duty of the Government to protect the integrity and sovereignty of this country. For protection, we must know what is required and what we wanted to have with us. Today, I am sorry to say that when there was a talk about Agni Missile, we complimented everybody in this House; and spoke about it. An we said we have been able to achieve what we wanted to achieve and that we are successful in the technological breakthrough to manufacture Agni Missile. But immediately after that, I do not know what pressures were there for which we had to abandon that project. It was announced in the House that it was only for experimental purposes. What is the experiment? We have spent so much money. So much of labour had been put in by our

scientists to develop it. After all this, you come and say that it was just an experiment. Today, when we see HAFT-II and HAFT-III missile being given to these countries, we suddenly wake up and say that we will go ahead with the development of this missile. I am not casting any aspersions on anybody. I am not casting any aspersions on anobody. All that I am saying is that in the absence of any definite policy in relation to this aspect, we are going to lose time, lose time in comparison to other countries, those who are going ahead of us and achieving a technological breakthrough.

Apart from this, I would say that certain countries are trying to see that India does not develop a weaponry system which is equal to that of the advanced countries. This is because if we do that, these countries would not be able to sell their weapons to us. They feel that they would be losing economically; they would be suffering. Sir, I would only say this. If the other countries understand that if they attack us, they would have to suffer very heavy losses, if they understand that we are stronger than them, there is no fear of any attack by anybody on our country.

Sir, we find, today, that those very countries who are advocating that there should be a ban on nuclear explosions, are themselves continously going ahead with such explosions. What right do they have to stop us? What right do these countries have to tell us that we cannot go for this technology, that we should not go in for nuclear explosions, when they themselves are conducting such explosions, when they themselves are upgrading their technology?

These countries want to keep us as a market for their weapons so that they can sell their weapons, obsolete weapons, which are of no use to them, to us and to the other countries, so that they can get a lot of money out of it. Therefore, I would request this House. We should have a definite policy. Why should we be ashamed of our actions? Why should we be afraid of becoming self-sufficient?

अगर आज हम सक्षम हैं और हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं तो उस पर दुनिया भर में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जरूरत है तो बनायेंगे और हो सकता है कि बनाना पड़े।

We find that the other countries are openly saying that they have made these weapons. Sir, nobody gives you time. Nobody gives you any warning. Nobody is going to tell you: 'Look, we are going to attack you' and so you go and make an atom bomb. It is not something so simple like your getting four by adding two and two. These things take time. You cannot develop it within fifteen days, one month, two months. In today's warfare, you don't get as much as fifteen days or one month or two months. You get just a few days; maybe, just a few hours. Therefore, we should always be in a state of preparedness to face any eventuality, as and when it comes.

Sir, in 1947, we became independent. Along with our Independence, came the division of India; the country was divided. There was a large-scale migration from across the border. many people from this part of the country went to the other part; similarly, many people from that part of the country came to this part. Here, I am ashamed myself of one thing. My elders who had seen this thing know about it. The kind of massacre; the kind of situation that had developed at that time. Women were raped. People were killed. Homes were destroyed. People had to abandon their houses, their land, everything. They had to come over to this place and settle down. Today, after fifty years, it has not stopped. This was one incident. People thought at that time that they were leaving their houses there, but that they would go back later and occupy those houses. People thought that it was a temporary phase. I was not born at that time. I was born after Independence. But I have heard. I have read. I have sat with people. I know it because many people form across the border came to the area in Punjab where I live. People thought that they would go back. They thought that they would go back and occupy their houses. They thought that it was a temporary phase. But is was not so.

In1984, in Delhi, Sikhs were massacred. Thousands of Sikhs died. I cannot obsolve myself because I did not speak. Therefore, I feel that I had to pay a very heavy price for that. Even the nation had to pay a very heavy price. We kept quiet at that time. We saw thousands of them dying. We saw those senseless killings. These were not human. These were barbarian.

5.00 P.M.

But what was the effect of that? Many people left Delhi and went to look for shelter in other places in this country which is free and independent. Some have come back, while others have not. The outcome was the terrorism in Punjab. The kind of situation which developed over there was that if a boy was going to school, his mother was thinking whether he would come back or not. If her husuband was going out of the house, she was telling him, "Please come back before five o'clock, before dark, because after dark there is no guarantee that you will be safe." If you wanted to watch TV. you could not switch on your TV because light would be seen in your houfe and you might be attacked. Such was the situation for eight years. The people of Punjab fought against this. No Sikh killed a Hindu in Punjab. I guarantee that. I can say authentically that nor Hindu killed a Sikh and no Sikh killed a Hindu, but the terrorist who were neither Hindus nor Sikhs but enemies of our nation, killed the people. They killed Indians. In all over 20,000 people were killed in Punjab.

After eight years, when we got peace in Punjab, the present Punjab Government says that cases shall be registered against those who were instrumental in bringing peace in Punjab and that a thorough probe shall be made. The Human Rights Commission has come into being now. The Human Rights Commission says, "let us punish the people who were responsible for bringing peace in Punjab." I am not absolving anybody. If anybody has crossed limits in Punjab, if anybody has done something wrong in the eyes of law in Punjab, he should be punished positively. But, under the garb of this, you cannot take a political mileage. You cannot try to fulfil your political ends. The Government of Punjab is trying to do this. Today, under the garb of punishing those people who did something wrong, it is punishing innocent people also, who did not do any wrong. Are we going to be again mute spectators? Are we going to repeat the same mistake that we committed in the past? Are we going to see that again terrorism returns to Punjab? Are we going to testify that? Will we not be failing in our duty if we do not raise our voice today that this shall not happen?

I will go further than that. Kashmir has been under turmoil for a long time. In all these years, many people left their houses. Hundreds of thousands of families, had to leave their houses. They are scattered all over the country. Some of them are in Jammu. Some others are in Delhi. Still some others are in Chandigarh. I do not know where the rest of them are. But what is their plight? Many years have passed? We think that our only duty is to give some money to these people. Have we tried to create a situation which is conducive so that they can go back to their houses? Merely making some statements will not help. There was a little improvement in the situation. Then many people were massacred in Sangrampur. The reason is that the terrorists do not want people to go back to their homes. Today we say that we will give some assistant to these people so that they can settle down and that we will give some money to them to rebuilt their houses. There are not houses there. Those houses have been taken over. Those houses are in dilapidated condition. As there is no business, If somebody has left his business or job he can reestablish his business on going back. This is what I want to say. I only plead that if we keep on ignoring this problem, it will become a cancer. The people will never get their due.

Sir, I will try to give only two suggestions in this regards. As I have said, riots have taken place many times, but not even a single person has been punished. Courts were set up. The courts take a long time to punish them. So I only plead that there should be special courts. riot courts, with a specific time-frame to deal with cases of riots. There should be exemplary punishements to those people who indulge in riots. A specific time-limit should be fixed, specifying that within six months or within three months all the cases pertaining to a particular incident should be decided and judgement to punish all culprits be given within the timeframe. Otherwise, you keep on trying them for ten years. People will not go to the court to give the evidence. Nobody will be punished.

Another thing I would like to suggest is that a Parliamentary Committee should be constituted to look into cases of all the migrations within the country. I am not talking

of any particular migration, be it from Kashmir to other places, or be it from Delhi to Punjab or from Punjab to Delhi. A Parliamentary Committee should go into all the migrations that have taken place and find out a solution. The Government should see that all its recommendations are implemented.

Lastly, all those people who have left their places of residence and have migrated to other places like Punjab, Delhi had sold out their property at a very low price. That was a distress sale. All those transactions should be cancelled and those properties should be given back to those very people at the very price at which they had sold out.

**श्री देवी प्रसाद सिंह** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विशेष सत्र के पांचवें दिन पांच बजकर पांच मिनट पर मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया है।

**उपसभाध्यक्ष** (श्री सनातन बिसि): अभी पांच बजकर छ: मिनट हैं।

**श्री देवी प्रसाद सिंह**: आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि दो दिनों के लिए सत्र और बढ़ा दिया गया है। अगर सिर्फ चार दिन का सत्र होता तो शायद मुझ जैसे बैक बेंचर्स को बोलने का मौका नहीं मिलता। आपका आभार पुन: व्यक्त करूंगा अगर मेरे भाषण के दौरान बजने वाली घंटी थोड़ा विलम्ब से बजायी जाए।

**उपसभाध्यक्ष** (श्री सनातन बिसि): आप प्वाइंट्स बोलिए। हम टाइम देंगे। कौन मना करता है।

**श्री देवी प्रसाद सिंह**: मान्यवर, चर्चा तमाम विषयों पर हुई। उन सारी बातों पर मैं पुन: अपने को दोहराना नहीं चाहता। चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इन 50 वर्षों के संसदीय लोकतंत्र में हमने क्या पाया और आने वाले 50 वर्षों में हम क्या करने वाले हैं, इस पर विचार आए और आने भी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम 50 वर्षों की चर्चा करते हैं तो सिर्फ यह कह देना कि हमने कोई उपलब्धि नहीं की, सिर्फ आलोचना ही कर देना कोई मतलब नहीं रखता है। निश्चित रूप से इन 50 वर्षों में हमने काफी उपलब्धियां कीं। तरक्की की हमारे देश ने-विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नालाजी के क्षेत्र में। अन्य तमाम क्षेत्रों में हमने तरक्की की।

मान्यवर, इन 50 वर्षों में अगर कोई काला धब्बा दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि मुझे आज इस मौके पर बोलना चाहिये, नहीं बोलूंगा तो शायद अपने आप पर गुनाह करूंगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इन 50 वर्षों में कोई काला धब्बा दिखाई देता है तो एक था 25 जून, 1975 का दिन जब इस देश पर आपातकालीन स्थिति लादी गयी थी।

इन 50 वर्षों की उपलब्धि जो मैं मानता हूं, वह यह मानता हूं कि यह संसदीय लोकतंत्र हमारे देश का कामयाब रहा इस मामले में कि आज भी हमारे यहां लोकतंत्र कायम है। इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक प्रयास किया गया था, 1975 में। जब देश में आपातकालीन स्थिति लाकर मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश की गयी थी। मैं धन्यवाद देता हूं इस देश की महान जनता को जिसने उस समय के जिम्मेदार लोगों को सफल नहीं होने दिया और उनको दंडित किया। मुआफ नहीं किया। जनता ने तो मुआफ नहीं किया। मान्यवर, इधर देश से मुआफी मांगने की परंपरा चल गई है। एक ढांचा अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को गिरता है। यह विवादित ढांचा था, जिस पर 1527-28 ईसवी से विवाद चला आ रहा था और उसका अंत 6 दिसम्बर 1992 को हुआ। उस पर हमारे देश के नेताओं के सिर शर्म से झुक गए। मुआफी मांगने का तांता लगने लगा। एक मामूली ढांचा गिरता है तो हमारे देश का सिर शर्म से झुकता है। हमारे नेताओं को शर्म आती है मुआफी मांगते हैं और जब देश के लोकतंत्र का ढांचा गिरने की बात आती है तो किसी को शर्म नहीं आती, किसी का माथा शर्म से नहीं झुकता। आज जब मुआफी मांगने का एक रिवाज चल गया है तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वह लोग जो देश पर आपातकालीन स्थिति लाने के जिम्मेदार थे वे भी क्षमा मांगे। इसके लिए देश से उनको क्षमा मांगनी चाहिये, राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिये। मान्यवर, एक माइनारिटी की बात बार-बार चर्चा में आई। मुझे समझ नहीं आता कि यह देश जिसमें 15 करोड़ से ऊपर की आबादी हो उस इतनी बड़ी आबादी को माइनारिटी की संज्ञा क्यों दी जाए? माइनारिटी किस आधार पर आंकी जाए। मान्यवर, इस पूरे देश में मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन में देश के कोने-कोने से यह जांचा गया कि किस इलाके में कौन सी जाति के लोग पिछड़े हैं और उस आधार पर पिछड़ों की सूची बनी और उस आधार पर अलग-अलग प्रांतों के हिसाब से पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण हुआ। एक ही जाति उत्तर प्रदेश में यदि पिछड़ी है तो गुजरात में वह अगड़ी है। एक ही जाति उत्तर प्रदेश में अगड़ी है तो गुजरात में पिछड़ी है। इस प्रकार की देश में पूरे प्रांतों की स्थिति है। माइनारिटी किस आधार पर तय करेंगी, पूरे देश के हिसाब से करेंगे या क्षेत्र के हिसाब से करेंगे? मान्यवर, काश्मीर में हिन्दू

माइनारिटी में है। पंजाब में हिन्दू माइनारिटी में है, नागालैंड में हिन्दू माइनारिटी में है, मिजोरम में हिन्दू माइनारिटी में हैं और उसको मैजोरिटी माना जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहां मैजोरिटी के लोग माइनारिटी द्वारा पिटे जा रहे हैं? हमारे इस देश में यहां का मैजोरिटी का कहा जाने वाला हिन्दू कश्मीरी पंडित बेघरबार हो कर दिल्ली में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। रेफ्यूजी बना हुआ है। अपने ही देश में अपने घर वाला मैजोरिटी का आदमी और वह कहां जाए? देश में तो मैजोरिटी में है, लेकिन वह विस्थापित है। मान्यवर, माइनारिटी की कल्पना बदलनी पड़ेगी, यह परिकल्पना बदलनी पड़ेगी। यह तय करना पड़ेगा कि आखिर मैजोरिटी में कौन है और माइनारिटी में कौन है। पचास वर्षों के बाद भी आज इस आधार पर लोग प्रताड़ित किए जाएं और दुनियां में सब से बड़ी जनसंख्या जिसकी हिन्दुस्तान में हो और वह माइनाइरिटी का क्लेम करे और उस आधार पर यह मांग करे, मान्यवर, यह कल्पना बदलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर माइनारिटी और मैजोरिटी का विवाद खत्म होना चाहिये। माइनारिटी कमीशन बंद होना चाहिये, खत्म होना चाहिये और उसके स्थान पर ह्यूमैन राइट्स कमीशन बनना चाहिये। मानवाधिकार आयोग बनना चाहिये और तब जा कर देश शायद सही दिशा पा सकेगा। क्या वजह है कि पचास वर्षों में हमने आज तक देश के लिएं कोई कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया। इस देश के अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून हैं और हम चाहते हैं कि देश में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। मान्यवर, एक आदमी अगर दूसरी शादी करता है तो उसे 494 आई॰ पी॰ सी॰ में सजा होती है और इस देश का दूसरा नागरिक चार-चार शादी करने के लिए फ्री है, यह कहां का न्याय है? इससे एकरूपता नहीं आ सकती। क्या हम कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते? मान्यवर, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस विषय में गंभीरता से विचार करे।

मान्यवर, साम्प्रदायिकता की बात कही जा रही है, लेकिन साम्प्रदायिकता पैदा करने वाला कौन है, कहां से यह पैदा हो रही है? मान्यवर, ये बिंदु है जहां से साम्प्रदायिकता जन्म लेती है। हमें इन बिंदुओं को समाप्त करना होगा। इस देश में एकरूपता लानी पड़ेगी। मान्यवर, आजादी के पिछले 50 साल जिसकी इन दिनों विशेष चर्चा हुई, देश की तरक्की की विशेष चर्चा हुई, लेकिन देश में रहने वाले लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। देश ने तरक्की की, लेकिन देश के आम आदमी ने तरक्की की क्या? क्या आजादी की कोई भी किरण गांव के उस गरीब तक पहुंच पाई है? मान्यवर, हम आज भी देखते हैं कि देश में रहने वाली अच्छी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने के लिए मजबूर है। आज भी देश का किसान अपने खेत में पानी के लिए तरस रहा है। उस के खेतों को समय से पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, कीटनाशक दवाईयां नहीं मिलतीं। आजादी तो मिली, हमने मिसाइल तो बनाई, अग्नि तो बनाई, वायुयान बनाए, पानी के जहाज बनाए, हम ने टैंक बनाए और तोप भी खरीदी, लेकिन यह देश जो कि गांव का देश है जहां कि सर्वाधिक आबादी गांव में रहती है और जिसका जरियामाश खेती है, उस खेती के लिए हमने पिछले 50 वर्षों में क्या किया? हमारा किसान आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। आज भी वह खेती के लिए आसमान की ओर ताक रहा है। बारिस होगी तो खेती अच्छी होगी और बारिस नहीं होगी तो खेती बरबाद हो जाएगी। हम उनके खेतों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, कीटनाशक दवाईयां नहीं दे पा रहे है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, हमें इस बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी। हमें चिंता करनी पड़ेगी इस बात के लिए कि गांव के आदमी को ज़रूरी जरूरियात मुहैया हैं? आजादी के इन 50 वर्षों के बाद भी गांव की सड़कें कच्ची हैं। लोग कीचड़ में होकर और घुटनों-घुटनों पानी में होकर गांवों में रास्ता पार करते हैं। वहां आज भी पाठशालाएं नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, जरूरी जरूरियात देश के लोगों को मुहैया नहीं है और हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। हम अपनी तरक्की का गुणगान कर रहे हैं। मान्यवर, तरक्की का गुणगान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरियों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग गन्ने की खेती करते हैं। यह गन्ने की खेती नगदी फसल कही जाती है, लेकिन विडम्बना यह है कि इस खेती को उसे उधार देना पड़ता है, मिलों को गन्ना गिराता है। फिर उस मिलों के दरवाजे पर तीन-तीन साल चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसे फसल के दाम नहीं मिलते। मान्यवर, कितनी मशक्कत से वह गन्ना पैदा करता है, उस में खाद डालता है, बीज डालता है, जुताई करता है, पानी देता है और उसे अपनी उपज के दाम के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो उस की खेती का मूल्य है, उस के हिसाब से पैसा नहीं के बराबर मिलता है। इन कम दामों के लिए भी वर्षों चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर वह आलू बोता है और अगर उस की उपज ज्यादा हो गयी तो रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, स्टोरेज नहीं है। वह मजबूर होता है उस उपज को सड़ाने के लिए। मान्यवर पिछले वर्ष तमाम आलू सड़ गया। फिर उसे खेतों में डाल दिया गया

और वह खाद का काम करने लगा। तो किसान जब पैदा करता है, उसकी खरीददारी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। आज हम कहते हैं कि हम तरक्की किए जा रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर गया है, लेकिन गांव का गरीब, गांव का किसान आज भी दुखी है, जैसे पहले दुखी था।

मान्यवर, मैं थोड़ी सी चर्चा गांव की करना चाहूंगा, शहरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शहरों में तो बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, अट्टालिकाएं बन गई हैं, इमारतें बन गई हैं, बिजली के तार फैल गए हैं, मगर गांवों में आजादी के पहले क्या दशा थी और आज क्या दशा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे याद है उस समय पुलिस देखकर लोग आतंकित हो जाते थे, कोई जुल्म हो जाता था तो गांव के गांव छोड़कर लोग भाग जाते थे। उस समय पुलिस ज्यादती थी। आज की पुलिस ज्यादती का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक सत्याग्रह हुआ था वोरसद गुजरात में सन् 1923 में। यह क्यों हुआ था? उसके पीछे पृष्ठभूमि यह थी कि उस समय बाबर देवा और अली नामक दो डाकू आतंक मचाए हुए थे, लोगों को लूट रहे थे, लोगों की नींद हराम किए हुए थे। उन डाकुओं से जनता की हिफाजत के लिए उस समय की अंग्रेज सरकार ने स्पेशल पुलिस मुहैया की और उस पुलिस का खर्चा उस इलाके के लोगों से वसूला जाता था। 2 रुपए 6 आना प्रति व्यक्ति की दर से। हालत यह हुई कि रुपया तो वसूला जाने लगा, लेकिन लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। डाकू ज्यों के त्यों बने रहे, और ज्यादा डाके डालने लगे। लोग परेशान हुए। मामला उस समय के नेताओं के सामने, सरदार पटेल के सामने आया। सरदार साहब ने 20 अक्तूबर, 1923 को एक कमेटी बनाई। मोहन लाल पांडया और रविशंकर महाराज उस कमेटी में थे। उन्होंने जाकर मौके पर जांच की। मौके पर उन्होंने जो देखा, जो पाया, उसकी रिपोर्ट उन्होंने लिखी। उस रिपोर्ट की दो लाइन मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं कि उन्होंने क्या उस समय की पुलिस के बारे में लिखा था-''डाकू रात को लूटते हैं, पुलिस दिन-दहाड़े लूटती है और इस कानूनी माने जाने वाली लूट के साथ लोगों को कलंक का टीका लगाती है। सरकार कहती है कि लोग डाकुओं का साथ देते हैं, उन्हें आसरा देते हैं, उन्हें खाना देते हैं और लोग कहते हैं कि पुलिस डाकुओं से मिल गई है, उनको बंदूकें देती है, लूट के माल का हिस्सा बंटा कर जेबें भरती है।'' यह उस समय की, आजादी के पहले की पुलिस थी। वह तो अंग्रेज पुलिस थी, जो हमारे ऊपर शासन करने के लिए थी, हमको दबाने के लिए थी। आज आजादी के पचास वर्ष बाद हमारी क्या दशा है? क्या पुलिस वैसे ही है या उसमें कोई फर्क आया है? मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी पुलिस का आतंक उसी प्रकार से है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** बस, और नहीं। आप जो बोलने वाले थे, वह आपने बोल दिया। ...(व्यवधान)... श्री गांधी आजाद।

**श्री देवी प्रसाद सिंह:** सर, एक आखिरी बात कहना चाहूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** नहीं, मैंने नाम बोल दिया है। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

**श्री देवी प्रसाद सिंह:** मान्यवर, आपने जो मुझे समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** ठीक है, आभार हो गया। अब बैठिए।

**श्री गांधी आजाद** (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, महोदय। आज स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर जो विशेष अधिवेशन चलाया जा रहा है, इसकी महत्ता को देखते हुए दो दिन के लिए यह सदन बढ़ा दिया गया है और कल से आज तक चर्चा का विषय जो संसदीय लोकतंत्र है, वह विशेष महत्व रखता है।

महोदय, हमारे देश में राष्ट्रीय महत्व को त्यौहारों के रूप में मनाने की परंपरा बन गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का एक नाटक के रूप में पुन: अभिनय किया जाता है। इन समारोहों में रंगारंग जलसे मनाकर, झांकियां निकाल कर, प्रदर्शनियां सजा कर और सार्वजनिक भाषण देकर मनाया जाता है अर्थात् एक प्रकार की रस्म अदायगी की जाती है। हमें आशा है कि कम से कम पचासवीं वर्षगांठ बनावटी तरीके से नहीं मनाई जाएगी। हमें इस बार केवल इतिहास के क्षणों को दोहराने की जरूरत नहीं है बल्कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमें मिलकर देखना होगा और इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि हमने आजाद होने के बाद अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए क्या किया है? यह जांच करना महत्वपूर्ण है कि आम नागरिकों में, विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग, ऐतिहासिक रूप से शोषित और परम्परागत रूप से दलित वर्ग के लोगों ने स्वतंत्र होने को किस तरह से महसूस किया है। यह एक आम नागरिक को, उसका सामाजिक और आर्थिक दर्जा कुछ भी हो, उसको आजादी को इस तरह याद करना चाहिए कि इससे उसे आत्मसम्मान के साथ जीने का कितना अधिकार मिला। आम आदमी को यह महसूस करना चाहिए कि आजादी से

उसे सम्मान मिला और आजादी ने उसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति के वर्ग के बंधनों से मुक्ति दिलाई।

आज आजादी की इस 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वशासन की उपलब्धियों और असफलताओं का यदि हम विशलेषण करें तो स्पष्ट होता है कि देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी उपलब्धियों से लाभ हुआ है। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो हमारी असफलताओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको लोकतांत्रिक शासन से लाभ हुआ है और लाखों लोग ऐसे भी हैं जो आज तक इन फायदों से वंचित रहे हैं। देश में एक श्रेणी ऐसे लोगों की भी है जो योजनाओं के त्रुटिपूर्ण नियोजन, गलत कार्यान्वयन के कारण कुप्रशासन, भ्रष्टाचार तथा प्रशासन तंत्र की असफलताओं के कारण उन सुविधाओं से वंचित किए गए हैं जिनके अंतर्गत वह आजादी से पहले सुखद और स्वतंत्र जीवन का निर्वहन कर रहे थे। आज हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश का अधिसंख्य भाग, आजादी तो दूर रही, राजनीतिक विषमताओं के कारण, जिनकी संख्या देश में आधे से अधिक लगभग 52 प्रतिशत है, उन पिछड़ी जातियों तथा अर्ध पिछड़ी जातियों को मात्र दस प्रतिशत राजनीतिक हिस्सा मिला है और जिनकी संख्या इस देश में 15 प्रतिशत है, उनको अपनी संख्या से चार गुना, लगभग 60 प्रतिशत, राजनीतिक भागीदारी मिली हुई है। इतना ही नहीं, आजादी का इतना अरसा बीत जाने के बाद भी देश में काफी लोग अभी तक बैलेट पेपर नहीं देख पाए हैं, यह देश का दुर्भाग्य है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर राष्ट्र की क्या आशाएं और आकांक्षाएं थी, उन्हें हमारा संविधान भली-भांति परिलक्षित करता है। बहुजन समाज को संविधान पर गर्व है। समाज को संविधान के निमार्ताओं तथा विशेषकर डा० भीमराव अम्बेडकर पर गर्व है, जिनकी बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता के कारण संविधान में भारतीय समाज के कुछ वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में अपने आदर्शों को निर्धारित करते हुए सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व स्थापित करते हुए व्यक्ति की गरिमा एवम् राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम दो विशेष वर्गों में विभाजित थे, एक वर्ग वह था जो ऐतिहासिक रूप से वंचित था और दूसरा वर्ग वह था जो परम्परागत रूप से सम्पन्न तथा किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव को बनाए रखने की परम्परा वाला था। डा० भीमराव अम्बेडकर ने यह शंका व्यक्त की थी कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता परस्पर विरोध बढ़ाएगी। उन्होंने यह टिप्पणी 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में निम्न शब्दों में की थी:—

> "26 जनवरी, 1950 को हम एक परस्पर विरोध के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति और एक मूल्य के सिद्धान्त को अपनाएंगे किन्तु अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक एवम् आर्थिक ढांचे के कारण हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धान्त का खंडन करते रहेंगे। हम परस्पर विरोध का यह खंडन करके जीवन कितने दिन जी सकेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता का कितने दिन तक खंडन करते रहेंगे? यदि हम लम्बे समय तक इसका खंडन करते रहे तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही कर सकते हैं। अन्यथा जो असामनता से पीड़ित है वे राजनैतिक लोकतंत्र को उखाड़ फेकेंगे जिसे हमने इतनी कड़ी मेहनत से बनाया है"।

महोदय, हमारा मानना है कि जो कुछ बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने उस समय सोचा था उससे कहीं अधिक आज घटित हो रहा है। हम न केवल आर्थिक समानता लाने में असफल रहे हैं बल्कि राजनैतिक समानता भी हमसे मुहं चुरा रही है। महोदय, आज लोकतंत्र पर मनी, मीडिया और माफिया हावी होता जा रहा है। आप अमूल्य वोट के अधिकार को चंद पैसो में खरीदा जा रहा है। जागरूकता के अभाव में मंदिर-मस्जिद का भ्रम फैलाकर वोट लिया जा रहा है और वोट की लूट करके लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। आजादी के स्वर्ण-जयंती के वर्ष तक यह दुर्दशा देखने को मिल रही है। इसे दूर करने का संकल्प हमें और सरकार को लेना चाहिए।

महोदय, हमारे कुछ साथी इस संविधान पर अंगुली उठाते है। मैं उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि संविधान चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा क्यों न हो, यदि उसका पालन करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित हो जाएगा। इसी तरह अगर संविधान खराब से खराब भी है लेकिन अगर उसका पालन करने वाला अच्छी नीयत वाला है तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। अभी हमारे कुछ साथी इसके संशोधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम उनको बता देना चाहते हैं कि संविधान की त्रुटियों के कारण संविधान में संशोधन

नहीं होता रहा है बल्कि देश, काल और परिस्थितियों की मांग के अनुसार इसे अधिक से अधिक जनकल्याणकारी बनाने के लिए, इसमें संशोधन किया जाता रहा है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अम्बेडकर गांव को लागू करने की योजना पूरे देश में बनाई गई है और अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति अधिनियम पूरे देश में लागू करने के लिए बनाया गया है लेकिन नीयत साफ न होने के कारण केवल उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम लागू हुए हैं और वह भी जब से कुमारी मायावती की सरकार आई है, तब से लागू हुए हैं। और किसी प्रांत में यह लागू नहीं हुए हैं।

दोस्तों, आज हम कांशीराम जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो डा. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए दलित, शोषित, पीड़ित और धार्मिक अल्पसंख्यक एवं मजलूम समाज को जालिमों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एवं जातिवाद, वर्णवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए एक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं कि - "जाति तोड़ो और समाज जोड़ो"। इतना ही नहीं देश की सारी व्यवस्था में भागीदारी देने के लिए उनका दूसरा संदेश है कि - "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी"। महोदय, जब तक इन सिद्धांतों को देश में लागू नहीं किया जाता, तब तक बाबा साहब डा॰ अम्बेडकर के अनुसार "जाति-विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य की कल्पना करना निरर्थक है"।

साथियों, बाहरी रूप से तो देश ने साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ फेंका था किंतु आंतरिक रूप से जनता के कुछ वर्ग दूसरी ही बेड़ियों में जकड़े हुए थे - आर्थिक रूप से उन्नत साहूकारों का चंगुल, स्थितियों में असमानता, जमींदारों की दासता, जाति-प्रथा के अवरोध, धार्मिक असमानता इत्यादि की बेड़ियां, जिसके परिणाम-स्वरूप जनता के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों और कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी सुविधाओं और अवसरों से वंचित रखा गया। यदि समूचे समाज को अवसर दिया गया होता और सुविधाएं प्रदान की गई होतीं तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग गांधी, जवाहर, सुभाष और अम्बेडकर सरीखे बनते और अपने समाज के दुर्दिन दूर करते लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुविधाओं के अभाव में, अवसरों के अभाव में एक बड़ी जमात के लोग केवल हलवाहे और चरवाहे बनकर रह गए।

जबकि इब्राहिम लिंकन ने कहा है कि "प्रजातंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का राज होता है।" किन्तु आजादी की स्वर्ण जयंती तक हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। आज प्रजातंत्र कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों का राज ही बनकर रह गया है। हम राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित नहीं कर पाए और शासन-प्रशासन में आम आदमी की भागीदारी एवं समान अवसर उपलब्ध कराने की स्थितियां अभी नहीं बना पाए। इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता केवल एक खोखला प्रश्न ही बनकर रह गई है। करोड़ों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का सर्वोदय सम्भवतः अभी तक नहीं हुआ है। शासन और प्रशासन में राजनैतिक शक्ति प्रदान करने और भागीदारी से दलितों को स्वतंत्रता मिल सकती है। किन्तु यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि बहुजन समाज को अपना राजनैतिक नेता बनाने के लिए हमेशा हतोत्साहित किया गया। गरीबों के लिए नेताओं को नीचा दिखाने के लिए हमेशा सुनियोजित प्रयास होते रहे हैं। धनी और ऊंची जातियों ने सामान्यतः उनके नेतृत्व पर कब्जा करने की कोशिश की और उनकी सीधेपन और आर्थिक आश्रितों का फायदा उठाया। उनके किसी सदस्य को चाहे वह कितना ही दक्ष क्यों न रहा हो समाज के राजनैतिक महत्वकांक्षाओं के साध्य पात्र के रूप में उभरने नहीं दिया गया। बहुजन समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में शोषण किया गया। किन्तु डा॰ अम्बेडकर के अनुसार - "केवल निर्वाचक होना ही पर्याप्त नहीं है, कानून निर्माता होना जरूरी है। अन्यथा जो कानून निर्माता हो सकता है वह उनका स्वामी होगा, जो केवल निर्वाचक हो सकते हैं।"

जब तक बहुजन समाज के सदस्यों को राजनैतिक शक्तियां नहीं दी जाती तब तक उनकी आर्थिक हालत में सुधार लाना सम्भव नहीं है और जब तक वे आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हो जाते तब तक राजनैतिक मंच पर प्रतिस्पर्द्धा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। इन दोनों क्षेत्रों पर विशेषाधिकार प्राप्त कुछ ही लोगों का एकाधिकार कायम है। बहुजन समाज इस दूसरी असहायता के अधीन कष्ट उठा रहा है। इसलिए डा॰ अम्बेडकर के शब्दों में - "इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता है कि इस देश में राजनैतिक शक्ति पर बहुत लम्बे समय के कुछ लोगों का एकाधिकार रहा है और अधिसंख्या लोग केवल बोझा ढोने वाले पशु ही नहीं बल्कि शिकार बनने वाले जानवर भी हैं।"

इस एकाधिकार ने केवल उनको अपने बेहतरी के अवसरों से वंचित नहीं किया है अपितु उनको जीवन की सार्थकता से भी दूर कर दिया। वे पद-दलित वर्ग औरों की हुकूमत से थक गए हैं, वे अपने आप शासन करने के लिए

बेसब्र हैं। पद-दलित वर्गों में आत्म विश्वास की लालसा को वर्ग संघर्ष का रूप धारण करने नहीं देना चाहिए। इससे घर का बंटवारा हो जाएगा। वह दिन वास्तव में विनाशकारी दिन होगा जैसा कि इब्राहिम लिंकन ने ठीक ही कहा है कि — "अपने आपमें विभाजित घर बहुत अधिक समय तक नहीं चल सकता है।" इसलिए उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी व्यवस्था करली जाएगी इस घर की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए और इस घर के प्रजातांत्रिक ढांचे को जारी रखने के लिए उतना ही बेहतर होगा। यह कार्य जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और भातृत्व की स्थापना करके ही किया जा सकता है।"

अन्त मैं, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि स्वर्ण जयंती के पूर्व में हुई असफलताओं की पुनरावृत्ति न हो सके इसके लिए हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि जनतंत्र की जागरुकता को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेना होगा तथा देश के हर नागरिक की भागीदारी देश के लोकतंत्र में सुनिश्चित करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज की संरचना करना होगा। धन्यवाद मान्यवर, समय के लिए।

**श्री मूलचन्द मीणा** (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता की 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, मैं इसके लिए दोनों ही सदनों के चेयरमेन को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं कुछ कहूं उससे पहले उन लाखों शहीदों को श्रृद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आपको न्यौछावर किया। साथ ही मैं उन स्वतंत्रता सैनानियों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़कर हमें आजाद भारत दिया। देश की आजादी के समय जो आजादी की लड़ाई लड़ी गयी था, गांधी जी की नीतियों पर अहिंसा का मार्ग अपनाकर दुनिया में एक मिसाल कायम की गयी थी। आजादी की लड़ाई का जो रास्ता हिन्दुस्तान के अंदर अख्तियार किया गया, वह दुनिया में एक अनोखा रास्ता था। दुनिया उससे शिक्षा ले रही थी। अफ्रीका के देश गांधी जी की नीति के आधार होकर आजाद हो रहे हैं। आजादी की जो लड़ाई लड़ी गयी थी, वह एक अनोखी लड़ाई थी, एक अद्भुत लड़ाई थी, जिसकी मिसाल आज दुनिया के अंदर है। उस समय देश जब आजाद हुआ, तब देश के सामने विषम परिस्थियां थीं, अनेक समस्याएं देश के सामने थीं। देश का कैसा स्वरूप बनाया जाए कि भारत आगे जाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, भारत की गरीबी दूर हो, भारत के लोगों को शिक्षा मिले, भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इलाज की व्यवस्था हो, कैसा भारत बने यह समस्या हमारे सामने थी। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देश की आजादी के साथ हमें संसदीय लोकतंत्र दिया। देश के अंदर प्रजातंत्र की स्थापना की और उस प्रजातंत्र के माध्यम से हमने 50 साल तक इस प्रजातंत्र को बखूबी आगे बढ़ाया। उसके साथ ही साथ कुछ विकृतियां ऐसी आयीं, कुछ समस्याएं ऐसी आईं प्रजातंत्र के सामने कि इस प्रजातंत्र को खंडित करने की ओर अग्रसर होने लगे। लेकिन हमने इस लोकतंत्र की सुदृढ़ और सुचारू राष्ट्रीयता को बनाए रखते हुए पचास साल तक संसदीय लोकतंत्र को कायम रखा। लोकतंत्र के अंदर कुछ विकृतियां ऐसी आयी हैं कि यदि उन विकृतियों को हमने दूर नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे लोकतंत्र पर खतरा कायम हो जाए। इसलिए पचास साल तक यह लोकतंत्र कायम रहा जिसके अंदर यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। इसके अंदर यह सोचना पड़ेगा, यह विचार करना पड़ेगा, ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि आगे चलकर कैसी दुनिया हो, आगे 50 साल में कैसा भारत हो? भारत के लिए किस प्रकार की योजनाएं हों जिससे दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में भारत का नाम गिना जाए? इस प्रकार की योजनाओं से नयी रोशनी इस अधिवेशन के विचार के बाद इस देश के लोगों को देनी पड़ेगी, प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए। लोकतंत्र में विकृतियां आयीं—चाहे संसद के चुनाव हों, चाहे विधान सभा के चुनाव हों, आज उनके अंदर असामाजिक तत्व चुनकर एम॰पी॰ और एम॰एल॰ए॰ बन गये हैं। आज चुनावों के अंदर धन इतना प्रभावित हो गया है कि जिसके पास पैसा है, वह चुनाव जीतने लग गये हैं। कहीं किसी पार्टी की नीतियों का या पार्टी के जो सिद्धांत हैं, उसका कोई आधार नहीं है। केवल धन के बल पर ऐसा होता है। धन के अभाव में कई अच्छे विद्वान लोग चुनाव हार जाते हैं और जो असामाजिक तत्व हैं वह अपने धन के आधार पर, अपने असामाजिक कुकर्मों के आधार पर इन सदनों में आ जाते हैं। इसलिए इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। यदि लोगों को वोट का अधिकार दिया गया है तो उस वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं होता है। अपने शुद्ध आचरण से वह यह प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज राजनीति वोट बैंक की चल गयी है। आज साम्प्रदायिकता के नाते से, चाहे धर्म के नाम पर वोट लें, चाहे जाति के नाम पर वोट लें, लोकतंत्र की भावना से हम परे चले गये हैं, वहां से हमको वापिस आना पड़ेगा। इन चार दिन के अंदर जो बातें सारे राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों ने कहीं हैं वह प्रैक्टीकल रूप में करें। सदन के अंदर बात करना अलग बात है, देखना यह है कि प्रैक्टीकल भावना क्या है? कुर्सी के लिए हम क्या-क्या

न्यौछावर करते हैं? हमारा लक्ष्य केवल कुर्सी प्राप्त करना है। साम, दाम, दंड, भेद–कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन हम कुर्सी चाहते हैं। यह भावना हम सबको निकालनी पड़ेगी। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की एक ही भावना थी–त्याग और बलिदान। तभी जाकर हम आजाद हुए। यह उन्हीं के त्याग और बलिदान का परिणाम है कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ। उस त्याग और बलिदान को भूल कर के स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हित को छोड़ कर के जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, उनको परे रख कर के व्यक्तिगत उद्देश्य को हम आगे ला रहे हैं। हमें इसको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट्रीय उद्देश्य को आगे रखना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज कुछ लोग किसी भी बात को लेकर के आन्दोलन शुरू कर देते हैं और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, वे नुकसान करते समय यह नहीं सोचते कि सार्वजनिक सम्पत्ति भी हमारी अपनी सम्पत्ति है। कहीं पर सरकारी बसों को जलाया जाता है, कहीं पर रेल गाड़ियों में आग लगाई जाती है, कहीं रेल गाड़ियों को रोका जाता है और कहीं पर सरकारी सम्पत्ति को आग लगा दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे विचार में यह स्वतंत्रता का मखौल है और हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसका दुरूपयोग है, इसलिए पहले इस दुरूपयोग को रोकना पड़ेगा।

महोदय, मैं वोट बैंक की बात कर रहा था। जब चुनाव होते हैं और जब चुनावों का समय आता है तो देश के अन्दर कुछ ऐसे संघ बने हैं, वैसे तो वे अपने आपको राजनीति से अलग मानते हैं, लेकिन जब चुनाव का प्रचार होता है तो वे किसी दल विशेष के पक्ष में सक्रिय हो जाते हैं। वे कहीं भगवान की मूर्ति लगाते हैं, तो कहीं उसके नाम पर मीटिंग करते हैं और वे वोट की खातिर लोगों को बहकाते हैं। कहीं पर जाति के नाम पर नारे लगाते हैं और वोट मांगते हैं तो इस प्रथा को रोकना पड़ेगा। जो लोग जाति और साम्प्रदायिकता की भावना फैलाते हैं इसको रोकने के लिए हमको और आपको मिल बैठकर विचार करना पड़ेगा। यदि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र को कायम रखना है तो उन लोगों को इस तरह की बातों को छोड़ना पड़ेगा। तभी यह देश विकास की गति पर आगे चल सकता है।

महोदय, जब से लोग इस प्रकार की राजनीति करने लगे हैं तभी से देश की संसद के अन्दर या विधान सभाओं के अन्दर मौका परस्त गठबंधन होने लगे हैं। आज केन्द्र में 16-17 दलों की सरकार है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में कई दल हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती है, जिनके चुनाव मेनीफेस्टो अलग-अलग हैं, जिनकी नीतियां अलग-अलग हैं लेकिन कुर्सी के लिए वे दल एक हो जाते हैं और कुर्सी प्राप्त कर लेते हैं। यह भावना भी हमको त्यागनी पड़ेगी। पहले आजादी की लड़ाई में और राजनीति में वही लोग आते थे जो राजनीति को सेवा समझते थे, कर्त्तव्य समझते थे, राष्ट्र की सेवा समझते थे। उनके मन में त्याग की भावना हुआ करती थी लेकिन आज वह भावना नहीं है, आज तो कुर्सी प्राप्ति की भावना है। पहले लोग राजनीति में इसलिए आते थे क्योंकि राजनीति में सेवा भावना होती थी परन्तु अब तो लोग अपना धन बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। वे किन्हीं असूलों के आधार पर राजनीति में नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा।

लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तम्भ हैं। यदि इन तीनों स्तम्भों को देखा जाये तो ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों स्तम्भ अपने-अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। इसी कारण से आज हर कोई कह देता है कि आज हिन्दुस्तान में न्यायपालिका यह कर रही है, कार्यपालिका यह कर रही है और विधायिका यह कर रही है। विधायिका अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रही है इस बात को हर आदमी कह देता है और यह बात सही भी है। आज विधायिका के अन्दर असामाजिक तत्व और पूंजीपति आने लगे हैं। वे गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, वे सिर्फ गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं। सारे दलों के नेता बात करते हैं लेकिन देश से गरीबी पचास साल में भी नहीं मिट पाई है। हालांकि हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमने 50 साल के अन्दर कुछ नहीं किया है। हमने इन पचास सालों में कई एतिहासिक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं और उन उपलब्धियों के होते हुए भी हमारे सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं के कारण हम जितना विकास करना चाहते थे, उतना विकास हम नहीं कर पाये हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत वर्ष की जनसंख्या 33 करोड़ थी। अब यदि जनसंख्या को देखा जाये तो एक अरब के करीब जनसंख्या है।

इसका दोष किसको दें? जनसंख्या बढ़ने का दोष किसको दें। हमें अपने आपको दोष देना चाहिये। इसके दोषी हम हैं, ये राजनीतिक दल हैं इसके दोषी। एक बार कदम उठाया गया था जनसंख्या को कम करने के लिए। जो आधार इंदिरा जी ने दिया उस आधार पर ज्यादतियां हुई होंगी क्योंकि जब नया कानून लागू होता है तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां हुई भी होंगी लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य जो इस देश की जनसंख्या पर प्रतिबंध कर रहा था, एक स्टेप उठाया गया था लेकिन

हमारे राजनीति दलों ने उसे एक चुनावी नारा बना लिया। उससे इंदिरा जी हार तो गई लेकिन आज हमें उनकी याद आती है यही दल जनसंख्या की बात करते हैं, नसबन्दी की बात करते हैं बड़े शौक से कहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए विकास नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हम कहने को कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। जो इंदिरा जी ने स्टेप उठाया उसको इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया और उनको चुनाव में हरा दिया। और तो और इन लोगों ने उस मंत्रालय का नाम ही बदल दिया। आज हम लोग गरीबी का नारा देते हैं, देश में 50 फीसदी दलित गरीबी की रेखा के नीचे हैं। गरीबों के लिए केन्द्र सरकार से पैसा दिया जाता है, गरीबी मिटाने के लिए। आज हम लोग स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हैं। उन्होंने जो बात कही थी उसका इन राजनीति दलों ने मखौल उड़ाया था। राजीव गांधी ने कहा था कि केन्द्र से गरीब का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए हम एक रुपया भेजते हैं लेकिन उसमें से केवल 15 पैसे ही उनके पास पहुंचते हैं। 85 पैसे बीच में ही रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? हमारा कैसा शासन तंत्र है? वे कौन लोग हैं जो 85 पैसे बीच में ही खा जाते हैं? आज भ्रष्टाचार की हम लोग बात करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश का नागरिक भ्रष्ट नहीं है, इस देश का आदमी भ्रष्ट नहीं है। कुछ मनचले ऐसे लोग हैं जो इस तंत्र में बैठे हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, वे भ्रष्टाचार करते हैं। आज जब हमारे देश के प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो दुनिया के लोग समझते हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार है। उनके द्वारा ऐसी बात कहने से अखबारों के माध्यम से दुनिया में यह प्रचार होता है कि हिन्दुस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैं एक सैल बनाऊंगा जो मेरे अंडर में रहेगा। प्रधान मंत्री जी आप राजा के उस घुड़साल की तरह मत करिये।

महोदय, मुझे याद आती है एक राजा की कहानी। उसके यहां एक घुड़साल था।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: मीणा जी टाइम हो गया है। आप कहानी कहेंगे तो बहुत समय हो जायेगा।

**श्री मूलचन्द मीणा**: घुड़साल के अन्दर जो सेवा करता था, घोड़ों के खाने के लिए जो खाना-दाना आता था उसमें से वह अपना कुछ हिस्सा रख लेता था और बाकी घोड़ों को खिला देता था। जब राजा ने देखा कि घोड़े कमजोर हो रहे हैं तो निगरानी करने के लिए राजा ने एक इन्सपैक्टर की ड्यूटी लगा दी। इन्सपैक्टर की ड्यूटी लगाने के बाद उस ने भी कहा कि मेरा हिस्सा भी दे दीजिए, तो उसका भी उसमें हिस्सा हो गया तो घोड़ों के लिए खाना-दाना और कम पड़ गया तथा घोड़े और कमजोर हो गए। जब राजा ने देखा कि ये घोड़े और भी कमजोर हो रहे हैं तो उसने सोचा कि इनकी निगरानी करने के लिए एक और अधिकारी को लगा दिया जाये। इस पर राजा ने एक अधिकारी और रख दिया। अधिकारी ने उनसे कहा कि भाई मेरा भी हिस्सा दे दो। जब उसमें उसका भी हिस्सा हो गया तो घोड़े मरने शुरू हो गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो सेल बना रहे हैं, उसमें कैसे लोग होंगे? आज देश में सीबीआई की बात करते हैं कि उसमें बैठे हुए लोग कैसे हैं, देश के न्यायालयों में बैठे हुए लोग कैसे हैं? देश के न्यायालयों के अंदर बैठे हुए लोग सबसे करप्ट हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। कहना नहीं चाहिए लेकिन डेढ़ फुट ऊंची कुर्सी रहती है और उसकी बगल में उसका रीडर रहता है। वह क्या करता है। पेशी बदलने के लिए वह उसे पैसे लेते देखता रहता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज बड़े शहरों के अंदर जो इम्पार्टेंट कालोनियां हैं, चाहे वह दिल्ली के अंदर हो या दूसरे प्रांतों के बड़े बड़े शहरों में हो, उनके अंदर मकान किनके हैं? न्यायाधीशों के होंगे या आई० ए० एस० आफिसरों के होंगे। यह पैसा कहां से आ रहा है? कौन भ्रष्टाचार कर रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: मीणा जी कन्कलूड कीजिए। अब आप कितना बोलेंगे?

श्री मूल चन्द मीणा: महोदय मैं पांच मिनट और लूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: पांच मिनट और लेंगे? आपने तो सभी प्वाईंट कवर कर दिए। अब क्या कहेंगे नथिंग इज लेफ्ट।

**श्री मूल चन्द मीणा**: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश में अशिक्षा की समस्या बनी हुई है। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्राम विकास के क्षेत्र में, उद्योगों के विकास के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हुई हैं लेकिन जितना हम करना चाहते थे, जिस प्रकार से लोगों को सुविधायें देना चाहते थे, उतनी सुविधायें हम नहीं दे सके। महोदय, हिन्दुस्तान एक गांवों का देश है, यह खेती पर आधारित देश रहा है। यहां की 80 प्रतिशत जनता खेती में लगी हुई है। लेकिन खेती के ऊपर सरकार का उतना ध्यान नहीं गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर सरकार ने खेती पर विशेष ध्यान दिया था लेकिन उसके बाद जितना बजट खेती के लिए जाना चाहिए उतना नहीं गया। महोदय, जब तक इस देश के अंदर नदी और नालों के

ऊपर बड़ी बड़ी योजनायें और छोटी छोटी योजनायें बनाकर सिंचाई के साधन नहीं बढ़ायेंगे तब तक देश की खेती और किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश को आर्थिक मजबूती नहीं मिलने वाली है। इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, जो भी भविष्य के लिए विचार किया जाए, जो भी भविष्य के लिए बड़ी नई योजनायें लागू की जाएं उनमें किसानों और खेती का हित सर्वोपरि देखा जाए और खेती संबंधी योजनायें आने वाले 50 साल के लिए बनाई जाएं जिससे देश का विकास हो सके और भारत एक शक्तिशाली देश बन सके। यही मेरी भावना है। मैं यही आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा और इस देश का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में लिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** (गुजरात): महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बात करता हूं।

महोदय, सबसे पहले तो मैं हाउस के इस स्पेशल सेशन में जिन वीरों ने, जिन आजादी के परवानों ने अपनी शहीदी देकर देश को आजाद कराया उनमें से 2-3 नाम छूट गए हैं। इनमें एक हैं पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। कुछ लोग यहां देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ दूसरे लोग यह लड़ाई बाहर लड़ रहे थे। इनमें श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा और सरदार सिंह राणा के नाम प्रमुख हैं। ये लोग अंग्रेजों के साथ रहकर जो भारत के तेजस्वी छात्र थे उनको वहां बुलाकर और छात्रवृत्ति देकर उनको तैयार करके भारत में भेजते थे और वे आजादी की लड़ाई यहां लड़ते थे। इनमें वीर सावरकर भी थे। ऐसे सभी लोगों को नमन करके मैं अपनी बात आगे करना चाहता हूं।

मान्यवर, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के लिए इस सेशन में बहुत से लोगों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। खुले मन से सब ने पार्टी लाइन को छोड़कर जो कुछ अपने मन में था, दिल में था वह बात यहां कही है। जब यहां आजाद साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कवि, गजलकार और कार्टूनिस्ट आज हमें किस तरह से देख रहे हैं। राजनीति में जो लोग पड़े हैं उन पर कैसी कविताएं बनती हैं, कैसी गजलें बनती हैं, कैसे कार्टून बनते हैं। हमारी छवि कैसी है। हमने 50 सालों में कैसा संदेश लोगों के पास भेजा है? इस बात से हमें चिन्ता है। इस संबंध में मैं भी एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं कोट करके कहूंगा। आचार्य रजनीश ने कहा है:

**6.00 P.M.**

वह अपने सन्यासियों के साथ जब वार्तालाप कर रहे थे तब उसने पूछा तो वह जवाब दे रहे थे—

"I love the statement of H.G. Wells. Somebody asked him: what do you think about democracy? He said, "It is a good idea." The man said, "A good idea? "He said, Yes, it is yet to happen. It has not happened yet. In the name of democracy.something else is going on. While I was in India, I used to think that perhaps in America something of democracy is happening. Coming to America has been disappointing. There is no democracy either in America or anywhere else.

महोदय, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि क्या संदेश गया है 50 सालों में। ऐसे महापुरुष जब अपने डिसाइपल्ज के सामने ऐसी बात कर रहे हैं वह जा कर दूसरों को कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए उनके मन में ऐसी छवि बन गई है। जब मैं सोचता हूं कि 100 साल जब हो जाएंगे, आज हम सब लोगों ने दिल खोल कर बात की, भ्रष्टाचार की बात हुई, अपराधीकरण की बात हुई, सत्तावाद की बात हुई, बहुत सी बातें हुई, दिल खोल कर कहा है कि इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी यह कर रही है, वह यह कर रहा है, राजकारणीय लोग जेलों के चक्कर काट रहे हैं, जब 100 साल के बाद इस सदन में लोग बैठेंगे और पढ़ेंगे। हमारे जो पुरखे, फाऊंडिंग फादर कांस्टीट्यूट असेम्बली के थे, उनकी डिबेट जा कर हम पढ़ते हैं रेफ्रेंस के लिए। तब 100 साल बाद वह भी पढ़ेंगे कि 50 साल पहले क्या हुआ था। वह पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस संसद् में ऐसे लोग, ऐसी ऐसी बातें कर के गये हैं। मैं मानता हूं कि ईश्वर की कृपा से शायद हम लोग तय करेंगे कि आज एक बात जो हो गई, हम सब पुरानी बातें छोड़ देंगे। देश में कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, कमियां भी बहुत कुछ हैं लेकिन आज से हम तय कर लेंगे कि जो कुछ हुआ सो हुआ। अब हम कुछ नया सोचें, नये रास्ते पर चलें, नये रास्ते पर इस देश के लोगों को ले जाएं, इस देश को आबाद बनाएं तो 100 साल के बाद लोग सोचेंगे कि नहीं हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सही रास्ता सोचा था। अगर यह नहीं हुआ तो क्या स्थिति पैदा होगी, उस स्थिति पर विचार करने से मैं भी हिल जाता हूं। क्या स्थिति होगी, हमें क्या करना है, क्या संदेश देना है 100 साल के बाद, हमें यह आज तय करना है।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि राजकर्ता ने बहुत कुछ किया। आज सत्ता के साथ कोई आदर्श भी नहीं है, कोई कर्तव्य भी नहीं है। सत्ता पक्ष समग्र देश के लिए चिन्तन करे सबके साथ बैठकर के, हम को किस तरफ देश को ले जाना है। आज परिस्थिति यह हुई है कि अलगाववाद, किसान अलग, मजदूर अलग, ब्यूरोक्रेट

अलग, विद्यार्थी अलग, शहर के लोग गांव के खिलाफ, गांव के लोग शहर के खिलाफ, कहां तक हम गये हैं। क्या परिस्थिति हुई है इस देश में यह हमको अभी सोचना है। अभी मीणा जी बोल रहे थे, वह अभी हैं नहीं, हनुमनतप्पा जी हैं, जिस बात पर हमारा मतभेद है, मैं उसको बाजू रख रहा हूं। मान लीजिए बाबरी मस्जिद है या कोई और बात है, मैं इन बातों को बाजू रख रहा हूं लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है जैसे कावेरी का पानी, नर्मदा का पानी, यह तो राष्ट्रीय समस्या है। जिस नर्मदा योजना की नींव पंडित जी ने डाली थी वह नर्मदा योजना आज दिन तक नहीं बनी है। करोड़ों करोड़, मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में चला गया और गुजरात के पिछड़े इलाके पानी के लिए तरस रहे हैं आज भी। क्या समस्या है? आदिवासियों को जो कुछ देना है हम देने के लिए तैयार हैं उसका रास्ता भी है बैठकर सोचें तो। लेकिन मध्य प्रदेश वोट लेने के लिए कुछ और सोचे, महाराष्ट्र कुछ और सोचे, राजस्थान कुछ और सोचे—इसी वजह से यह योजना नहीं बनी। महोदय, इतने सालों में, 40 सालों में कई अकाल आ गए हमारे गुजरात में कई जिलों में, अनाज की स्केरिसिटी की परिस्थिति आ गयी। लोगों को काम दिया। करोड़ों रुपये खर्च हो गए। जो यह डैम बन जाता तो ये करोड़ों रुपया जो आदिवासी मांग रहे हैं हम उनको दे सकते थे। आज भी दे सकते हैं। आज भी यह योजना सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों तामिलनाडु और कर्णाटक कावेरी के लिए लड़ रहे हैं? क्या फायदा? किसी प्रदेश को तो फायदा होने वाला ही है। मान लीजिए किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला लेकिन मिलेगा देश को, भारतवर्ष को मिलेगा। तामिलनाडु के लोग, तामिलनाडु में जो रहते हैं, गुजरात में जो रहते हैं, महाराष्ट्र में जो रहते हैं सब हिन्दुस्तानी हैं। यह सोच अगर हमारी इस चर्चा में एक होगी, हम एक हो जाएंगे तो मैं मानता हूं कि इसका कोई सार्थक परिणाम जरूर निकलेगा।

दूसरी बात, हमारे पास अब तो कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिसकी कोई समस्या न हो। देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसकी खुद की कोई समस्या न हो। ऐसे प्रदेश से आना चाहिये जहां ऐसा कोई हो। हम बैठकर सोचें। मान लीजिए कर्णाटक से कोई रेल मंत्री आ गया तो वहां रेल पटरी बिछा दी। बिहार से आ गया तो वहां बिछा दी। तो दूसरे प्रदेश में आपके लिए असंतोष का जन्म होता है। यह मत करिए। जो वहां का मंत्री होगा उसके लिए ऐसा कोई निर्णय साथ में बैठकर करें कि आपके वहां तो लगेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। यह सोचने की बात है। यह एक डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे नेतृत्व की जरूरत है कि जिसकी खुद की कोई समस्या नहीं हो।

बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हमारे नेतागण कोर्ट के चक्कर में हैं। क्या मेसेज जा रहा है? कोई अच्छे मेसेज हमने नहीं भेजे आज दिन तक। खराब मेसेज गया है। लोग हमारा मजाक कर रहे हैं। जब हम वोट लेने जाते हैं तब कहते हैं सब एक ही हो। कम्युनिस्ट मित्र कुछ कह रहे थे। ईमानदारी पूर्वक मैं कहता हूं। वे कह रहे थे कि हमारे यहां 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत वोटिंग होती है जब इलेक्शन होते हैं। एक मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि यह गलत बात है। मैं टीका नहीं कर रहा हूं। मैं हृदय से कह रहा हूं कि वहां ठप्पा लगता है ...(**व्यवधान**) सुनिए। ईमानदारी पूर्वक, मैं हृदय से कह रहा हूं कि यहां गुजरात में होता है तो वहां भी वही है ...(**व्यवधान**)

**श्री जीवन राय** (पश्चिमी बंगाल): आप वह करते हैं। आपके मुल्क में ऐसा करते हैं।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** सुनिए, देखिए। डिबेट मत करिए। मैंने आपको रोका नहीं था उस समय। मैंने आपको टोका नहीं था। यह रोक-टोक की बात नहीं है। ईमानदारी पूर्वक मैं यह बात कर रहा हूं। वरना 50–55 प्रतिशत से कहीं पर ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। कहीं होती होगी जब कोई इश्यू खड़ा हो जाता है या कहीं कोई कार्यकर्ता लग गए, तब होता है। लेकिन हर वक्त यह मुमकिन नहीं है। इसी वजह से ऐसा मत करिए।

हम एक हो जाएं। देश के सब प्रदेश अच्छे प्रदेश हैं। देश के सब लोग अच्छे लोग हैं। नार्थ ईस्ट के भी जो आदिवासी लोग हैं, गुजरात के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग है सबका हमको विकास करना है और सबको साथ में बैठाकर करना है। इतना ही मुझे कहना है। आपने मुझे इशारा कर दिया है इसलिए मैं बैठ जाता हूं। बहुत धन्यवाद महोदय।

**श्री दारा सिंह चौहान** (उत्तर प्रदेश): महोदय, सदन में कई दिन से कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है आज संसदीय लोकतंत्र पर सुबह से हमारे तमाम सम्मानीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आज जो संसदीय लोकतंत्र है इसे मजबूत करने की बात जो चल रही है इस सदन के माध्यम से तो किस तरीके से लोग चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो? आज जो सभी साथियों ने कहा है अधिकांश साथियों ने इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था रही है, जिस सामाजिक विषमताओं के नाते आज भी इस देश के तमाम रहने वाले लोग जो बहुत बड़ी तादाद में इस देश में रहते हैं आज उनको ऊपर उठाने की बात चल रही है। हम चाहते हैं कि

जिस प्रकार से अगर किसी मकान को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं इस देश के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना तो निश्चित रूप से समाज का जो निचला हिस्सा है, जो इस समाज का सब से निचला हिस्सा है, जब तक उसको हम मजबूत नहीं कर पायेंगे तब तक हम देश के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पायेंगे। इस नाते जो आज इस हाउस में चर्चा हो रही है मैं समझता हूं कि यह केवल सदन तक सीमित न रह करके यह आम जनता में संदेश को ले जाना चाहिए क्योंकि जब तक इस बात को हम हाउस से बाहर नहीं ले जायेंगे, समाज के अंदर उसके लिए चेतना नहीं पैदा कर पायेंगे तब तक हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पायेंगे। आज यह कारण क्या है कि इस लोकतंत्र की बात कही जा रही है, उसकी दुहाई दी जा रही है? आज आजादी के 50 साल बाद हमने सोचा कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में ईमानदारी चाहिए। डा. बी. आर. अंबेडकर साहब ने जिस संविधान का दस्तावेज़ हमें सौंप करके इस देश में रहने वाले इंसान को इंसानियत की बहाली का संदेश दिया था क्या उस आधार पर आज हम इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? हमें सोचना होगा कि आजादी के पचास साल हो गए लेकिन देश में वह पिछड़ा समाज, दलित समाज, कामगार, मजदूर आज किस हालात में इस देश में? जब तक उसको हम मजबूत नहीं करेंगे उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा नहीं कर पायेंगे तब तक इस आजादी का कोई मकसद नहीं और तब तक हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पायेंगे। मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान की धारा 340 में इस पिछड़े हुए समाज के लिए जो कमीशन गठन करने की बात कही थी, सन् 1955 में जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी तो कारण क्या था? अगर हमारे अंदर ईमानदारी थी इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की तो क्यों कालेलकर की रिपोर्ट को कूड़ेखाने में डाल दिया गया? उसके बाद जब 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको दशकों तक इस पार्लियामेंट की फाइलों में दबा करके रखा गया। इसका क्या मतलब है? क्या हम चाहते हैं ईमानदारी से उस समाज को आगे ले जाना जो सदियों से गरीबी में फड़फड़ा रहा है? जिसको आज भी पचास साल बाद देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का कभी मौका नहीं मिला? आज किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग इस देश के अंदर, चंद रहने वाले लोग जिनके हाथ में इस देश की सारी संपदा है, देश के बड़े-बड़े मालिकाना हक हैं, क्या उनकी बदौलत हम देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं? अगर इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो निश्चित रूप से ईमानदारी से सभी को अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना होगा कि आज भी देश की बड़ी-बड़ी नौकरियों में किस का कब्जा है? आज लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, मगर कौन सी आजादी की बात लोग कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुर्सी प्यारी नहीं होती और दूसरे कुछ और कह रहे हैं। मगर आज किस स्वतंत्रता की बात कही जा रही है? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक देश में इस देश का सब से निचला समाज जिसे कि सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, सामाजिक गैर-बराबरी का शिकार बनाया गया है, आर्थिक गैर-बराबरी का शिकार बनाया गया है, उस समाज की सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को खत्म कर के राष्ट्र की मुख्य-धारा से जोड़कर इस देश की राजनीति में मजबूत भागीदारी देकर आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे तब तक इस देश के लोकतंत्र को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। जब कभी इस देश में ऐसे समाज से जिन को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में अगर उन के अंदर नेतृत्व पैदा होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों द्वारा जिन्होंने आजादी के 50 सालों तक इस देश के सारे कल-कारखानों में ही नहीं देश के सारे क्षेत्रों में कब्जा किया है, उन को किसी-न-किसी रूप से बदनाम कर के किसी-न-किसी साजिश का शिकार बनाकर उन के नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज किस आजादी की बात हम कर रहे हैं। महोदय, मुझे आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर पिछले दिनों देश की राजधानी में विजय चौक पर चकाचौंध के बीच 14-15 अगस्त की आधी रात को मनाए गए समारोह की याद है, लेकिन क्या हम ने आज भी उस गरीब आदमी के विषय में सोचा है जोकि सामाजिक विषमताओं का शिकार रहा है, आर्थिक गैर-बराबरी का शिकार रहा है, जिस की झोंपड़ी में अंधेरा है। क्या उस के सामाजिक स्तर को उठाने के बारे में सोचा है? उस दिन हुए समारोह में हमारे तमाम सम्मानित सदस्यगण थे, वहां सभ्यता के किस रूप में आजादी की 50वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा था? मैं कहता हूं कि हमारे लिए यही सब से अच्छा मौका है अगर हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से हमें ऐसे समाज के प्रति सोचना होगा। मान्यवर, मुझे खुशी है कि ऐसे लोग जिन्हें आज तक पार्लियामेंट में आने से वंचित रखा गया था, यह संविधान डा. बी. आर. अम्बेडकर

साहब जैसे विद्वान लोग की देन है कि हमारे जैसे लोग भी आज देश की सर्वोच्च संसद में आकर बैठे हैं। अगर वास्तव में आप के दिल में ऐसे समाज के प्रति पीड़ा है और देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो इस सामाजिक गैर-बराबरी, आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करना होगा। लेकिन मान्यवर, जब कभी इस देश में इस बहुजन समाज जिसे कहा जाता है और जोकि बहुसंख्यक समाज है, उन के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा कर के राजनीतिक ताकत देकर उन के सम्मान को ऊंचा उठाने का काम किया जाता है तो लोगों को तकलीफ होती है। मान्यवर, आप आज उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। इतिहास में पहली बार जब कोई दलित महिला देश के सब से बड़े प्रदेश की मुख्य मंत्री है तो लोगों को तकलीफ होती है। आज जब कि वे समाज के ऐसे तमाम लोग जोकि कभी अपने गांव के बाहर नहीं निकल पाते थे, ऐसे समाज के लोगों को जब प्रदेश की सरकार में लेकर वहां की मुख्य मंत्री चल रही है तो लोगों को तकलीफ होती है। मान्यवर, सही मायने में हमारे अंदर ऐसे समाज के प्रति पीड़ा होनी चाहिए जिन को कि कभी इंसाफ नहीं मिल पाया। अगर आप के दिल में इस मजबूत लोकतंत्र के लिए सोच है तो जब तक ईमानदारी से देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में ऐसे तमाम समाज को जिन को कि आज तक वंचित रखा गया है, अगर उनमें हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, उनको हिस्सेदारी देकर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक मजबूत लोकतंत्र की कल्पना करना बेकार है। आज आप देख लीजिए, केन्द्र की बड़ी-बड़ी नौकरियों पर किसका कब्जा है? कितने परसेंट वह लोग हैं? आज भी राजनीति में, जो 52 फीसदी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी कितनी है? मात्र 10 फीसदी। बाबा साहेब की देन है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को संविधान में आरक्षण मिला था। उनकी राजनीति में तो हिस्सेदारी है, अकलियत के लोगों की भी राजनीति में तो भागीदारी है, लेकिन देश की नौकरियों में उनका कितना हिस्सा है?

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि देश की राजनीति में, देश के बड़े-बड़े कल-कारखानों में, बड़ी बड़ी नौकरियों में जहां कुछ लोगों का कब्जा है, जब तक उसका विकेन्द्रीकरण करके इस देश में रहने वाले वंचित समाज के हाथ में उस ताकत को हम नहीं दे पाएंगे तब तक सही मायने में इस देश के लोकतंत्र को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। इस सदन के माध्यम से, जो पचास साल का अंतराल रहा है हमारी स्वतंत्रता का, इस अवसर पर हम जो संदेश दे रहे हैं, हो सकता है वह पूरी ईमानदारी से उस समाज को न पहुंच पाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोगों के दिलों में पीड़ा है, बहुत से सम्मानित सदस्य जो यहां बैठे है उनके दिलों में पीड़ा है इस समाज के प्रति, ऐसे लोग पूरे देश के अंदर घूम कर, उनके अंदर राजनैतिक चेतना पैदा कर, उनके सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाकर इस देश में मजबूत लोकतंत्र की कल्पना करनी चाहिए। इसी नाते जिस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का, मैं मैम्बर हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहब 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक महीने का प्रोग्राम बनाकर पूरे देश में, हिन्दुस्तान के चारों कोनों में घूमकर, जो आजादी का मतलब नहीं समझ पाए हैं कि आजादी का मतलब क्या होता है उनको समझाने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुए एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज कुछ लोग स्वतंत्रता की बात कह रहे थे कि इन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दीं। इस देश में तमाम ऐसे लोग हुए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया और देश के इतिहास में उनका नाम भी नहीं है। देश का इतिहास बनाने वाले कौन लोग थे? सब जानते है। जब हम बात करते है सामाजिक क्रांतिकारियों की, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी तो लोगों को कष्ट होता है। जब ऐसे लोग, जो समाज में सही बात कहकर इस समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके आधार पर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करके हिन्दुस्तान को मजबूत करके विश्व के सामने खड़ा करना चाहते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में पिछड़े, कुचले लोग, दलित लोग, जिनका अपना हिस्सा है, जिनकी हिस्सेदारी है इस मुल्क में, उनकी आबादी के हिसाब से देश की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, देश की नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी मजबूत नहीं की जाएगी, तब तक हम मजबूत लोकतंत्र इस देश में नहीं बना पाएंगे। जब देश का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, राजनीति में, बड़ी-बड़ी नौकरियों में, बड़े-बड़े कल-कारखानों में उनकी हिस्सेदारी होगी तो न्यायपालिका भी ईमानदार हो जाएगी, न्यायपालिका भी सही हो जाएगी। आप देख लीजिए, केन्द्रीय नौकरियों में आज उनका क्या खाता है? कितने लोग उसमें बैठे हुए हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। एक आखिरी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो ईमानदारी से, देश में जो गैर-बराबरी के आधार पर समाज को बांट कर उनको गुलाम बनाने का प्रयास किया गया है, उस

सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी को खतम करके उन्हें देश की मुख्यधारा में लाया जाए, राजनीति में, दूसरी जगहों में उन्हें हिस्सेदारी दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।

**श्री जागीर सिंह "दर्द"** (पंजाब): जनाब वाइस चेयरमैन साहब, मैं आजादी के दौरान हुए शहीदों और जिन्होंने कुर्बानियां दीं, उनको श्रद्धा के फूल पेश करता हूं नेता जी का जन्मदिन मनाया गया, बड़ी खुशी की बात है, मगर बहुत देर बाद मनाया गया। मैंने जो पढ़ा है, उसके मुताबिक आजाद हिन्द फौज की जिसने फाउंडेशन रखी थी, वह जनरल मोहन सिंह पंजाबी था, उनका कभी जिक्र नहीं आया ये अफसोस और दुख की बात है हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर बहस कर रहे हैं। सुकरात, ग्रीक का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था उसने कहा कि 51 आदमी राज करें। उसका शगिर्द प्लेटो था, उसने कहा कि मैं अपने उस्ताद की इस बात से सहमत हूं कि 51 आदमियों का राज हो, मगर वे आदमी कौन हों। उसने कहा कि वे बहुत मेहनती हों, बहुत ऐजुकेटिड हों, लोगों से प्यार रखने वाले हों और आनेस्ट हों। फिर वह खुद ही कहता है कि ये आदमी आएंगे कैसे? उसने कहा कि इसका फैसला भी दुनिया करे, लोग करें। हम आज तक हजारों साल पहले कही गई एक फिलॉस्फर की बात का जवाब नहीं दे सके। उसके बाद राधाकृष्णन जी आए, हमारे प्रेजीडेंट थे, उनसे जब डेमोक्रसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक आदमी जब इलेक्ट हो जाता है तो वह अपने मन की बात नहीं कर सकता डेमोक्रेसी में, वह अपने हल्के की बात नहीं कर सकता, वह अपनी पार्टी के प्रोग्राम की बात नहीं करता। उसकी डयूटी सिर्फ यह है कि अपनी पार्टी की क्लिक को केरी आउट करना पड़ता है, अगर वह नहीं करता तो डिसिप्लिन का डंडा लेकर उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसी बात में क्या डेमोक्रेसी पनपेगी? उन्होंने कहा मुझे शक है। वह डेमोक्रेसी की हर बात कर रहा है लेकिन इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है। स्यालिन ने कहा, अमरीका का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी लुई फिशर जब उनके पास गया, मुलाकात हो रही थी, उसने कहा कि आपका सिस्टम आफ गवर्नमेंट कैसा है? स्यालिन ने कहा कि डेमोक्रेटिक विद डिक्टेटरशिप उसने कहा डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप कैसे? उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी फार दि फ्रेंड, डिक्टेटरशिप फार दि ऐनीमी वह भी डेमोक्रसी की बात करता है। दूसरे जिस वक्त अन्जान और जिद्दी इंसान राज-पाठ में आ जाएं तो स्टेट में अमन नहीं हो सकता, न ही प्रास्पेरिटी आ सकती है, न ही लोग संतुष्ट हो सकते हैं ये चीजें है जो डिक्टेटरशिप को जन्म देती है। इसके बाद इब्राहिम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी आफ दि पीपल, फार दि पीपल, बाई दि पीपल, बड़ी अच्छी बात थी। पर हमने इसका मतलब उल्टा कर लिया, स्पेलिंग चेंज कर लिए आफ दि पीपल में ओ डबल एफ लगा दिया। बाई दि पीपल में बीयूवाई लगा दिया और फॉर की जगह एफएआर लगा दिया। मैं समझता हूं कि यह बदकिस्मती की निशानी है। इसलिए जो आने वाले बुद्धिजीवी है, उन्हें इन चीजों पर विचार करना चाहिए।

दूसरे धर्म और राजनीति कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। धर्म परमात्मा को मिलाने का रास्ता है, नेक बनने का रास्ता है और राजनीति ऐसी है कि 51 आदमी किसी तरह से इकट्ठे कर लो, वह इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे आग एक देवता है और पानी भी एक देवता है, अगर इन दोनों देवताओं को इकट्ठा कर दिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी क्योंकि संसारिक लाइफ इन दोनों के ईद-गिर्द घूमती है। इसी तरह जब राजनीति और धर्म इकट्ठे चलते हैं और जब राजनीति यह समझे कि धर्म मुझे मार देगा तो फिर जो राजनीति है वह रिएक्ट करती है और जब रिएक्ट करती है और उसके पास बहुत साधन होते हैं, धर्म के पास कुछ नहीं, तो फिर धर्म की बदनामी होती है। मैं समझता हूं कि धर्म और राजनीति इकट्ठे चल ही नहीं सकते, ये अलग-अलग होने चाहिए।

दूसरे हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को जो खतरा है, वह डिक्टेटरशिप से नहीं है, वह एक तो उनसे है जो बुद्धिजीवी हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, सिर्फ बातें करते हैं; अपने हित के लिए उनकी नीयत साफ नहीं है, उस धर्म से इसको ज्यादा खतरा है। डेमोक्रेसी कमजोर हुई है और होती जा रही है। पंडित नेहरू के जमाने में 48 परसेंट वोट पोल हुए थे और राजीव गांधी के वक्त में 41 परसेंट हुए थे और लास्ट टाइम 30 परसेंट हुए हैं। इसलिए डेमोक्रेसी अपना चार्म लूज करती जा रही है।

**(माननीय उपसभापति पीठासीन हुईं)**: दूसरी चिंता की बात आज यह है कि नेशनल लीडरशिप धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। यह हिंदुओं का लीडर है, यह मुसलमानों का लीडर है, यह सिक्खों का लीडर है, यह ब्राह्मणों का लीडर है इस तरह चलता रहा तो इस मुल्क का डिसइंटिग्रेशन होने से कोई रोक नहीं सकेगा क्योंकि नेशनेलिटी की भावना खत्म हो रही है।

महोदया, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में टैररिज्म आया। हमारे सिर पर 8500 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। हम पंजाब के मेंबर्स पहले हाउस में भी बोलते रहे और प्राईम-मिनिस्टर से भी मिलते रहे कि इसको माफ करो। हमारा कसूर कोई नहीं था। The problem was created by the Centre.

हमने कहा कि पंजाब में राज तुम्हारा, हरियाणा में राज तुम्हारा, सेंटर में राज तुम्हारा तो इस प्रॉब्लम को हल क्यों नहीं करते? वह कर्ज़ा माफ होना चाहिए। अगर आप माफ नहीं करना चाहते तो बड़ी सीधी सी बात है, जब बंगला देश के रिफ्यूजी हमारे यहां आए थे तो आपने सारे मुल्क पर टैक्स लगाया था ताकि उनको फीड किया जा सके, उसी तरह पंजाब के कर्ज़े को माफ करने के लिए भी आप सारे मुल्क पर टैक्स लगाओं ताकि हमारी इकांनमी अपने पांव पर खड़ी हो सके।

महोदया, हम पी॰एल॰ 480 के तहत अमरीका से अनाज मंगाते थे। उसमें बदनामी होती थी। बाद में हरियाणा और पंजाब ने आपको इतना अनाज दिया कि आपके भंडार भर गए। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सी॰आई॰ए॰ की एक ब्रांच है सीक्रेट ऑपरेशन ब्रांच। महोदया, पी.एल. 480 की एक शर्त यह थी कि जो रुपया उनको मिलता था उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट होता था और अमरीकन लोग उसको अपनी मर्जी से खर्च कर सकते थे। वे यह रुपया उस सीक्रेट ब्रांच को देते थे ताकि जो इंडियन ओशन के मुल्क हैं, जो अमरीका को फौलो नहीं करते, उनके यहां उस पैसे की मदद से गड़बड़ कराई जा सके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। इसी तरह रशिया को भी तोड़ा गया। इसलिए हिन्दुस्तान को इन चीजों की तरफ से फिक्रमंद होना पड़ेगा।

**उपसभापति:** जागीर सिंह "दर्द" जी, आप तो पंजाबी में बोल रहे थे, अब हिंदी में बोल रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य:** मैडम, ये हिंदुस्तानी में बोल रहे हैं।

**श्री जागीर सिंह "दर्द":** मैडम, अब मैं एजुकेशन की बात करना चाहता हूं। मैडम, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बोसीदा और पुराना है। पब्लिक स्कूल आज क्या पैदा कर रहे हैं? वे आज एक new type of man, race of rulers, breed of viceroys पैदा कर रहे हैं। इन स्कूलों में गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। जहां एजुकेशन में इतनी डिस्पैरिटी हो, वहां इकनॉमिक, पोलिटिकल और सोशल डिस्पैरिटी को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो इन स्कूलों को बैन करो या फिर गरीबों के लिए इनमें सीटें रिज़र्व करो।

महोदया, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग पॉवर्टी लाईन के नीचे रहते हैं वे ज्यादातर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राईब्ज के लोग हैं। उनके लिए कुछ इस तरह का रिज़र्वेशन ऐक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए कि वह सारे देश में एक-समान रूप से लागू हो सके। इन वर्गों का सोशल बॉयकाट भी होता है सभी मुल्कों में होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह 1922 में बर्मा में एक ऐक्ट इस संबंध में बना था, उसी तरह का एक ऐक्ट यहां भी बनना चाहिए। गरीब तो यही कहते हैं कि—

"महफिल उनकी, साकी उनका,

आंखें अपनी, बाकी उनका"।

महोदया, यहां पापुलेशन की समस्या का जिक्र भी मैं करना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि–"Produce everything in India but children."

उसके बाद डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि—"जिस रास्ते से हम आए हैं, दूसरे को आने के लिए पाबंदी लगाने के लिए किसने हक दिया"? तो इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में ही कंट्राडिक्शन था, इसलिए पापुलेशन बढ़ती गई। आज हिंदुस्तान को जितना बड़ा खतरा बढ़ रही आबादी से है, उतना किसी चीज से नहीं है।

महोदया, पंजाब की, असम की, कश्मीर की प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब कोई नेशनल गवर्नमेंट आए। यदि कोई नेशनल गवर्नमेंट आएगी तो वह पंजाब का मसला, कश्मीर का मसला, ईस्टर्न स्टेट्स का मसला, ब्लैक मनी का मसला, वॉटर-डिस्प्यूट्स आदि को हल करेगी। उसके बाद एक इलेक्शन पंजाब में कराया जाए, तब वहां जो गवर्नमेंट आए उसका स्लोगन यह होना चाहिए- "हर चेहरे पर लाली, हर घर में खुशहाली, हर खेत में हरियाली" धन्यवाद।

**उपसभापति:** आपका भी टाईम थोड़ा कम हो रह गया है।....(व्यवधान) आपका नाम तो है, सब के नाम हैं, समय की समस्या है।....(व्यवधान)

मंडे भी तो बैठेंगे न, मंडे क्या करेंगे हम लोग, क्या खाली रहेंगे? अभी जितने आज हो सकते हैं वह कर लेते हैं फिर मंडे को जो बच जाएंगे वह उस दिन हो जाएंगे। बस, अभी एक-दो लोग बोलकर छुट्टी करेंगे। आज तो साढ़े छ: तक बैठने वाले थे, छ: पैंतीस हो गए हैं।

**श्री शिवचरण सिंह:** इनके बाद छुट्टी करेंगे?

**उपसभापति:** उनके बाद देखते हैं अगर एक किसी को एडजस्ट करलें, फिर मंडे बैठ जाएंगे। आपका नाम तो मेरे पास लिखा है। टाईम एक्जॉस्ट हो गया बल्कि थोड़ा ज्यादा ही दे दिया, कोई बात नहीं है....(व्यवधान) नहीं-नहीं, महिला के खिलाफ आप लोग हमेशा से रहे हैं, मुझे पता है। इतनी कम महिला बोल रही है और उसमें भी

आपको ऐतराज है। 33 परसेंट हो जाता तो फिर आप देखिए कि कितनी महिलाएं बोलती इस हाऊस में। बोलिए।

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Orissa): Madam Deputy Chairperson, we are having discussion in this Special Session on the occasion of the golden jubilee of our independence to take stock of our achievements, to introspect our inadequacies and to set for ourselves, that is, for both men and women—and I emphasise 'women' here — an agenda for the future. After independence, we got our outstanding Constitution which aims at our national ethos and which has features of great democracies of the world. The democratic policy is the product of our Constitution. The Constitution is the vehicle of social transformation, the process that is being sustained and facilitated by our Parliament. The Parliament and the Constitution can be said to derive sustenance from the people. Achievement of socio-economic and political democracy has been the pertinent concern of our Constitution and our Constitution recognises liberty, equality and fraternity as the principles of our life. Madam, the Constitution enumerates various Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy and also the Fundamental Duties. The goal of socio-economic democracy is also enshrined in the Constitution. The success of democracy depends on the Parliament, the political parties and the people. We have the multi-party system here, but I must say that we should have a stable political system. Otherwise, a situation may arise as it arose in the past when our gold reserve was sold out and that put our country into great economic instability.

Madam, there are three organs, the three pillars, of our deomocracy—the legislature, the executive and the judiciary. There must be close coordination between these organs of the Government. Elections are the barometer of democracy and political parties. Periodical elections accord ligitimacy to the political system. With this, the people get the opportunity to give their judgment on the performance of the representatives and the Government in power and to generate new socio-economic and political attitudes which can determine the future course of the nation. Much has been said about criminalisation of politics. We know that there are 40 MPs, 700 MLAs out of 4027 MLAs who have criminal background. There are about 5000 such candidates contesting elections. We should really think deeply and seriously about criminalisation of politics. Some of the important issues inviting deep thinking are still to be addressed. Such issues are like the size of constituency *vis-a-vis* electorates; minimising the number of contestants; state funding, fixing a realistic amount which the candidates can spend in elections; use of money and muscle power, specially by which the women suffer the most; checking the menace of criminalisation of political parties; barring exploitation of caste, religion and regional sentiments and we should evolve some code of conduct for political parties. These are the important issues which should be considered seriously.

Madam, the democratic process and self-governance must percolate down to the lowest rung of political democracy. With the passage of the 73rd and the 74th Constitutional Amendments, we have got every hope of strengthening the democratic process at the grassroot level. We have brought Panchayati Raj. We have had Panchayat elections where 1/3rd seats have been reserved for the women. Still there are a large number of subjects like agriculture, health, education, rural industries, urban development which were supposed to be vested with the 3-tier *Panchayats* but has not been done. There is still some resistence in this process.

Madam, when we speak of the people who are the backbone of our democracy, we cannot ignore women. Though women are now able to participate in the local self-governance, we are very sorry to say that we don't have such encouraging number of women in Parliament and State Legislatures. Though the Government wanted to introduce and pass the Women's Reservation Bill, still we have not succeeded in passing the same. Women are lagging behind not only in political partcipation but also in various other fields. A majority of women continue to be illiterate. According to the 1991 Census, 61 per cent women are still illiterate.

The women have lower health and nutritional status than men. In the family, girls are discriminated against in education, health and nutrition. The sex ratio in India which was 946 in 1951 has declined to 927 in 1991.

Madam, our Constitution provides several safeguards to protect the women against discrimination and violence. But what we see at present is, we have cases of female infanticide, sale of girls in the guise of marriage, discrimination against girls in the homes of their parents, oppression of women in the Marital homes. Death rates of girls and young women continue to be higher than that of boys and young men. Every year thousands of women in India are subjected to molestation, rape, kidnapping, abduction, dowry related cruelty and deaths. Madam, we have made our efforts to make women advance in various aspects. But if we take the employement situation there is the marginal access to gainful employment and decision making, we note that women make 1/3rd of the labour force and their work is invisible and pushed into marginal occupation. I must tell you about the work participation. If we take the main work force, the total number is 28,93,00,000. Out of this male work force constitutes 22,16,00,000 and the number of female work force constitutes 6,42,00,000. If we take marginal workers, the total number is 2,81,00,000. The male workers here comes to 27,00,000 only whereas female number is 2,54,00,000. They have been pushed to marginals with regard to work participation. Madam, we know the accepted levels of poverty and the gradual faminisation of poverty. As such, poverty is daunting all the challenges. We have got poverty alleviation programmes and we have fixed targets also. Forty per cent of women beneficiaries must be there in various poverty alleviation programmes. We know that 35% are women headed households but we do not have any statistics or data about women headed households. How, then, the programmes can be successful? They may be on paper because we know that there is no data. Then, how can we say that actually it reaches the targeted group? Madam, agriculture is the largest sector of India's economy. It contributes to 30% of the GNP and accounts for 60% employment. The rural population has now dropped to 34% in 1991 from 80% in 1951. The overall farm size (land holding) has also fallen from 2.1 ha. in 1951 to 1.8 ha. in 1951 due to a steady increase in population. Much has been said about population and I am not going to say about it. But, whatever achievements we have got, it has been shared by the majority of the population and that is why our achievements are not seen. Madam, about the women work force, 34% are cultivators, 43% are labourers and some are engaged in forestry, fishery, etc. Of the marginal workers, 48% are agricultural labourers. Agriculture continues to be a major field for women's employment. Here, Madam, I would like to point out that statistics do not provide a complete picture of the work done by women, that is of hours of seasonal, part-time unpaid labour, apart from the household work. Paradoxically women's contribution to agriculture as well as food processing and marketing, does not enable them to be included as beneficiaries in majority of the sponsored programmes in this sector. If you take the opening of the economy, and what the women have got now, women definitely stand very miserably in this sector. This is due to gender bias. This is due to gender blindness. Access to resources such as land, credit, appropriate technology and training has become difficult for them. Madam, the incorporation of gender issues into the deep development agenda needs to recognize women's participation in farm labour at various levels. As farmers, producers of crops, protectors of livestock and users of technology, they need to be seen as active agents in making, processing, marketing, storage of food and in innovative areas such as sericulture. Madam, there must be a sustainability of development there must be an equitability of development. To achieve this sustainability and equitability, it is essential, agriculture should be made more women centered. If gender issues are to get primacy, an alternative analytical frame is essential. The thrust will have to be initiated and carried forward until rural women are sufficiently motivated and emphasized to avail of the benefits of the mainstream farm support systems. We are now free from famine but we are not free from hunger. Still, the women suffer from this. The public distribution system still has to be strengthened. That is why, the women, nutrition-wise and health-wise,

suffer the most. This statistics is below the standard. To strengthen the democratic process, actual participation of the people, awareness regarding democratic rights and duties should be created and empowerment of women should become a part of parliamentary process so that we can say, at least, after fifty years of independence we have achieved something.

Madam, one more point I would like to say. At 4th World Conference on women at U.N., we were the first to subscribe to the Beijing Declaration without any reservation. We also made a commitment to have a National Policy on Women. I request the Government to bring before this august House, in this Golden Jubilee Year of our Independence the Draft Policy which we have evolved through a wide range of consultations as a final policy so that the women of this country can enjoy some of the powers. Since the World Conference which was held in Beijing touched many of the problems such as population, unemployment, feminisation of poverty and many of such other problems, we should also try them since we have committed to this Declaration. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am happy everybody is clapping. I am sure, this clapping is for gender balance. Now, the last speaker of the day is Mr. Dronamraju Satyanarayana.

*SHRI DRONAMRAJU SATYANARAYANA (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, I hope that these discussions held during this special session being held on the occasion of our 50 years independence would throw up some valuable and constructive suggestions for the development of our country. After getting Independence in 1947, we achieved success in various fields under the leadership of Shri Jawaharlal Nehru. Our country has since progressed not only in the fields of economy, politics and agriculture but in the field of science also. Madam, at this juncture when we look back at the past five decades we also find along with the successes the increasing problems our country is facing.

There are a number of anti-national forces working behind the curtain who are trying to destabilize the country in the name of religion and caste. In such a situation Madam, we are celebrating 50 years of our Independence. The menacing problems of illiteracy and overpopulation should be immediately tackled and I take this opportunity to highlight these problems as it is high time we find solutions for the same.

Madam, as Mahatma Gandhi had said, democracy is not limited to the cities of Delhi, Bombay or Hyderabad but it should spread to villages too and only when villages develop we would succeed in getting the full value of independence. Pandit Jawaharlal Nehru who followed the foot steps of Mahatma Gandhi took up a country-wide perspective in 1959 and introduced Panchayati Raj. There is no doubt that the introduction of Panchayati Raj helped a lot in the growth and development of villages, and played a vital role in bringing about change in the economic and social conditions of the rural population. Late Shri Rajiv Gandhi brought in a constitutional amendment in the year 1989 as he felt that these village Panchayats were working at the behest of the Centre and the State Governments. Through this he created an opportunity for the villages to develop independently. But what is the situation today? The State Governments are continuously appealing to the Centre that they need funds for the development of villages. We should go through constitutional Amendment and see as to what kind of powers we gave to these village Panchayats and municipalities.

Madam, the people residing in villages are migrating to nearby towns due to lack of proper medical and educational facilities in the rural areas. This is putting pressure on the population of the towns and the slums are growing. So, to avoid such a situation adequate allocation of funds coupled with its proper utilisation is the need of the hour for the development of villages. Since 33 per cent seats are reserved for women in village Panchayats we find women holding important posts as Chairman, zilla parishad, Madal President etc. But I want to know why the women's Bill which provides for 33 per cent reservation for women in Parliament and State Assemblies is being delayed. What is the reason? We always say that we will give equal rights to women too. Women constitute 50 per cent of our population and it is just and fair that their demands be fulfilled. We have already

*English translation of the original speech in Telugu.

promised 33 per cent reservation and going back on our word will cause distrust in the minds of the people.

Madam, what is the main problem which is threatening the country right now? You take any state. We find anti-social elements harassing the public everywhere. At this stage we as Parliamentarians should take a stand to deal firmly with these anti-social elements and root out the problem. We should introspect as to what steps we are taking for the development of villages. We should also see as to how far we are able to implement the decisions we take. We are allocating funds for the removal of poverty. But the question is whether these funds are properly utilised? The centre allocates funds and the State Government utilises these funds reaching the target people? If the scheme is not properly implemented then the whole purpose is lost.

Madam, we have been discussing all our problems for these five days and many eminent leaders have participated in the debate and gave their valuable suggestions. My humble submission is that whatever has been said for the progress and development of our country should be made note of and also implemented. With these words, I thank you Madam for giving me this opportunity. Jai Bharath! Jai Hind.

I would like to conclude my speech with a poem. The English translation of the poem runs as follows:

Our great leader Shri Mahatma Gandhi followed the non-violent movement and achieved freedom for our country. We are fortunate to have had such a great soul to guide us and make us independent.

7.00 P.M.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. With this very good note and the support for the cause of women, I think we should adjourn the House. Today we sat for eight hours. We did not have lunch break today. Thirty-three persons participated in the Dicussion today.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): How many more are left, Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is like a river. Many more tributaries come and join us everyday. At the moment how many more are there? Let me announce it so that something comes on record that those who were to speak today could not be accommodated.

SHRI S. JAIPAL REDDY: How many more?

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are five names from the BJP. Three are already sitting here. Others are not here. There are eight from the Congress and one from the Janata Dal. There are two from the TDP, but none of them came. They were not here today. From the SP, Ram Gopalji is here, but his time was taken by somebody else He has to speak on another day. Others are 4. These people have already spoken. They are not the ones who are new. There are fourteen new persons who have not spoken.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Only these fourteen persons should be given the opportunity to speak. That is my request.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Guillotine should be applied on the last day.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You see 29 Members have spoken today. We sat for eight hours. We did not have lunch. So, if you keep on adding names, we will have to extend the House by another week.

आपका नाम जो लिखा है...(व्यवधान)

श्री शिव चरण सिंह: आगे एड नहीं करें तो बस हो जाएगा पूरा।

उपसभापति: हां, हम तो नहीं चाहते है।

श्री शिव चरण सिंह: और परसों भी आपने एड कर लिये, मेहरबानी करके फिर तो बढ़ता चला जाएगा।

उपसभापति: आप तो बोल ही देंगे। जिसका एड होगा वही कटेगा।

श्री शिव चरण सिंह: मैं अपना नहीं कह रहा हूं। मैं जनरल बात कर रहा हूं। इसीलिए एड हो रहे है तीन चार दिन से।

उपसभापति: इसीलिए जो नाम आज के हैं वे पहले आएंगे, इन द बिगिनिंग। जो बाद में एड होंगे वे टेल में रहेंगे। अगर समय होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। तो आज आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप सन्डे को आराम से तैयारी करिए....(व्यवधान) तैयारी के

लिए मैंने इसलिए कहा कि जब बगैर तैयारी के बोलते हैं तो लम्बा बोलते हैं। जब तैयारी करके बोलते हैं तो कम बोलते हैं, प्वाइंटेड बोलते हैं। तो कृपया प्वाइंटेड बोलकर सबको एकोमोडेट करिए। हम बात कर रहे हैं एकोमोडेशन की तो एक दूसरे के साथियों को एकोमोडेट करिए। With these words I adjourn the House till eleven of the clock on Monday.

The House then adjourned at six minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Monday, the 1st September, 1997.